लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ६१, १९६२/१८८३-८४ (शक)

[१२ से २६ मार्च, १९६२/२१ फाल्गुन, १८८३ से ५ चैत्र १८८४ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सोलहवां सत्र, १९६२/१८८३-८४ (शक)

(खण्ड ६१ में अंक १ से १० तक हैं)

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

द्वितीय माला

विषय-सूची

[द्वितीय माला खंड ६१—अंक १ से १०—१२ से २६ मार्च १९६२/
२१ फाल्गुन, १८८३ से ५ चैत्र, १८८४ (शक)]

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, १२ मार्च, १९६२/२१ फाल्गुन, १८८३ (शक)

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया १—८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८—९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ९—१४

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र १४

विधेयक पुरस्थापित—

(१) संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक . १४—१५

(२) गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक . . १५

(३) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक १५

अध्यादेशों के बारे में विवरण . . १५

दैनिक संक्षेपिका १६—२१

अंक २—मंगलवार, १३ मार्च, १९६२/२२ फाल्गुन, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १ से १५ तक . २३—४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६ से १८ ४९—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १६ ५१—५९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ५९

गोआ की कार्यवाही में हताहत व्यक्तियों संबंधी प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६०—६२

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१—६२ ६२

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१—६२ ६२

विषय-सूची	पृष्ठ
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ उन्नचासवां प्रतिवेदन	६२
रेलवे आय-व्यय, १९६२–६३—उपस्थापित . . .	६३—६६
राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६७—७९
खंड २ से २३ और १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	७९
गोदी कर्मचारी (रोज़गार का विनियमन) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	७९—८७
खंड २ से ७ और १	८६—८७
संशोधन रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	८७
भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव । .	८७—९२
खंड २ से ६ और १ . . .	९१—९२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	९२
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़सठवां प्रतिवेदन	९२
दैनिक संक्षेपिका . . .	९३—९६
अंक ३—बुधवार, १४ मार्च, १९६२/२३ फाल्गुन, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १९ से २९ और ३१ से ३४ .	९७—११८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३० और ३५ . . .	११८—१९
अतारांकित प्रश्न संख्या १७, १९ से ३८ और ४० से ५४ .	११९—३४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में . .	१३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१३४—३५
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
बानवेवां प्रतिवेदन .	१३५
सदस्यों द्वारा त्याग पत्र . .	१३६
हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में हड़ताल के बारे में वक्तव्य . .	१३६

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति

अड़सठवां प्रतिवेदन . . १३६–३७

संसिधान (बारहवां) संशोधन विधेयक . . . १३७—४७

विचार करने का प्रस्ताव . . . १३७—४७

खंड २, ३ और १ १४५–४६

पारित करने का प्रस्ताव १४६

गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक १४७–५६

विचार करने का प्रस्ताव . १५६

खंड २ से ११ और १ . . १५६

पारित करने का प्रस्ताव

सामान्य आय-व्ययक, १९६२–६३ —उपस्थापन १६०—६८

वित्त विधेयक, १९६२—पुरस्थापित . १६८

दैनिक संक्षेपिका १६६—७३

अंक ४—गुरुवार, १५ मार्च, १९६२/२४ फाल्गुन, १८८३ (शक) —

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ४३, ४६, ४७, ४९ से ५२ और ५५ से ५८ . . . . . १७५—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४, ४५, ४८, ५३, ५४, ५६ और ६० १९७—२००

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ८६ २००—१३

पटल पर रखे गये पत्र २१३–१६

विधेयकों पर राय २१६

प्राक्कलन समिति—

एक सौ बावनवां प्रतिवेदन . २१६

विधेयक पुरस्थापित—

(१) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक . २१६–१७

(२) सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक २१७

(३) अतिरिक्त उत्तपादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . २१७

दैनिक संक्षेपिका . २५६—६१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव २१८—५५

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, १६ मार्च, १९६२/२५ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६७ से ७२, ७४, ७६, ७७, ७९, ८१, ८२, ९१, ६५, ६४ और ७३ . . . . 263—86

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६६, ७५, ७८ और ८० . २८६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७ से १२१ . . . २८८–३०२

दिनांक १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में शुद्धि ३०२—३०३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेपाल के विदेश मंत्री का वक्तव्य जिसमें भारत से होने वाली नेपाल सरकार विरोधी कार्यवाहियों का आरोप है। ३०३–०४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०४—०६

लोक लेखा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन . . ३०७

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पचासवां प्रतिवेदन . . . ३०७

सदचेयों द्वारा त्यागपत्र . . ३०७

सभा का कार्य . . . ३०७–०८

राष्ट्रपति के अभिभाषश पर प्रस्ताव . . . ३०८—२९

अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया . ३२९—३२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बानवेवां प्रतिवेदन ३३२

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा के बारे में संकल्प . . ३३२—५०

कार्य मंत्रणा समिति—

उनहत्तरवां प्रतिवेदन . . ३५०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५१—५७

अंक ६—सोमवार, १९ मार्च, १९६२/२८ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६, ८८ से ९२, ९४, ९५, ९७ से ९९, १०१ और १०२ . . . . . . ३५९—८१

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ और २ ३८१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ८५, ८७, ९३, ९६ और १०० . . ३८६—८८

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १२२ से १४८ .	३८८—४००
स्थगन प्रस्ताव—	
रेलवे दुर्घटनायें . . .	४०१–०२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४०२–०३
विधेयकों पर राय . . .	३०३
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ सत्तावनवां प्रतिवेदन . . .	४०३
लोक लेखा समिति—	
इकतालीसवां प्रतिवेदन	४०४
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र . .	४०४
कार्य मंत्रणा समिति—	
उनहत्तरवां प्रतिवेदन . .	४०४
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव .	४०४–१२, ४२७–३७
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ .	४१२—२६
विनियोग विधेयक १९६२—पुरस्थापित और पारित .	४२६–२७
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक .	४३८—४१
विचार करने का प्रस्ताव . .	४३८–३९
खंड २ से ६ और १	४३९
पारित करने का प्रस्ताव	४३९—४१
सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	४४१–४२
पारित करने का प्रस्ताव	४४२
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक .	४४२—४५
विचार करने का प्रस्ताव . . .	४४२
दनिक संक्षेपिका	४४३—४७
अंक ७—मंगलवार, २० मार्च, १९६२/२९ फाल्गुन, १८८३ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७, ११०, १११, ११३ से ११७, ११९, १२१, १२३ और १२५ से १२७ . .	४४९—७०

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से १०६, १०८, १०६, ११२, ११८, १२०, १२२, १२४, १२८ और १२६	४७०—७५
अतारांकित प्रश्न संख्या १४६ से १६६, १७१ से १६३, १६५ और १६६	४७५—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४६५—६६
प्राक्कलन समिति--	
एक सौ चौवनवां प्रतिवेदन . .	४६६
तेल कम्पनियों से हुए करारों के बारे में वक्तव्य . . .	४६६—५००
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक .	५०१—०३
विचार करने का प्रस्ताव . .	५०१—०२
खंड २ से ४ और १ . .	५०३
पारित करने का प्रस्ताव . .	५०३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १६६१-६२ . . .	५०३—१३
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १६६२--पुरस्थापित और पारित .	५१३—१४
सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा .	५१४—३४
दैनिक संक्षेपिका .	५३५—४१
अंक ८--शुक्रवार, २३ मार्च, १६६२/२ चैत्र, १८८४ (शक)--	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३१, १३३ से १३५, १३६ से १४१, १४४, १४५, १४७, १४८ और १५०	५४३—६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२, १३६ से १३८, १४२, १४३, १४६, १४६ और १५१ से १५७	५६४—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १६७ से २१८, २२० से २२७ और २२६ से २४०	५७०—८७
स्थगन प्रस्ताव--	
उत्तर कछार पहाड़ियों की कथित दुर्घटना तथा पाकिस्तानियों द्वारा एक भारतीय का कथित अपहरण . . .	५८७—८८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कच्चे पटसन का मूल्य	५८८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	५८८—८६
राज्य सभा से सन्देश	५६०

विषय	पृष्ठ
हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	५९०
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ छप्पनवां प्रतिवेदन . .	५९०
ब्लिट्ज के सम्वाददाता श्री ए० राघवन द्वारा क्षमा याचना	५९०
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र .	५९१
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा .	५९१—६०६
संविधान (संशोधन) विधेयक—(अनुच्छेद २२६ का संशोधन) .	
[(१) श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् और (२) श्री नरसिंहन् का] वापिस लिया गया	६०६
प्रवर समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव	६०६—१४
दैनिक संक्षेपिका	६१५—२०
अंक ९—शनिवार, २४ मार्च, १९६२/३ चैत्र, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९, १६०, १६२, १६४, १६५, १६६, १७१, १७३, १७५, १७७ से १७९, १८२, १८५ से १८७ और १८०	६२१—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५८, १६१, १६३, १६६ से १६८, १७०, १७२, १७४, १७६, १८१, १८३ और १८४ . .	६४५—५१
अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २५२ और २५४ से २८५ . .	६५१—७०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
तार घरों में 'धन प्रोत्साहन योजना' का जारी किया जाना .	६७०—७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६७२—७३
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ पचपनवां, एक सौ अट्ठावनवां और एक सौ उनसठवां प्रतिवेदन	
सभा का कार्य . . .	६७३—६७४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा .	६७४—७१७
राष्ट्रपति का सन्देश . . .	७११
लेखानुदान की मांगें, १९६२—६३ . . .	७१७—२२
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरस्थापित और पारित .	७२२—२३
वित्त विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७२३—२४
दैनिक संक्षेपिका	७२५—३०

अंक १०--सोमवार, २६ मार्च, १९६२/५ चैत्र, १८८४ (शक)--

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८८, १८६, १९६ से १९९, २१३, २००, २१२, २१४, २२०, २२१, २११, २०५ और २१६ . ७३१--५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर .

तारांकित प्रश्न संख्या १९० से १९५, २०१ से २०४, २०६ से २१० और २१५ से २१८ . ७५१--५८

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६ से ३३५ . ७५८--८२

स्थगन प्रस्ताव--

१. कछार पहाड़ियों पर दुर्घटना . . . ७८२--८३

२. पाकिस्तान में कर्णफुली बांध और भारतीय राज्य क्षेत्र में उसका प्रभाव . . . ७८३--८४

३. इटली की फर्म के साथ तेल करार . ७८४--८५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७८५--८८

प्राक्कलन समिति--

एक सौ साठवां, एक सौ इकसठवां और एकसौ बासठवां प्रतिवेदन-- ७८८

वित्त विधेयक, १९६२--

विचार करने का प्रस्ताव . ७८८--९५

खंड २ से ४ और १ ७९५

पारित करने का प्रस्ताव . . . ७९५

टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . ७९५--९७

खंड २, ३ और १ . . ७९६--९७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७९७

रेलवे बजट--सामान्य चर्चा . ७९७--८०५

दैनिक संक्षेपिका ८०६--१२

नोट:--मौखिक उत्तर वाले किसी प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, १३ मार्च, १९६२

२२ फाल्गुन, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हेवी स्ट्रक्चरल एण्ड वेसल वर्क्स[1]

+

†*१. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक हेवी स्ट्रक्चरल एण्ड वेसल वर्क्स (भारी ढांचा और पात्र निर्माण कारखाना) स्थापित करने में सहयोग के लिये भारत सरकार और एक ब्रिटिश सार्थ--डेवी एशमोर लिमिटेड--के बीच कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो करार का क्या ब्योरा है ;

(ग) इसके खर्च और उत्पादन का क्या ब्योरा है; और

(घ) यह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). अभी नहीं हुआ । करार बहुत जल्द हो जायेगा ।

(ग) और (घ). यह परियोजना इस्पात, उर्वरक, तेल और इसी प्रकार के अन्य उद्योगों के लिये १२,५०० टन के 'हेवी प्रेशर' तथा अन्य किस्म के पात्र और २५,००० टन के इस्पात के भारी ढांचे बनाने के लिये है । इस पर लगभग १२ करोड़ रुपये व्यय होंगे । इस व्यय में आवास बस्ती और अन्य सहायक सेवाओं का व्यय सम्मिलित नहीं है । आशा है कि कार्यस्थल पर टेक्निकल सहयोग तथा कार्य की व्यवस्था होने पर परियोजना के तैयार होने में लगभग ३½ वर्ष लगेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Heavy Structrurdl and Vessel Works

1900(ai) LSD—1.

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : यह परियोजना कहां स्थापित होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वर्धा के पास।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : मैं समझती हूं कि १५ करोड़ रुपये के कुल व्यय का अनुमान लगाया गया है। इसमे से कितना धन आवास तथा उपनगर बनाने पर व्यय होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग ५ करोड़ रुपये। परियोजना पर कुल लगभग २० करोड़ रुपये व्यय होंगे।

†**श्री याज्ञिक** : क्या यह कार्य स्थायी रूप से ब्रिटिश फर्म करेगी या उसे केवल कुछ करने के लिये ठेके पर रखा जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे टेक्निकल सहयोग होंगे। मूलत: वे शुरू के काम के लिये ठेके पर रखे जायेंगे।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस सहयोग में भारतीय पूंजी किस अनुपात से लगेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सरकारी क्षेत्र मे शत प्रति शत सरकारी पूंजी लगेगी।

चीनियों द्वारा धावे

+
†*२. { **श्री प्र० गं० देव** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री वी० चं० शर्मा
श्री भक्त दर्शन :
श्री खुश वक्त राय : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् में दिये गये पिछले वक्तव्य के बाद चीनियों के भारतीय प्रदेश पर कोई धावे हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या व्योरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) और (ख). संसद् में दिये गये पिछले वक्तव्य के बाद सरकार को भारतीय प्रदेश पर कोई और धावा करने की सूचना नहीं मिली है। हां, चिपचप नदी पर चीनियों के चौकी से १२ मील दूर चीन के सीमान्त गश्ती सैनिकों के गश्त करने के एक मामले की सूचना मिली थी। इसके बारे में हमने ३१ अक्तूबर, १९६१ को चीन को विरोधपत्र भेजा था। हमने इसके बारे में विरोधपत्र भेजा है और चीनी प्राधिकारियों से इस के लिये कड़े अनुदेश जारी करने को कहा है कि भारतीय प्रदेश में कोई गश्ती सैनिक न भेजे जायें।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या चीनियों ने लोंगजू को फिर ले लिया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं। लोंगजू पर अधिकार या पुनः अधिकार करने का प्रश्न ही नहीं है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : संसद् के पिछले सत्र में प्रधान मंत्री नें कहा था कि भारत सरकार ने लोंगजू से अधिकार हटा लिया है। क्या चीनियों ने उस पर अधिकार कर लिया है या नहीं, या वह किसी के भी अधिकार में नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भारत सरकार ने इस पर अपना अधिकार नहीं छोड़ा है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मुझे खेद है। सरकार ने इस पर अधिकार नहीं किया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सरकार ने इस पर अधिकार नहीं किया है। यद्यपि मुझे निश्चित रूप से पता नहीं है, फिर भी जहां तक मैं जानता हूं हमने इस पर अधिकार नहीं किया है। चीनी लोग यहां से तीन या चार मील पीछे हट गये थे। मैं समझता हूं कि अब भी वही स्थिति है।

†**श्री प्र० गं० देव** : यदि चीनियों ने उस पर पुनः अधिकार नहीं किया है, तो क्या वह लावारिस क्षेत्र है ?

†**श्री नाथ पाई** : अध्यक्ष महोदय, यह पहिला अवसर है जब कि सभा का सत्र हमें चीनियों के नये धावों के बारे मे बताये बिना आरम्भ हो रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं। क्या यह बात इसके फलस्वरूप सामने आई है कि चीनियों ने उस सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है जो उन्होंने अपने मानचित्रों में अपना बताया है, या यह शायद इसका परिणाम है कि भारत सरकार ने हमारे अधिकारों की रक्षा करने की नई दृढ़ नीति बनाई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चीनियों ने अपने मान-चित्रों में लद्दाख या उत्तरी प्रदेश में जो भूमि अपनी बताई है उस सारी भूमि पर अधिकार नहीं किया है। पूर्व में, उन्होंने कुछ नहीं किया है। नेफा में और उसके आस पास बहुत बड़े क्षेत्र को भी उन्होंने अपना बताया था, परन्तु उन्होंने वहां किसी भी भाग पर अधिकार नहीं किया है। कोई बड़ी तबदीली नहीं हुई है। कभी-कभी यह होता है, जैसा कि हुआ है, पश्चिमी प्रदेश में उन के गश्ती सैनिक आ जाते हैं। वहां हमारे भी गश्ती सैनिक जाते हैं। इस बारे में दोनों ओर से विरोध होता है।

यदि आप इस मामले से संबंधित एक मामले के बारे में कुछ कहने की अनुमति दें, तो मैं बता सकता हूं। यह मामला इस प्रश्न के विषय से भिन्न है और मैं समझता हूं कि उस पर आपको दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें मिली हैं। स्पष्ट है कि "वाशिंगटन पोस्ट" के साथ एक कथित भेंट में लेखक मुझे न समझ सका। उसने मुझ से भूमि पट्टे पर देने के बारे में कुछ पूछा था। मैंने वही बात कही थी जो पत्र-व्यवहार में प्रकाशित हो चुकी है। मैं ने कहा था कि लगभग डेढ़ वर्ष में ने एक अस्थायी प्रस्ताव दिया था ताकि हम मामले पर आगे विचार विमर्श कर सकें। मेरा प्रस्ताव यह था कि उन्हें का जिस बड़े क्षेत्र पर अधिकार है, वहां से हट जायें और हम वहां से हट जायें जिस पर हमने, उनके कथनानुसार अधिकार कर लिया है। मैं ने आगे कहा था कि जहां तक इस मार्ग

†मूल अंग्रेजी में

का संबंध है, चीनी लोग हमारा विचार विमर्श होने तक उसका प्रयोग जारी रख सकते हैं क्यों कि कुछ कार्यों के लिए यह एक प्राचीन मार्ग है । उस समय मैंने यही कहा था । मैं वही कहा था जो मैंने डेढ़ वर्ष पहले कहा था और जिसे चीनियों ने स्वीकार नहीं किया था। शायद किसी प्रकार वह इसे गलत समझ गया ।

†**श्री हेम बरुआ :** औचित्य प्रश्न पर, प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम उस क्षेत्र से हटने को तैयार हैं जो हम ने ले लिया हो। अभी तक इस सभा में हमें बताया गया है कि हम ने किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया है, बल्कि चीनियों ने लद्दाख में हमारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया है। स्पष्टीकरण की दृष्टि से हमारे प्रधान मंत्री का यह वक्तव्य हमारी सरकार की अब तक की नीति से कहां तक मेल खाता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं केवल यह बता रहा हूं कि डेढ़ वर्ष पूर्व मैं ने क्या कहा था । हम ने उन्हें एक सिद्धान्त सुझाया था कि वे और हम उन उन प्रदेशों से हट जायें जिन्हें वे और हम क्रमानुसार अपना अपना बताते हैं। उन्होंने कहा था कि हमने उन के प्रदेश पर अधिकार कर लिया है ।वास्तव में, यह बात उस बड़े क्षेत्र पर लागू होती है जो उन्हों ने ले लिया है। क्योंकि यह बात उन दो या तीन गांवों पर जो उत्तरी लद्दाख के देमचोक क्षेत्र में हैं, लागू होती है जिन्हें वे वर्तमान धावों के अतिरिक्त अपना बताते हैं। मूलतः वे उनके नहीं हैं। उनका कहना था कि उन पर हमने अधिकार कर लिया था। इस ओर ध्यान न देकर कि कौन ठीक है और कौन गलत है, हम ने कहा कि तुम वहां से हट जाओ और हम यहां से हट जायेंगे — हमारा प्रदेश केवल दो गांवों का है —और फिर इस मामले पर विचार-विमर्श करेंगे। इन प्रश्नों पर विचार विमर्श आरम्भ करने के लिए यह पहली कार्यवाही थी।

†**श्री नाथ पाई :** हमें प्रसन्नता है कि आपने बात स्पष्ट कर दी। हो सकता है कि आपकी बात गलत ढंग से कही गई हो। "वाशिंगटन पोस्ट" ने आपको यह कहते हुए बताया है कि भारत सरकार सहर्ष पट्टा देगी। यह बात किसी को प्रयोग करने की अनुमति देने से सर्वथा भिन्न है ।

क्या प्रधान मंत्री का वास्तव में यही अभिप्राय था या दुर्भाग्यवश उनकी बात गलत ढंग से कही गई ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं समझता कि मैंने "पट्टा" शब्द प्रयोग किया था । मेरा ख्याल है कि इसका उल्लेख उस ने किया था और उस ने पूछा था कि "क्या आप इसे पट्टे पर देंगे ?" यही कारण है कि वह दोनों बातों को मिला गया। उसके उत्तर में, मैं ने उसे फिर उस बात की याद दिलाई जो मैंने डेढ़ वर्ष पहले कही थी कि मैं उन्हें बातचीत निश्चित होने तक वह सड़क प्रयोग करने की अनुमति दे दूंगा । क्योंकि वे उस सड़क को महत्वपूर्ण बताते थे या जो भी अन्य बात थी। परन्तु इस पर वह निश्चय लागू होगा जो हम बातचीत करके करेंगे ।

†**श्री नाथ पाई :** पिछले आठ दिनों में चीनी लोग संसार में यह प्रचार करते रहे हैं कि भारत सरकार की कड़ी कार्यवाही निर्वाचन का प्रोपगंडा है । निर्वाचन समाप्त होते ही, भारत सरकार अपनी वर्तमान नीति छोड़ देगी और वह रवैया अपना लेगी जिसे वे उचित कहते हैं। इस से वे यह बताते रहे हैं कि भारत सरकार अपनी वर्तमान नीति छोड़ देगी । इस बारे में भारत सरकार की क्या नीति है ? क्या हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जैसा कि बताया गया है, और क्या हमारी नीति वही है जो राष्ट्रपति ने अपने कल के अभिभाषण में

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री प्र० गं० देव : क्या प्रधान मंत्री अकशाई चिन में चीनियों द्वारा बनाई गई सड़क को इस शर्त पर छोड़ने का विचार कर रहे हैं कि वे हमारे प्रदेश से हट जायें ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं बता चुका हूं कि डेढ़ वर्ष पूर्व मैं ने चीनियों से क्या कहा था। इस सब का उल्लेख पत्रों में है । माननीय सदस्य उन्हें देख सकते हैं। मैं उन्हें किसी नये प्रस्ताव के बारे में नहीं बता रहा था जो हमने किया था या कर रहे हैं। मैं ने इन बातों का केवल वर्तमान के लिए, इतिहास की दृष्टि से उल्लेख किया था ताकि इस से हमें बातें करने में आसानी हो जाये । हमने कहा था कि हम इन सब बातों पर बात चीत तथा विचार विमर्श करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वे कब्ज़ा किये हुए प्रदेश से हट जायें । वे उस सड़क का उस समय तक प्रयोग कर सकते हैं जब तक हम उसके बारे में और कोई निश्चय करें, परन्तु उसका प्रयोग केवल असैनिक कार्यों के लिए होगा ।

†श्री हेम बरूआ : क्या सरकार का ध्यान इस बारे में श्री जयप्रकाश नारायण के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि भारत-चीन विवाद न्यायनिर्णय के लिए भेजा जाये, और यदि हां, तो इस सुझाव पर प्रधान मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

†अध्यक्ष महोदय : कोई भी माननीय सदस्य या राजनीतिज्ञ कोई भी वक्तव्य दे सकता है। मैं प्रधान मंत्री से यहां उससे इन्कार करने या उसे स्वीकार करने के लिए नहीं कहूंगा ।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या "वाशिंगटन पोस्ट" के प्रतिनिधि को दिया गया वक्तव्य अब भी सार्थक है, और भारत सरकार का यह निश्चित मत है कि चीन के लिए सड़क काफी महत्वपूर्ण है और इसी कारण वे इसका प्रयोग जारी रख सकते हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं उसे यह बता रहा था कि डेढ़ वर्ष पहिले क्या हुआ था । उस समय चीनी प्राधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया था । अब इस के सार्थक या अर्थहीन होने का प्रश्न ही नहीं है । यह बात समाप्त हो गई। परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि मामला किस रूप से सामने आ जाये । मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता, परन्तु अब हमारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । जब हम ने यह प्रस्ताव रखा था, तब उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया । यह सुझाव थोड़े समय के लिए ही था, अर्थात् विचार विमर्श आरम्भ करने के लिए। तत्पश्चात् यह इस बात पर निर्भर होगा कि यदि कोई व्यवस्था निश्चय हो तो क्या निश्चित होती है ।

पाकिस्ता को अमरीकी शस्त्रास्त्रों की सहायता

+

†*३. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २० जनवरी, १९६२ को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खां द्वारा भूतपूर्व सीमान्त प्रदेश में मरदान में दिये गये इस कथित वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि उनका देश आपात काल में 'अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये' अमरीका द्वारा दिये गये सैनिक सामान का प्रयोग करेगा;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस वक्तव्य को भारत के विरुद्ध समझा गया; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी हां।

(ख) इस संभावना पर, कि उक्त वक्तव्य भारत के विरुद्ध था, सरकार ने विचार कर लिया है।

(ग) भारत सरकार की प्रतिक्रिया गम्भीर चिंता के रूप में है। अमरीकी प्राधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान को दी गई शस्त्रास्त्र सहायता साम्यवादी देशों के आक्रमण का मुकाबला करने के विशिष्ट, उद्देश्य से है। जब हम इस आश्वासन को स्वीकार करते हैं, इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान सरकार इस सहायता का किस प्रकार प्रयोग करेगी।

हमारे विचार अमरीकी सरकार को बता दिये गये हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सही है कि पाकिस्तान ने अमरीकी सैनिक सामान का प्रयोग पिछली मई में अफगानों के विरुद्ध भी किया था, हालांकि अमरीकी शस्त्रास्त्र करार में ऐसा निबंधन नहीं था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मुझे नहीं पता कि आया इसका अफगानिस्तान के विरुद्ध प्रयोग किया गया था ?

†**श्री हेम बरुआ :** मा० उपमंत्री ने जो उत्तर दिया है मैं उसके बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि अमरीकी प्राधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है। क्या हम यह समझ सकते हैं कि 'अमरीकी प्राधिकारियों' से अभिप्राय अमरीका की सरकार से हैं या यहां पर उनके राजदूत से। ऐसा आश्वासन किसने निजी स्तर पर किया है ? सचाई क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** अमरीका में प्रत्येक स्तर पर पुनः पुनः ऐसा कहा गया है, जो मुख्य उत्तर में बताया गया है, यह सहायता विशिष्ट उद्देश्य के लिये दी जाती है और इसका दूसरे काम के लिये प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। दूसरी तरफ, पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने कई स्तरों पर कहा है कि वे इसका प्रयोग करेंगे। अतः इसमें अन्तर हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** उन्होंने प्रयोग भी किया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यही तो हमारे लिये चिंता का विषय है।

†**श्री साधन गुप्त :** इस स्पष्ट तथ्य की दृष्टि से कि अमरीकी प्राधिकारी पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों को ऐसे ढंग से प्रयोग करने से रोकने में असमर्थ हैं, जिस तरह से उनको उनके कथनानुसार, प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये, क्या भारत सरकार ने अमरीकी सरकार से प्राथना की है कि वे पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देना बन्द कर दें, क्योंकि इससे हमारी सुरक्षा को खतरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जैसा कि प्रश्न के मुख्य उत्तर में बताया गया है, हमने इस विषय संबंधी अपने विचार अमरीकी सरकार को बता दिये हैं। यह उत्तर पर्याप्त है। हम उनको ऐसा आदेश नहीं दे सकते कि ऐसा करो या वैसा करो । यह निर्णय करना उनका काम है। हमने अपने विचारों से उनको अवगत करा दिया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मा० प्रधान मंत्री ने बताया है कि अमरीका सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि इन शस्त्रास्त्रों का भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या पाकिस्तान सरकार ने इस बारे में अमरीका सरकार को कोई आश्वासन दिया है? अमरीका सरकार ने अपनी ओर से या पाकिस्तान की ओर से हमें यह आश्वासन दिया है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं; पाकिस्तान सरकार ने कोई आश्वासन देने की बजाए इससे बिलकुल विपरीत कहा है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : अमरीका सरकार ने भारत सरकार को आवश्सान दिया है कि पाकिस्तान को दिये गये सैनिक सामान का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। क्या अमरीका सरकार ने हमें ऐसी सूचना दी है कि पाकिस्तान को किस किस्म का और कितना सैनिक सामान दिया गया है ? चंकि इनका भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अमरीका सरकार भारत सरकार को यह सूचना आसानी से दे सकती है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वे हमें ब्योरा नहीं बताते। हम उनके बारे में कुछ जान सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमें उनके बारे में कुछ पता है, किन्तु वे ब्योरा नहीं बताते कि वे क्या दे रहे हैं और क्या इसका प्रयोग किया जाएगा या उसका प्रयोग नहीं किया जा जाएगा ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : पाकिस्तान को जो सामान दिया जा चुका है उसके बारे में सूचना भारत सरकार को दी जा सकती है, चूंकि अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान को बताया है कि वे इस सामान का भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं कर सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री विभूति मिश्र** : यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका का कश्मीर के बारे में जो अब तक का रुख रहा है उसको देखते हुए क्या हमारी भारत सरकार को उनके द्वारा दिये ऐस्सो-रेंसेज पर भरोसा है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन पर मुझे पूरा भरोसा है लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा उस पर भरोसा नहीं है।

गोआ के वाणिज्य मंडल का प्रतिनिधिमंडल

†*४. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ के वाणिज्य मंडल (गोआ चैम्बर आफ कॉमर्स) का एक प्रतिनिधिमंडल फरवरी, १९६२ में उनसे मिला था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां, यह शिष्ट मुलाकात थी ।

(ख) प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के मंत्रालयों के संबद्ध अफसरों से भी मुलाकात की थी। उनके मुख्य सुझाव ये थे (१) कि भारत के देशी साधनों से जो वस्तुएं नहीं दी जा सकतीं वे तब तक बाहर से मंगवाई जाती रहें जब तक उन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को शेष भारत के क्षेत्रों के साथ अपने आपको मिलाने के लिये समय न मिल जाए और (२) गोआ के औद्योगिक संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाए।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या बातचीत के फलस्वरूप गोआ के वाणिज्य मंडल के साथ व्यापार संबंधी मामलों के बारे में कोई समझौता हुआ था?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : गोआ के औद्योगिक संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिये एक दल वहां भेजा गया है और उनका प्रतिवेदन जब हमें मिल जाएगा, उसके पश्चात, मांगों को पूरा करने के लिये कदम उठाये जाएंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उन्होंने यह भी मांग की थी कि गोआ से निर्यात व्यापार, विशेषतः लोह अयस्क आदि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, जारी रहने दिया जाए, जैसा कि उसकी मुक्ति से पहले था, और चाहे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकतायें कुछ भी हों ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने क्या मांग की है । हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि यह जारी रहना चाहिये और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी यह जारी रहना चाहिये ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं वहां पाये गये लोह अयस्क की मात्रा का विशेषतः उल्लेख कर रहा हूं जो बढ़िया किस्म का माना जाता है और बताया जाता है कि बढ़िया किस्म के लोह-अयस्क की कमी के कारण हमारे देश के इस्पात संयंत्र कठिनाई अनुभव कर रहे हैं । मैं इस दृष्टि से प्रश्न पूछ रहा हूं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पहले, हमने पुरानी सब बातों का ख्याल रखने का फैसला किया है । भविष्य के बारे में, मामले पर विचार किया जाएगा । दूसरे, लोह अयस्क का निर्यात बढ़ाने की हमारी सामान्य नीति है । मा० सदस्य ने बढ़िया किस्म के बारे में जो प्रश्न पूछा है, मुझे उसके बारे में पता नहीं । हो सकता है कि इसका कुछ अंश यहां उपयोग में लाया जा सकता है, हम इसका उपयोग करेंगे । परन्तु साधारणतया, हम चाहते हैं कि निर्यात जारी रहे, क्योंकि इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ।

नेपाल में दूतावास के सामन प्रदर्शन

†*५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के गणतंत्र दिवस पर नेपाल में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन हुए थे और हमारे काठमांडू स्थित राजदूत ने नेपाल सरकार को इस बारे में विरोध-पत्र दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या उत्तर मिला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) नेपाल सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि प्रदर्शन सरकारी तौर पर नहीं किया गया और इसका उद्देश्य राजदूत को ज्ञापन पेश करना था और प्रदर्शनकारियों ने भारत विरोधी नारे नहीं लगाये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : प्रदर्शनकारी हमारे राजदूत को किस प्रकार का ज्ञापन पेश करना चाहते थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : मैं केवल स्मृति के आधार पर उत्तर दे सकता हूं, क्योंकि मेरे सामने ज्ञापन नहीं है और यह कुछ समय पहले हुआ था । परन्तु इसमें सामान्यतया भारत सरकार पर आरोप लगाया गया था कि वह नेपालियों को शरण दे रही है जो भारत आये थे और वह नेपाल की वर्तमान शासन सत्ता के विरुद्ध कार्यवाइयां करने के लिये प्रोत्साहन दे रही है और हमसे यह प्रार्थना की गई थी कि हम ऐसा न करें । जहां तक मुझे मालूम है उस ज्ञापन का मुख्य यह उद्देश्य था । निस्संदेह, इस मामले में हमारी नीति यह रही है कि हमारी सीमा के बाहर कोई शस्त्रास्त्र भेजने को रोका जाए या भारत को ऐसी गतिविधियों का अड्डा न बनने दिया जाए । परन्तु हमारी विधियों के अन्तर्गत, उन लोगों को, जो यहां आते हैं, अपने विचार व्यक्त करने के लिये सारी संवैधानिक स्वतंत्रता दी जाएगी, सभा को याद होगा कि नेपाल-भारत सीमा खुली सीमा है । यह खुली सीमा रही है और है । कहीं कहीं हमारी चौकियां हैं—काफी हैं—जो संभाव्य शस्त्रास्त्र व्यापार को रोक सके, और वह सफल रहा है । फिर भी, लोग सैकड़ों स्थान से आ जा सकते हैं उनको आने से रोकना कठिन है । हमारी सूचना के अनुसार, शस्त्रास्त्र का आना जाना नहीं हुआ है —परन्तु इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि कोई व्यक्ति एक बन्दूक आदि ले गया हो । परन्तु ऐसा बहुत कम हुआ है । नेपाल की अधिकतर गड़बड़ स्थानीय तौर पर हुई है ।

डा० गोविन्द दास : इधर जो नेपाल के और हमारे सम्बन्ध कुछ खराब हुए हैं, इस विषय में क्या प्रधान मंत्री जी ने नेपाल के महाराज को यहां पर आने का निमंत्रण दिया है और यदि यह ठीक है, तो वह कब आयेंगे और क्या इस तरह की बातों पर उनसे चर्चा होगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे पास शुरू में खबर आई थी कि नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से दर्याफ्त किया गया था कि उनका यहां आना किस तारीख को हो सकता है । मतलब यह कि उनकी तरफ़ से यह सवाल शुरू हुआ था । मैं ने जवाब दिया कि वह बड़ी खुशी से आयें । जब वह आयेंगे, तो हम बड़ी खुशी से मिलेंगे और नेपाल और हिन्दुस्तान के ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे । इस बारे में कोई तारीख मुकर्रर नहीं हुई है ।

†**श्री नाथ पाई** : इस प्रदर्शन के अलावा क्या यह सच है कि हाल ही में नेपाल में भारत विरोधी उकसाया हुआ कुछ प्रचार हुआ है, चाहे वह सरकारी तौर पर किया गया है या सरकार द्वारा प्रोत्साहित था या नहीं ? क्या दोनों देशों के सम्बन्धों में कुछ थोड़ा तनाव हो गया है, जैसा कि इस कुप्रेरित प्रचार से पता चलता है । यदि हां, तो सरकार ने पुराने मैत्रीपूर्ण आधार वाले सम्बन्धों को कायम रखने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सही है कि नेपाल में बहुत कुछ प्रचार समाचार-पत्रों में हुआ है, जिसे भारत विरोधी कहा जा सकता है । मैं नहीं समझ पाया कि मा० सदस्य मुझ से क्या

---

†मूल अंग्रेजी में

करने की अपेक्षा रखते हैं। हम भारत से या नेपाल से, इस पारस्परिक तनाव को नहीं चाहते। हमने जांच करके पता लगाया है कि नेपाली समाचारपत्रों द्वारा लगाये गये शेष आरोप मिथ्या हैं। आरोप ये हैं कि भारत से लोग जाते हैं और उनकी पुलिस चौकियों आदि पर आक्रमण करते है। हमारी जानकारी यह है कि ऐसा नहीं हुआ है। नेपाल में स्थानीय तौर पर कुछ हुआ हैं, जिस को रोकने की गारंटी हम नहीं ले सकते, और न ही हमें उनके बारे में अधिक सूचना हो सकती है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का ध्यान नेपाल द्वारा लगाये गये इस आशा के आरोप की ओर लगाया गया है कि नेपाली विद्रोहियों से जो शस्त्रास्त्र और गोला बारूद पकड़ा गया है उस पर भारतीय आयुध फैक्टरियों के निशान हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है या इसकी सत्यता का परीक्षण किया है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : एक स्थान पर ऐसा कुछ आरोप था, और मैं समझता हूं कि हमने इसका खंडन किया था या इसके लिये कुछ और सबूत की जरूरत थी। जब तक हमारे पास कोई साक्ष्य न हो इसे साबित करना कठिन होता है।

†**श्री नाथ पाई :** नेपाल के विदेश-कार्य मंत्रालय ने कुछ विदेशी संवाददाता बुलाये थे और उनको वह गोला बारूद दिखाया था, जिसे नेपाली सरकार किरकी (पूना) में बना हुआ बताती है। क्या सरकार को इसके बारे में कोई सूचना है और यदि हां, तो तथ्य क्या है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे इस के बारे में अभी कुछ पता नहीं, कि वहां संवाददाता गये थे और उनको कुछ दिखाया गया था। यह संभव है; यह मात्रा तक निर्भर है; हो सकता है कोई व्यक्ति कुछ ले गया हो?

†**श्री साधन गुप्त :** क्या इस बार में हमें कोई जानकारी है कि यह प्रदर्शन मनमाने ढंग से किया गया था या कुछ निश्चित तत्वों द्वारा आयोजित किया गया था? यदि यह निश्चित तत्वों द्वारा आयोजित किया गया था तो इसका आयोजन किसने किया?

†**अध्यक्ष महोदय :** सभी प्रदर्शन संगठित होते हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य नेपाल की हालत से स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। मैं समझता हूं कि वहां पर सरकार काफी मज़बूत है जिसकी अनुमति के बिना बहुत कम ही किया जाता है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है नहीं है कि नेपाल की सेना भारत द्वारा उनको दिये गये कुछ शस्त्रास्त्र इस्तेमाल करती है? क्या यह सच नहीं हो सकता कि काठमाण्डू में विदेशी संवाददाताओं को जो शस्त्रास्त्र दिखाये गये थे वे वे शस्त्रास्त्र हों जो हमने नेपाल की सेना को दिये हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ऐसा हो भी सकता है। बाज दफ़ा हम उनको ये देते हैं। वास्तव में, जहां तक हमें पता है, जो शस्त्रास्त्र विद्रोहीबल---विद्राहियों---के पास हैं वे उन्होंने अपनी पुलिस चौकियों से छीने हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : क्या यह सच है कि नेपाल, भूटान और सिक्किम को जो राजनयिक व्यक्ति भेजे गये हैं वे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा योरोप के अनेक देशों को भेजे गये राजनयिक व्यक्तियों से निम्न श्रेणी के हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या माननीय सदस्य हमारे प्रतिनिधियों के बारे में कह रहे हैं ?

†**श्री त्यागी** : जी हां। मैं उनकी श्रेणी और पद का जिक्र कर रहा हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इसका पता नहीं है कि यह निम्न श्रेणी है। नेपाल में पद को हमने सदैव सर्वोच्च पद माना है। वहां पर हमारे उत्तम व्यक्तियों को भेजा जाता है। हमने एक जो उत्तम व्यक्ति वहां भेजा था वह दिल्ली के मुख्य आयुक्त थे—इस बारे में सर्वोच्च पद वाले। अब भी वहां पर हमारे प्रतिनिधि उच्च पद वाले वरिष्ठ व्यक्ति हैं।

भूटान और सिक्किम के बारे में भी, वही व्यक्ति गंगटोक में हमारा प्रतिनिधित्व करता है। यहां भी हमने पिछले कुछ वर्षों में बहुत उत्तम व्यक्ति भेजे हैं।

टैक्सियों के मीटरों का आयात

†*६. **श्री अगाड़ी** : क्या **वाणिय तथा उद्योग** मंत्री २ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैक्सी के मीटरों के आयातकर्त्ताओं द्वारा लिये जाने वाले मूल्यों के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या सरकार ने चोर बाजारी रोकने के लिये टैक्सी के परमिटों के साथ-साथ टैक्सी मीटरों के परमिट भी जारी करने के बारे में विचार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ). जी हां। शिकायतें मिली थीं। परन्तु टैक्सी के मीटरों के अनियमित रूप से आयात करने और माल के ऊंचे मूल्य पर बेचने के सम्बन्ध में कुछ आयातकों के विरुद्ध आरोपों की जांच की गई थी परन्तु जांच करने पर उन्हें ठीक नहीं पाया गया।

टैक्सी के मीटरों के आयात के लिये व्यक्तिगत टैक्सी के स्वामियों को लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार किया गया। तथापि यह प्रशासनिक कारणों से व्यवहार्य नहीं समझा गया। जब नई टैक्सियों के लिये बड़ी संख्या में परमिट जारी किये गये तो आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक ने, विशेष तौर पर, टैक्सी चालकों की कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य सरकार की सिफारिश पर तदर्थ लाइसेन्स जारी किये। ऐसे प्रमाणीकृत आयात के लिये टैक्सी चालक संघ की प्रार्थना पर अनुकूल रूप से विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोश्रा में प्रशासनिक व्यवस्था

+

†*७. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्र० चं० बरुश्रा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सूपकार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुर्तगाल से स्वतंत्र किए गए भारतीय प्रदेश की हमारी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की है ;

(ख) क्या इन प्रदेशों के लिए कोई विकास योजनायें बनाई जा रही हैं ; और

(ग) क्या वित्तीय व्यवस्था की गई है तथा यह व्यय किस प्राधिकार के अधीन किया जायेगा ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) संविधान के अनुच्छेद १(३) (ग) के आधार पर गोश्रा, दमन और दीव, २० दिसम्बर, १९६१ से भारतीय क्षेत्र में मिल गये हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र मे राष्ट्रपति एक प्रशासक के जरिये प्रशासन चला रहे हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारत की आपात निधि में से प्रशासन को चालीस लाख रुपये की अग्रिम राशि दी गई है । इस राशि को संसद् के चालू सत्र में अनुपूरक अनुदान प्राप्त कर के पूरा कर लिया जायेगा । २० दिसम्बर, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक और १ अप्रैल, १९६२ से ३१ मार्च, १९६३ की दो अवधियों के लिये इस क्षेत्र के बारे में विस्तृत आय व्ययक तैयार कर लिया गया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या प्रशासन को असैनिक अधिकारियों ने सेना के व्यक्तियों से ले लिया है और क्या वहां के निवासियों का किसी रूप से प्रशासन से कोई सम्बन्ध है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वहां पर इस समय सैनिक गवर्नर है परन्तु प्रशासन वास्तव में असैनिक नियमों के अनुसार है । वहां पर सेना और पुलिस में काफी कमी कर दी गयी है परन्तु जब तक वहां ३००० पुर्तगाली सैनिक बन्दी हैं, कुछ सेना रखनी ही पड़ेगी। अब गोश्रा कार्यवाही के तुरन्त बाद हमने पुर्तगाल सरकार को कहा था कि वह अपने सैनिक बन्दियों की वापसी के लिये व्यवस्था करे।। हम उनको रखना नहीं चाहते, हम उनसे कोई लाभ उठाना नहीं चाहते कि वह हमारे लिये कुछ करें और फिर हम उन्हें जाने देंगे । वे वहां पर हैं। पुर्तगाल सरकार ने उनको ले जाने के लिये अभी कोई व्यवस्था नहीं की है ।

†**श्री हेम बरुश्रा** : ऐसा लगता है कि वे उन्हें ले जाना नहीं चाहते।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे नहीं पता कि वे चाहते हैं या नहीं । इसी कारण हमने वहां कुछ सेना रखी हुई है । अन्यथा सेना मे बहुत कमी कर दी गई है और और कमी कर दी जायेगी। मुझे नहीं पता कि कब परन्तु थोड़े ही समय में सैनिक प्रशासन के स्थान पर असैनिक प्रशासन आ जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या हमने गोआ, दमन और दीव में व्यवस्था के बारे में निर्णय कर लिया है, क्या यह विभिन्न राज्यों के अन्य जिलों की तरह का ही होगा अथवा वहां पर कोई भिन्न व्यवस्था होगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बार बार यह कहा जा चुका है कि ये क्षेत्र भारत के राज्यों के जिलों से पृथक रहेंगे। वर्तमान विचार यह है कि इनको संघ राज्य क्षेत्र माना जाये—इस बारे में सदन में एक विधेयक पेश किया जायेगा। यह भी किसी हद तक एक अस्थायी व्यवस्था है। आन्तरिक व्यवस्था बाद में की जायेगी और निसंदेह उनको संसद् में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। इस सत्र के लिये प्राथमिक निर्वाचक नामावलियां तैयार की जानी है और अन्य कार्य किये जाने हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि एक प्रमुख राजनीतिक दल, अर्थात् गोआ डेमोक्रेटिक पार्टी, ने जनवरी में एक प्रस्ताव पास किया है, कि वे गोआ के लिये स्वायत्तता चाहते हैं ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन्हें स्वायत्तता का तरीका प्राप्त करने का अधिकार है परन्तु प्रश्न है कि कौन सा तरीका ?

†**श्री नाथ पाई** : जब तक इस सदन में उनके निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं आते, गोआ में वहां के प्रशासन के साथ लोकप्रिय रायों के प्रतिनिधियों को सम्बद्ध करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस पर विधेयक पर चर्चा के समय विचार करें।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सालाजार सरकार के साथ लड़ाई में मारे गये व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई पता लगाया गया है, यदि हां, तो क्या उनके परिवार के सदस्यों को कोई पेन्शन आदि देने की व्यवस्था की गयी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस बारे में यहां या दूसरे सदन में एक प्रश्न था। मुझे खेद है कि मुझे ठीक याद नहीं है। *लगभग ३५ पुर्तगाली और २५ भारतीय सैनिक मारे गये और कुछ जख्मी हुए। वहां पर हमारे प्रशासन ने मारे गये व्यक्तियों के सम्बन्धियों को कुछ सहायता दी है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा प्रश्न भिन्न था। गोआ पर कार्यवाही से पूर्व, वर्ष १९५५ से, पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा कई राष्ट्रवादी मारे गये। मैं उन राष्ट्रवादियों के बारे में कह रहा हूं जिन्होंने गोआ में सालाजार शासन के विरुद्ध लड़ाई की।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन व्यक्तियों को पहले भी कुछ सहायता दी गयी थी। उनको भविष्य में भी कुछ सहायता दी जायेगी। मुझे ठीक स्थिति का पता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

*इन आंकड़ों में बाद में शुद्धि की गई। शुद्ध आंकड़े इस प्रकार हैं: पुर्तगाली—मारे गये ४५, घायल हुए ५५; भारतीय—मारे गये २२, घायल हुये ५३। [अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर भी देखिये]।

†**श्री नाथ पाई :** क्या इस समय गोआ में राजनीतिक कारणों से भी कोई व्यक्ति बन्दी हैं ? क्या सरकार को पता है ? बम्बई के समाचारपत्रों में शिकायतें छपी हैं कि कथित राजनीतिक अपराधों के लिये कुछ व्यक्ति अब भी हिरासत में हैं और कैद में हैं । क्या प्रधान मंत्री को इस बारे में कोई जानकारी है ?

†**अध्यक्ष महोदय:** हमारे राज्य के विरुद्ध ?

†**श्री नाथ पाई :** वह स्पष्ट नहीं है परन्तु समाचारपत्रों का कहना है कि कुछ हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे पता नहीं है । मुझे कुछ ऐसा ख्याल है कि वास्तव में उन सभी को छोड़ दिया गया था । यह मैं नहीं कह सकता शायद एक या दो व्यक्तियों को किन्हीं विशेष कारणों से न छोड़ा गया हो ।

पंजाब में रेशम कीट पालन उद्योग

†*८. **श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब की पहाड़ियों में रेशम कीट पालन उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने १९६१-६२ में कितना धन दिया तथा १९६२-६३ में कितना धन देने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार ने पंजाब राज्य में रेशम कीट पालन उद्योग के लिए वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ के लए क्रमशः कुल ४ लाख रुपये और ५.७७ लाख रुपये के व्यय की मंजूरी दी है । पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में रेशम कीट पालन उद्योग के विकास के लिए कोई पृथक आवंटन नहीं किया गया है ।

विभिन्न योजना योजनाओं की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकारों को हर महीने अग्रिम राशि दी जाती है । राज्य सरकारों को देय केन्द्रीय सहायता की मात्रा उस व्यय के आधार पर निर्धारित की जायेगी जो खर्च वास्तव में उन्होंने किया हो और अन्तिम रूप से देय राशि के लिये मंजूरी हर वर्ष मार्च में दी जावेगी ।

†**श्री हेम राज :** क्या यह सच है कि एक जापानी दल ने पंजाब का दौरा किया और सिफारिस की कि शहतूत के वृक्षों को उगाने के लिये कटंगा जिला सर्वाधिक उपयुक्त है ; यदि हां, तो क्या इस बारे में कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** तीन योजनायें मंजूर की गयी हैं :

(१) शहतूत के वृक्षों को उगाने के लिए प्रचार, जिसके लिये वर्ष १९६१-६२ में ४२,००० रुपये की व्यवस्था की गयी है ;

(२) कुलू घाटी में एक रोपण-एवं-प्रदर्शन फार्म की स्थापना ; और

(३) नूरपुर तहसील में एक चौकी संवर्धन केन्द्र की स्थापना ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** आयातित शेल की क्या मात्रा है और भारत कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। पंजाब से वह समूचे भारत को प्रश्न में उठा रहे हैं।

फेनी नदी

†*९. **श्री बांगशी ठाकुर : क्या प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेनी नदी के बारे में, जो त्रिपुरा में सबरूम और पूर्व पाकिस्तान में रामगढ़ की सीमा निर्धारित करती हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई करार हो चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो किसी सन्तोषजनक निर्णय पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) भारत और पाकिस्तान में वार्ता जारी है। इस बारे में कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती कि कब तक करार हो जायेगा।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** क्या यह सच है कि यदि फेनी नदी के विवाद के सुलझाने के बारे में पाकिस्तान की मांग को मान लिया जाये तो कुछ क्षेत्र, जो भारत के अधिकार में है, पाकिस्तान को चला जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं अभी भी प्रश्न नहीं समझ सका हूं परन्तु जैसा मैं समझता हूं, विवाद यह है कि भारत-पाकिस्तान सीमा कहां है, नदी के बीच में या एक ओर। पाकिस्तानियों का दावा है कि समूची नदी उनकी है हमारा दावा है कि सीमा नदी के बीच में होनी चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फेनी नदी की यह समस्या काफी समय से परेशानी पैदा कर रही है और हर बार हमें यही एक जानकारी दी जाती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जा रही है। वर्तमान बातचीत का क्या स्वरूप है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** बातचीत सरकारी स्तर पर की जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह उसका स्वरूप जानना चाहते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** उन का स्वरूप यह है : प्रत्येक दल अपने अपने साक्ष्यों समेत अपना दावा प्रस्तुत करता है। यह बहुत पुराना विवाद है, मूलतः त्रिपुरा प्रशासन और ब्रिटिश इंडिया के बीच का ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** नदियों के सीमांकन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा क्या है ? मैं समझती हूं कि पाकिस्तान के साथ अन्य सभी नदियों की सीमा नदी के बीच में है। इस मामले में अपवाद का क्या कारण है और इस कारण यह मामला उलझा पड़ा है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं अन्तर्राष्ट्रीय वकील के रूप में नहीं बोल सकता। परन्तु मुझे यह उचित लगता है कि सीमा नदी के बीच में स्थित हो, न कि एक ओर। परन्तु इस मामले में विवाद बहुत पुराना है। इसमें कई शाखाएं हैं। स्पष्टतः हम समझते हैं कि सीमा नदी के बीच में हो ।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि काफ़ी समय से बातचीत जिला न्यायाधीश स्तर पर चल रही है और वह सफल सिद्ध हुई है, क्या भारत सरकार केन्द्रीय सरकार के स्तर पर इस मामले को उठाने की इच्छुक है ? यदि हां, तो कब ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : बातचीत चल रही है। केन्द्रीय सरकार को सूचना दे दी जाती है। केन्द्रीय सरकार कभी कभी पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार को लिखती है। परन्तु, वास्तव में, जांच पड़ताल स्थानीय सरकारों अथवा सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा की जाती है। इस बारे में केन्द्रीय सरकार अंधेरे में नहीं है।

कलकत्ता में रेडियो सक्रियता

†*१०. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में हाल में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि कलकत्ता के कुछ वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने २७ जनवरी, १९६२ को कलकत्ता में वर्षा के पानी में रेडियो-सक्रियता की मात्रा की जांच की, पानी में असाधारण रेडियो-सक्रियता पाई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई पूछताछ की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बात का पूरा ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित यह रिपोर्ट देखी है कि जाधवपुर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के एक दल ने २७ जनवरी, १९६२ को कलकत्ता में वर्षा के पानी में रेडियो-सक्रियता में 'कुछ वृद्धि' का पता लगाया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जाधवपुर विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के मुख्य अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार २७ जनवरी, ८ फरवरी और २७ फरवरी, १९६२ को वर्षा के पानी में रेडियो-सक्रियता में असाधारण वृद्धि पाई गई।

आठ केन्द्रों—बम्बई, बंगलौर, कलकत्ता, दिल्ली, गंगटोक, नागपुर, उटाकामण्ड और श्रीनगर—से प्राप्त वायु और वर्षा के पानी में (इकट्ठा किये जाने पर) सक्रियता का क्रमबद्ध अनुमान अणु-शक्ति विभाग द्वारा प्रतिदिन किया जाता है, जिसने जनवरी, १९६२ में कलकत्ता में वर्षा द्वारा सक्रियता में वृद्धि का पता लगाया। तथापि इस वृद्धि से जनता को कोई हानि नहीं हो सकती।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह सच नहीं है कि वैज्ञानिकों ने यह रिपोर्ट दी कि ऊपरी वातावरण में रेडियो-सक्रियता की मात्रा खतरे के बिन्दु तक पहुंचने का भय है और वे अग्रेतर जांच भी कर रहे हैं ? क्या सरकार को पता है कि किस परमाणु परीक्षण से इस रेडियो-सक्रियता में वृद्धि हुई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** अणु शक्ति विभाग में इस रेडियो-सक्रियता को मापने का पूरा प्रबन्ध है। इसमें कई केन्द्र हैं, भारत भर में ८ पूरे पैमाने के केन्द्र और ३० अन्य केन्द्र जहां दूध के नमूनों आदि की जांच की जाती है। वे निरन्तर इन पर ध्यान रखते हैं। और रेडियो सक्रियता के बारे में बहुत ध्यान दिया जाता है। कभी कभी इस में वृद्धि हुई है परन्तु उन के विचार में यह खतरे के स्तर से बहुत नीचे है।

†**श्री नाथ पाई :** हम प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी यह मानते हैं कि रेडियो-सक्रियता में वृद्धि हुई है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि यह किस परीक्षण के कारण हुआ है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह सामान्यत इन परीक्षणात्मक विस्फोटों से संबंधित है । तत्काल कुछ वृद्धि होती है और फिर बाद में यह घट जाती है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : किस देश के परीक्षणों का इस पर प्रभाव पड़ा है । (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री हेम बरुआ :** अधिक चाय पीने से रेडियो-सक्रियता का प्रभाव बहुत खराब पड़ता है (**अन्तर्बाधा**) वैज्ञानिकों ने यही पता लगाया है । क्या सरकार ने इस की जांच की है ?

†**श्री त्यागी :** वह आसाम से आये हैं । (**अन्तर्बाधा**)

बोनस आयोग

†*११. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस काम में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) जी, हां ।

(ख) आयोग ने प्रश्नावली पर विचार करने के लिये बैठकें की हैं जिसको शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने और जारी किये जाने की आशा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या इस बोनस योजना में प्रतिरक्षा, डाक तथा तार, रेलवे और अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने के लिये कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

†**श्री आबिद अली :** जी, नहीं । इन विभागों को बताये जा चुके कारणों से शामिल नहीं किया जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय, श्री नन्दा ने बताया था कि —इस बोनस में नहीं—परन्तु अन्य प्रकार के बोनस में शामिल करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात रद्द कर दी गयी है ।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** यह रद्द नहीं किया गया है—सार्वजनिक क्षेत्र में श्रमिकों को और उन व्यक्तियों को जो किसी अन्य रूप में सरकार में कार्य करते हैं, प्रोत्साहन देना बिल्कुल भिन्न मामला है । यह बोनस आयोग से सम्बन्धित नहीं है ।

†**श्री एन्थनी पिल्ले :** क्या यह सच नहीं है कि त्रिदलीय सम्मेलन में, जिसमें इस आयोग के निदेश-पद बनाये गये थे, उन्होंने श्रमिकों को यह आश्वासन दिया था कि सरकारी समवायों के प्रश्न पर एक पृथक आयोग विचार करेगा जो गैर-सरकारी क्षेत्र से स्पर्धा नहीं करेगा ?

†**श्री नन्दा :** जी, नहीं ।

†**श्री तंगामणि :** यह बोनस आयोग कई महीने बाद स्थापित किया गया था । इस बात को देखते हुए कि कई बोनस के मामले न्यायाधिकरण के समक्ष हैं, जैसा कि बैंक कर्मचारियों के मामले में है, क्या इस आयोग का प्रतिवेदन इस वर्ष के अन्त तक आ जाने की आशा है ।

†**श्री नन्दा :** आयोग का ढांचा इस प्रकार का है कि उस पर यहां से किसी अंकुश की आवश्यकता नहीं है । इस आयोग में श्रमिकों के प्रतिनिधि भी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एन्थनी पिल्ले :** त्रिदलीय सम्मेलन में, जिस में निदेशपद बनाये गये थे, मैं भी उपस्थित था । तब उन सरकारी समवायों का प्रश्न उठाया गया था जो गैर-सरकारी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा नहीं करते और मैं यह समझता हूं कि तब मंत्री महोदय ने यह कहा था कि इस मामले पर अनुकूल रूप से विचार किया जायेगा और ऐसी समवायें जैसे जीवन बीमा निगम के लिये पृथक आयोग नियुक्त किया जायेगा ।

†**श्री नन्दा** : इन कर्मचारियों के बारे में जो भी विचार उचित है वह अनुकूल रूप से किया जायेगा परन्तु यह नहीं है कि एक पृथक बोनस आयोग की नियुक्ति पर विचार किया जाना है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार का ध्यान इस रिपोर्ट की ओर गया है कि इस आयोग में नियोजकों के प्रतिनिधि उतना सहयोग नहीं दे रहे हैं, जितनी उनसे आशा थी और इस आयोग द्वारा आयोजित हाल ही की बैठक में जो भी लोग उपस्थित थे वे केवल श्रमिकों के दो प्रतिनिधि थे ? क्या सरकार इस ओर ध्यान दे रही है कि आयोग का कार्य नियोजकों के असहयोग के कारण शिथिल न पड़ जाये ?

†**श्री नन्दा :** सरकार इस बात के लिये सदैव इच्छुक रही है और रहेगी कि यह आयोग ठीक कार्य करे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस बोनस आयोग योजना में सभी निगमों अर्थात् हैवी इलैक्ट्रीकल्स समेत सभी इस्पात संयंत्रों को शामिल करने के लिये कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

†**श्री आबिद अली :** इस्पात संयंत्र और हिन्दुस्तान शिपयार्ड, भारी इंजीनियरिंग और उर्वरक कारखाने जैसे सभी सरकारी कारखाने निदेश-पद में सम्मिलित हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं यह जानना चाहता था कि हैवी इलेक्ट्रीकल्स---भोपाल कारखाना शामिल किया गया है या नहीं ।

†**श्री आबिद अली :** मैंने अभी हैवी इलैक्ट्रीकल्स का नाम लिया है ।

†**श्री त्यागी :** क्या इस आयोग ने अतिरिक्त उत्पादन के लिये प्रोत्साहन बोनस देने के प्रश्न पर भी विचार किया ? यदि उन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया हो, तो इस बारे में उनके क्या विचार हैं ?

†**श्री नन्दा** : यह कुल निदेश-पद का एक भाग है ।

†**श्री त्यागी :** क्या वे इस से सहमत हो गये ? क्या उन्होंने कोई सिफारिशें कीं ?

†**श्री नन्दा** : राजी होना या न होना आयोग पर निर्भर है । हम ने उन्हें निदेश-पद बता दिये हैं ।

†**अध्यक्ष महादय** : मामले को आयोग को राय के लिये सौंप दिया गया है उनके राजी होने का क्या मतलब है ?

मैसूर में घड़ियों की फैक्टरी

†*१२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर में घड़ियों की फैक्टरी के काम में जापानी विशेषज्ञों ने क्या प्रगति की है ?

---

†मल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

बंगलौर में घड़ी के कारखाने का भवन निर्माण २७ अगस्त, १९६१ को आरम्भ किया गया था । आशा है कि यह काम नवम्बर १९६२ तक पूरा हो जायेगा । घड़ी के कारखाने के लिए अपेक्षित मशीनरी का आर्डर दे दिया गया है और आशा है कि सितम्बर, १९६१ के अन्त तक मशीनें मिल जायेंगी ।

जापानी विशेषज्ञों द्वारा छांटे गये ५२ प्रशिक्षार्थियों का पहला दल जुलाई १९६१ में जापान भेजा गया था तथा उनमें से अधिकांशतः जुलाई/अगस्त १९६२ तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लौट आयेंगे । पहले दल के लौट आने के बाद ५० प्रशिक्षार्थियों का दूसरा दल जापान भेजा जायेगा ।

५४ प्रतिशत देसी सामान लगाकार पुर्जों का वास्तविक निर्माण जनवरी १९६३ तक आरम्भ हो जाने की आशा है । उत्पादन की चतुर्थ श्रेणी में, जिसके दिसम्बर १९६६ तक आने की आशा है, देसी सामग्री से पुर्जों का निर्माण ८५ प्रतिशत से ९० प्रतिशत हो जायेगा ।

भारतीय प्रविधिकों को प्रशिक्षण देने के लिए आयात किये गये पुर्जों से घड़ियों का एकत्रीकरण के जुलाई १९६१ से आरम्भ हो गया है । लगभग १५,००० घड़ियों का एकत्रीकरण मार्च १९६२ के अन्त तक पूरा हो जायेगा । फरवरी १९६१ के मध्य तक ११,४६५ घड़ियों का एकत्रीकरण हुआ है जिनमें से १८७० लेडीज (सुजाता), ४८१५ जैन्ट्स (सिटिज़न) तथा ४७८० जैन्ट्स (जनता) हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह कारखाना कब से चालू हो जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : एकत्रीकरण के द्वारा इस में उत्पादन आरम्भ हो गया है । जनवरी १९६३ से पुर्जों का वास्तविक उत्पादन आरम्भ होगा अर्थात् लगभग १० अथवा ९ महीने बाद ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारत में कितने कारखाने बनाने का विचार है तथा उनका प्रदेशवार वितरण किस प्रकार होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जापानी सहयोग से बंगलौर में सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना है । उसके ब्यौरे मैं बता चुका हूं । दूसरा कारखाना फ्रांसीसी सहयोग से गैर सरकारी क्षेत्र में बम्बई में है । इस में भी उत्पादन आरम्भ हो चुका है । तीसरा कारखाना जर्मन सहयोग से मद्रास में बन रहा है । इसके अतिरिक्त पंजाब में चार छोटे पैमाने के एकक विशेष एकीकरण योजना के अधीन हैं । जिन में से तीन लुध्याने में तथा एक चण्डीगढ़ में है ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या इन घड़ियों की क्षमता के बारे में सरकार को कोई जानकारी है ? ये कैसे काम करती हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अब तक प्राप्त समाचारों के अनुसार यह काम अच्छा कर रही हैं तथा मेरे पास से इनके लिए बहुत मांगें आई हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : चार फैक्टरियां आप ने पंजाब में दे दी हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी फैक्टरी नहीं दी; आखिर यू० पी० से मंत्री महोदय इतने नाराज क्यों हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : वह चार छोटी छोटी फैक्टरियां हैं और वे एक साथ मिल कर काम करेंगी। उत्तर प्रदेश से दरख्वास्त आयेगी तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। वहां से दरख्वास्तें आ रही हैं और एक दरख्वास्त कानपुर के लिए मेरे पास मौजूद भी है और हम उस पर विचार कर रहे हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश का जिक्र आ गया है इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि पश्चिमी बंगाल के नवद्वीप में एक छोटा घड़ी का कारखाना है। क्या उसको केन्द्र ने कोई सहायता दी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रत्येक राज्य के बारे में मैं इस समय नहीं बता सकता हूं। बंगाल का कारखाना 'टाइम पीस' का है। क्लाक तथा वाच बनाने का नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : यह बताया गया कि लगभग १५,००० घड़ियों का एकत्रीकरण मार्च १९६२ तक पूरा हो जायेगा। इन घड़ियों के अच्छी किस्म के होने के कारण मैं जानना चाहता हूं कि क्या मार्च, १९६२ के बाद जब तक नवम्बर में नवनिर्माण नहीं होता है तब तक और भी घड़ियों का एकीकरण होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस वर्ष हम उत्पादन चौगुना कर देंगे तथा अन्त में यह प्रतिवर्ष ४००,००० हो जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस कारखाने में क्लाक भी बनाये जा रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह**: सभा को यह जानकर खुशी होगी कि क्लाक तथा टाइमपीस के बारे में हम आत्मनिर्भर हैं। बल्कि क्लाकों का तो हम निर्यात करते हैं।

†**डा० मा० श्री० अणे** : भारत के इन सभी कारखानों में क्या हाथ की घड़ियां ही बनाई जा रही हैं तथा जेब घड़ी नहीं ? यदि हां तो क्यों ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जेबघड़ी तथा स्टाप वाचेज भी कार्यक्रम में शामिल की जा रही हैं। इनकी मांग कम होने के कारण इनसे लाभ की आशा नहीं है। परन्तु एच एम टी कार्यक्रम में स्टाप वाचेज तथा जेब घड़ी शामिल है।

भारत की उपभोक्ता संस्था[1]

†*१३. { **श्री अगाड़ी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की उपभोक्ता संस्था की गोष्टी द्वारा की गई सिफारिशों पर अब विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में किये गये निर्णय का ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप-मंत्री (श्री सतीश)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है क्योंकि गोष्ठी का पूरा प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Consumers Association.

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सरकार का विचार उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करने का है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** सरकार उस प्रश्न पर लगातार विचार कर रही है तथा इस पर आर्थिक कार्य विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और योजना आयोग में विचार विमर्श किया जा रहा है। बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने के लिये वह समय समय पर उचित कार्यवाही करते हैं।

चाय-उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

†*१४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या उसकी एक मुख्य सिफारिश यह है कि अन्तरिम वेतन-वृद्धि की जाये ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उस पर अमल किया गया है ?

†**श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) से (ग). आसाम तथा पश्चिम बंगाल के चाय बागानों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के संबंध में बोर्ड की सिफारिश की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। दक्षिण भारत के लिये इन्हीं सिफारिशों की प्रतियां ७ दिसम्बर, १९६१ को सभा पटल पर रख दी गई थीं **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३]** ।

(घ) सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** आसाम और पश्चिम बंगाल में अंतरिम सहायता किस तिथि से देने का विचार है ?

†**श्री आबिद अली :** १ दिसम्बर, १९६१ से।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** इसको लागू करने के फलस्वरूप आसाम और पश्चिम बंगाल के चाय उद्योग को कितना प्राक्कलित मासिक व्यय करना होगा ?

†**श्री आबिद अली :** हमने अभी उसकी गणना नहीं की है।

†**श्री त्यागी :** देहरादून घाटी के विभिन्न चाय बागानों को क्यों छोड़ दिया गया ?

†**श्री आबिद अली :** मजदूरों के प्रतिनिधि वहाँ पर हैं। संभवतः इनको देश के पूर्वी भाग अथवा दक्षिणी भाग के लिये मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों में शामिल नहीं किया गया है। अभी तक यह प्रश्न नहीं उठा है।

†**श्री त्यागी :** देहरादून के बारे में मेरे विचार से, विचार किया गया था परन्तु उन्होंने अभी कोई निर्णय नहीं किया है। मुझे यही पता लगा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनको इस सहयोग के विचारार्थ नहीं रखा गया था ?

†**श्री आबिद अली :** मैं समझता हूं कि इनको सिफारिशों में विशिष्ट रूप में शामिल नहीं किया गया।

†**श्री त्यागी :** क्यों नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : इन पर अलग से सिचार किया जायेगा ।

†**श्री हेमराज** : क्या छोटे चाय बागानों पर इसको विचार नहीं करना था ?

†**श्री आबिद अली** : इन क्षेत्रों में स्थित चाय बागान शामिल हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बड़े अथवा छोटे दोनों प्रकार के हो सकते हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच है कि जब यह मजूरी बोर्ड अपनी सिफारिशें कर रहा था उस समय उद्योग ने उनको लिखा था. कि उद्योग द्वारा सिफारिशों पर विचार करने से पूर्व आयोग कृपा करके कुछ करों तथा शुल्कों पर पुर्नविचार हो ? क्या मजूरी बोर्ड ने इस पर विचार कर लिया है ?

†**श्री आबिद अली** : इस बोर्ड को इन मामलों पर विचार नहीं करना है परन्तु यदि उद्योग सरकार से अनुरोध करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है । परन्तु मैं सभा को बताना चाहता हूं कि दक्षिण के रबर बागानों के बारे में उन्होंने सिफारिशों में कहा है कि, सरकार को बढ़ते हुये मूल्यों पर विचार करना चाहिये ।

महात्मा गांधी के जीवन पर फिल्म

†*१५. { **श्री प्र० गं० देव** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक विदेशी फिल्म निर्माता को भारत में महात्मा गांधीं के जीवन पर एक फिल्म बनाने के लिये कोई सुविधा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख) .सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई विदेशी निर्माता भारत में महात्मा गांधी के जीवन पर फिल्म बना रहा है या नहीं । किन्तु इंगलैंड का मेसर्ज रेड लायन नामक प्रतिष्ठान "ए डे इन डार्कनेस" नामक फिल्म बना रहा है और यह फिल्म भी गांधी जी की हत्या पर आधारित है । इस फिल्म निर्माण मे सरकार का कोई हाथ नहीं है और वह इस फिल्म की कहानी से सहमत नहीं है । इस सम्बन्ध में जारी किये गये प्रेस नोट की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **(देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४)** । भारत सरकार के कुछ विभागों ने तथा कुछ राज्य सरकारों ने जहां कहीं शुल्क लेकर सुविधायें दी जा सकती हैं वे सुविधायें उन्हें प्रदान की हैं । इस सम्बन्ध में ब्योरा प्राप्त किया जा रहा है और वह भी यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या सरकार ने इस फिल्म की कहानी और संवाद आदि को अपनी सम्मति दे दी है ?

†**डा० केसकर** : जी, नहीं । फिल्म के निर्माता पहले हमारे पास आये वे चाहते थे कि सरकार फिल्म की कहानी और संवाद आदि पढ़ ले । चूंकि यह फिल्म भारत के इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना पर आधारित थी इस लिये हमने कहानी आदि पढ़ कर देख ली और निर्माताओं

†मूल अंग्रेजी में

को अपनी राय बता दी और तथ्यों के परिवर्तन की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। इस मायने में हमने फिल्म की कहानी और संवाद आदि देखे हैं।

श्री प्र० चं० गं० देव : क्या सरकार ने उन्हें यह बता दिया है कि इस फिल्म का नायक गांधी जी के बजाय गोडसे न हो।

डा० केसकर : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी है। किसी फिल्म मे कोई व्यक्ति प्रधान् पात्र हो या न हो यह तो निर्माता पर निर्भर करता है। मैंने फिल्म की कहानी जो देखी है उससे तो गोडसे कोई अच्छा नायक प्रतीत नहीं होता।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : समाचारपत्रों में इस आशय की काफी शिकायतें प्रकाशित हुई हैं कि इस विदेशी प्रतिष्ठान ने यह फिल्म इस प्रकार बनाई है कि महात्मा गांधी के हत्यारे का चरित्र चित्रण इस प्रकार किया गया है कि हत्यारे का कार्य उतना बुरा नहीं मालूम होता जितना कि वह है और यह भी कि एक भारतीय व्यक्ति को गांधीजी की भूमिका दी गई है और उस ने जिस प्रकार वह अदा की है उस से विषय की प्रतिष्ठा कम होती है। इन सब बातों को देखते हुए मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार ने एक विदेशी प्रयोगकर्ता को इस प्रकार के काम के लिये सुविधायें किस प्रकार दे दीं जबकि हमारे अपने निर्माताओं को इस तरह के अत्यन्त सही और कलात्मक प्रयोग करने के लिये सुविधायें नहीं दी जातीं ?

†**डा० केसकर** : पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्य ने जिस प्रकार के फिल्म निर्माण का उल्लेख किया है उस के लिये भारत का कोई फिल्म निर्माता हमारे पास नहीं आया। दूसरी बात यह है कि इस फिल्म के बारे में राय दी गई थी और पूरा ब्यौरा देने वाला एक उत्तर भी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था और इस उत्तर के साथ संलग्न प्रेस नोट में पूरा ब्यौरा दिया जा चुका है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस विशिष्ट प्रकार की फिल्म के निर्माण के लिये वह सम्मति नहीं दे सकती। साथ ही यह ध्यान में रखना चाहिये कि इस देश में फिल्म बनाने या यों कहा जाये कि फिल्म के दृश्य अंकित करने के लिये अनुमति आवश्यक नहीं होती और हमारा ख्याल था कि इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम निर्माता को जो सलाह दे रहे हैं उस का अच्छा प्रभाव होगा। निर्माता हमारी सलाह पर अमल करे या न करे यह उस की इच्छा पर निर्भर करता है।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या सरकार को महात्मा गांधी के जीवन से सम्बन्धित फिल्म जैसी महत्वपूर्ण फिल्म के निर्माण पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त है और यदि नहीं है तो क्या वह एसी शक्ति प्राप्त करने का इरादा रखती है क्योंकि निर्माताओं की राय में ऐसी फिल्म का प्रचार के लिये दुरुपयोग किया जा सकता है ?

†**डा० केसकर** : पहली बात तो यह है कि जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं, यह फिल्म गांधीजी के जीवन पर आधारित नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम किसी फिल्म के निर्माण पर नियंत्रण नहीं कर सकते सिवाय इस के कि जब कोई फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये बनाई गई हो तो वह सेन्सर बोर्ड को दिखाई जाती है और वह नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करता है। हमें यह शक्ति हो या न हो इस बात पर विचार तो किया जा सकता है।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या सरकार सभा को यह आश्वासन दे सकती है कि वह ऐसी फिल्मों के निर्माण के बारे में सतर्क रहेगी ? उसे फिल्म बनने से पहले सतर्कता बरतनी चाहिये अन्यथा फिल्म बनने के बाद सतर्कता बरतने से कोई लाभ न होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० केसकर** : सार्वजनिक हित में फिल्मों के निर्माण पर नियंत्रण का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जिस में फिल्म निर्माण के अलावा और भी कई प्रश्न जैसे अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य आदि शामिल हैं और इन पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा ।

†**श्री त्यागी** : गांधी जी के जीवन के बारे में बनाई गई फिल्म अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी क्योंकि वह समूचे संसार को प्रभावित करेगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने गांधीजी के चरित्र का दिग्दर्शन, जो लेखकों तक के लिये एक कठिन कार्य है, करने वाली फिल्मों के निर्माण को रोकने के लिये कुछ शक्तियां प्राप्त करने के बारे में विचार किया है या नहीं । ऐसी फिल्मों का बहुत बुरा असर हो सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गांधीजी के बारे में किसी फिल्म के निर्माण को रोकने के लिये तैयार है ?

†**डा० केसकर** : निर्माता को बता दिया गया था कि भारत में फिल्म प्रदर्शित करने से पहले उसे बोर्ड आफ सेन्सर द्वारा पास और स्वीकृत करना आवश्यक है और मुझे विश्वास है कि बोर्ड फिल्म को पास करने से पहले इन सब बातों पर गौर करेगा ।

†**श्री त्यागी** : उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ।

†**डा० केसकर** : इसी सिलसिले में मैं यह भी बता दूं कि जहां तक महात्मा गांधी का सम्बन्ध है, हम बहुत सावधान रहे हैं और गांधीजी के बारे में जो छोटा सा हिस्सा है उस मे उन के प्रति समुचित आदर की भावना है और तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि कुछ अखबारों में निकला था कि इस फिल्म में गांधीजी के जीवन को उस प्रकार नहीं बताया जा रहा है, जिस प्रकार कि बताना चाहिये और इस का शिनेरियो (scenario) और जो दूसरी चीजें तैयार हुई हैं, उन से यह स्पष्ट मालूम होता है ? क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि अखबारों का यह संवाद कि यह फिल्म ठीक नहीं बन रही है, सही है ?

†**डा० केसकर** : जहां तक मुझे मालूम हुआ है, अखबारों में निकली हुई यह बात, जोकि माननीय सदस्य कहते हैं, गलत है । जहां तक मैंने स्क्रिप्ट को देखा है, गांधीजी की हत्या के अलावा गांधीजी के जीवन का कोई अंश इस फिल्म में नहीं आता है ।

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय मंत्री ने कहा कि सेन्सर फिल्म बनने के बाद आवश्यक कार्यवाही करेगा । सेन्सर इतना ही कर सकता है कि अगर फिल्म ठीक न समझी जाये तो देश में उस का प्रदर्शन न होने देगा किन्तु मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या उसे ऐसी फिल्म के विश्व के अन्य भागों में प्रदर्शन को रोकने की कोई शक्ति है ?

†**डा० केसकर** : भारत सरकार किसी फिल्म के निर्माण को नहीं रोक सकती । वास्तव में एक ऐसी फिल्म भी जो भारत के इतिहास के किसी अप्रिय घटना के आधार पर बनाई जाने वाली थी । हम ने निर्माता को अनुमति नहीं दी । किन्तु उस ने वही फिल्म किसी अन्य देश मे बना ली । वह विश्व के अन्य भागों में दिखाई गई । जब तक हम में असाधारण शक्ति न हो तब तक हम ऐसी बातों को रोक नहीं सकते ।

†**श्री त्यागी** : ऐसी फिल्मों से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है । हम गांधीजी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं होने दे सकते ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को इस विषय में बहुत चिन्ता है । सरकार ऐसी फिल्मों के निर्माण में सुविधायें क्यों देती है ?

†**डा० केसकर** : सरकार फिल्मों का निर्माण नहीं रोक सकती । कई आपत्तिजनक फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं ?

†**श्री त्यागी** : हम आप को एसी फिल्मों का निर्माण रोकने के लिये पूरी शक्ति देते हैं । हम गांधीजी के जीवन पर ऐसी कोई फिल्म नहीं चाहते ।

श्री तिरुमल राव उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों को इस विषय में काफी रुचि है । मैं इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा के लिये अनुमति दे सकता हूं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि आधे घंटे के दौरान हम इस पर चर्चा कैसे कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य चाहते हैं कि गांधीजी के बारे में किसी अनुचित फिल्म का इस देश के बाहर भी प्रदर्शन न हो ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आप ठीक कहते हैं लेकिन वे यह कैसे तय कर पायेंगे कि गांधीजी का जो खाका खींचा गया है वह उपहासात्मक है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कहानी और संवाद आदि से ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यानी कि वे कहानी संवाद आदि पढ़ेंगे । वह तो यहां उपलब्ध नहीं है । मेरा सुझाव इतना ही था कि कहानी और संवाद ही नहीं वरन् फिल्म भी कोई योग्य व्यक्ति देखे और हमें अपनी रिपोर्ट दे । वह यहां तो नहीं है, लन्दन में है । माननीय सदस्य पत्रों में निकलने वाले संक्षिप्त समाचारों के सिवा उस के बारे में और जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं ? यह विषय महत्वपूर्ण है लेकिन मेरा मतलब यह है कि सदस्य आधे घंटे में क्या कुछ कर सकते हैं । यह बात मेरी समझ में नहीं आई ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मेरा निवेदन यह है कि इस विषय से कुछ बातें उत्पन्न होती हैं । एक तो यह है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति के लिये चलचित्र निर्माण के लिये फिल्म आयात करना कठिन है । अब यह एक विदेशी व्यक्ति है जो अपने साथ कई तरह की फिल्मे ले आता है---एक ऐसे विषय पर फिल्म बनाने के लिये जो हमारे लिये बहुत प्रिय और पवित्र है और वह एक भद्दी सी फिल्म बना लेता है । समाचारपत्रों में यही आरोप लगाया गया है और यह हमारी सरकार है जो कहती है कि वह किसी विदेशी को यहां आने और आ कर फिल्म बनाने से और फिल्म बन जाने पर संसार में प्रदर्शित करने से रोक नहीं सकती । प्रधान मंत्री कहते हैं कि इस में क्या चर्चा की जा सकती है । सरकार की यह बात नागवार है और प्रधान मंत्री कहते हैं कि इस में चर्चा योग्य कोई बात नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य सरासर गलतफहमी में हैं। मेरा मतलब यह था कि जब तक कहानी, संवाद या फिल्म न देख लिये जायें तो उस के बारे में राय कैसे कायम की जा सकती है। जहां तक मैं जानता हूं यहां उपस्थित व्यक्तियों में से किसी ने—मैं ने या माननीय मंत्री ने भी—फिल्म देखी नहीं है। मेरा मतलब . . .

†**श्री ब्रजराज सिंह** : माननीय मंत्री ने फिल्म देखी है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय मंत्री ने कहानी वगैरा पढ़ी हो लेकिन उन्हों ने फिल्म नहीं देखी है। उन्हों ने कहानी पढ़ी है इस में भी मुझे सन्देह है (**अन्तर्बाधा**)। मेरा मतलब है कि उन के मंत्रालय के किसी व्यक्ति ने देखी हो लेकिन उन्हों ने स्वयं नहीं देखी है। इसलिये मैं ने सुझाव दिया है कि हमें आगे कार्यवाही करने से पहले जांच कर लेनी चाहिये। मेरे लिये यह कहना आवश्यक नहीं है कि गांधीजी के जीवन के बारे में कोई गलत-सलत फिल्म हो तो उसे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को आपत्ति होगी।

†**श्री त्यागी** : फिल्म बनने ही क्यों दी जाये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हो सकता है कि फिल्म में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाये। लेकिन इसमें हम कर ही क्या सकते हैं ? माननीय मंत्री ने अभी यह बताया है कि हम क्या शक्तियां हैं। यदि वे बढ़ानी हैं तो उन पर हमें अलग से विचार करना चाहिये। अभी तो सवाल इस विशिष्ट फिल्म का है। हम इस के बारे में जांच कर लें और तभी मंत्रालय या यह सदन आगे क्या कार्यवाही की जाये यह सोच सकता है।

†**श्री त्यागी** : हमारा निवेदन है कि इस प्रकार की फिल्मों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। ऐसी फिल्में बनाने से कोई लाभ नहीं है (**अन्तर्बाधा**)।

†**श्री केशव** : जब ऐसी फिल्मों के लिये सुविधायें मांगी जायें तो वे न दी जायें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य पूरी जानकारी हासिल किये बग़ैर कोई राय कैसे जाहिर कर देते हैं। मेरी सलाह यह है कि पहले तथ्यों का पता लगाइये और बाद में अपनी राय जाहिर कीजिये।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या माननीय मंत्री आश्वासन देंगे कि फिल्म निर्माण पूरा हो जाने तक याने जब उसके बारे म हम कुछ न कर सकेंगे, यह जांच पड़ताल स्थगित न की जायेगी ?

†**डा० केसकर** : स्वयं निर्माता ने हम से फिल्म देखने और राय देने के लिये कहा है किन्तु जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा कि फिल्म इस समय लन्दन में है। यदि निर्माता उसका प्रदर्शन विश्व में करना चाहे तो हम उसे रोक नहीं सकते। हम निर्माता को वही सलाह देंगे जिस पर अमल करना उसके लिये लाज़िमी हो।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। प्रश्नकाल समाप्त हो गया। मैं इस विषय पर चर्चा न होने दूंगा।

†**श्री अ० मु० तारिक** : यह बात काफी अहमियत रखती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब इस विषय पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री अ० मु० तारिक : क्या यह दुरुस्त है कि जब उन्होंने इसको नहीं पढ़ा तो क्या उन्होंने इस फिल्म कम्पनी को गांधीजी के जनाज़े का सीन लेने की इजाज़त दी थी ? क्या यह भी दुरुस्त है कि जब यह सीन लिया जा रहा था तो बम्बई का सारा ट्रैफिक ६ घंटे के लिए रोक दिया गया और जिन लोगों को प्रोसेशन में दिखाया गया है, पूरे मेक-अप के साथ दिखाया गया है, विद लिप स्टिक वगैरह दिखाया गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि जिस वक्त गांधी जी के जनाज़े का सीन लिया जा रहा था तो क्या इनफार्मेशन मिनिस्ट्री का कोई अफसर वहां मौजूद था ?

†गांधी जी की शवयात्रा में शामिल लोगों के होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी । मैं ने इसे देखा है ।

डा० केसकर : कोई फिल्म किसी भी तरह की इस मुल्क में बने, उसकी सुपरविज़न का काम मुल्क के हर कोने में गवर्नमेंट आफ इंडिया देख नहीं सकती है और न ही कर सकती है । यह काम फिल्म बनने के वक्त में नहीं हो सकता है । यह चीज़ किसी भी हालत में मुम्किन नहीं है ।

श्री त्यागी : गांधी जी का तमाशा बने, यह चीज़ गलत है । मैं फिर अर्ज़ करना चाहता हूं कि उनका तमाशा नहीं बनना चाहिए । उनका तमाशा बनाना गलत है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह सीधी सी बात है । समझ में नहीं आता है कि किसी भी मामले का बगैर वाकात जाने तस्फिया कैसे कर लेते हैं । मेरी जितनी भी ट्रेनिंग हुई है उसमें मैंने यह सीखा है कि फैक्ट्स को जान लो फिर जो चाहे राय बनाओ । श्री त्यागी तस्फिया कर लेते हैं बगैर जाने कि क्या चीज़ है ।

श्री त्यागी : आपकी ट्रेनिंग विलायत की है, मेरी इंडिया की है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि गांधी जी का तमाशा नहीं होना चाहिए चाहे कैसी भी फिल्म हो । गांधी जी की कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : त्यागी जी ने कैसे समझा कि वह तमाशा है ? हमें पहले जानना चाहिए कि चीज़ क्या है ? बिना जाने कैसे समझ लेते हैं कि तमाशा है । मेरी खुद राय है कि जैसे आपने कहा ज़रा भी गांधी जी की शान के खिलाफ, हिन्दुस्तान की शान के खिलाफ कोई चीज़ हो, तो उसको दबाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए । लेकिन मैं नहीं तैयार हूं कोई राय देने के लिए उस पर जो एक अखबार वाले ने लिख दिया । आप जांच करवा कर अपनी राय कायम कीजिये, हाउस कायम करे तब किसी फैसले पर पहुंचिये । अखबार अक्लमन्द या बेवकूफ कुछ कह दे, तो यह गलत मालूम होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तिब्बती शरणार्थी

†*१६. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में कुल कितने तिब्बती भारत आये;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) उनमें से कितने बसाये जा चुके हैं और कहां पर; और

(ग) भारत में तिब्बतियों की बढ़ती हुई संख्या को और देश में पुनर्वास की कम गुंजाइश को देखते हुए क्या सरकार का तिब्बती आप्रव्रजन पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) ५,४२१.

(ख) कुल मिला कर ८,९०० तिब्बती शरणार्थी बसा दिये गये हैं अथवा बसाये जा रहे हैं। आंकड़े इस प्रकार हैं :—

मैसूर . . .	३,०००
नैफा . . .	५,०००
जम्मू तथा काश्मीर .	९००
	८,९००

इनके अतिरिक्त लगभग ९,००० शरणार्थी सड़क निर्माण कार्यों पर नियुक्त हैं तथा लगभग ८०० विभिन्न दस्तकारी तथा व्यापारिक कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि

†*१७. **श्री अगाड़ी** : क्या **प्रधान मंत्री** २ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि करने की दिशा में अन्तिम रूप में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) वह विस्तार से क्या है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) और (ख). कराची में भारतीय उच्चायुक्त, सरकारी तौर पर प्रत्यर्पण संधि को अन्तिम रूप देने के प्रश्न को उठा रहे हैं। उच्चायुक्त ने स्वयं पाकिस्तानी अधिकारियों को याद दिलाया है। पाकिस्तान सरकार ने हाल मे ही यह उत्तर दिया है कि 'मामले पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है'। उनके अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानियों का घुस आना

†*१८. { **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्री प्र० चं० बरुआ** : **श्री प्र० गं० देव** : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानियों का एक दल सशस्त्र पाकिस्तानी पुलिस की सहायता से १० जनवरी, १९६२ को जलपाईगुडी जिले के भारतीय क्षेत्र में घुस आया;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इन अवैध रूप से आने वालों को गिरफ्तार किया गया था; और

(ग) इस मामले में और क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) ६ तथा ६ जनवरी, १९६२ के बीच इस क्षेत्र से कुछ घटनाओं की रिपोर्ट मिली थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राज्य सरकार से तथा राजनैतिक स्तर पर विरोध पत्र भेज दिये गये हैं ।

भारतीय उद्योग मेला

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल हुए भारतीय उद्योग मेले में किन किन देशों ने भाग लिया;

(ख) क्या सहयोगी देशों को उनके मंडपों पर श्रेष्ठता पारितोषिक भी प्रदान किया गया;

(ग) यदि हां, तो किस देश के मंडप को सर्वोत्तम घोषित किया गया; और

(घ) क्या उक्त प्रकार के पारितोषिक भारतीय सहयोगियों को भी दिये गये; यदि हां तो किन किन उपक्रमों को दिये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १९ देशों, जिनके नाम विवरण (१) में दिये गये हैं, ने उद्योग मेला, १९६१ में भाग लिया था ।

(ख) जी नहीं, केवल भाग लेने के प्रमाण-पत्र दिये गये ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) भारतीय भाग लेने वालों को दिये गये इनामों के व्योरे विवरण (२) में दिये गये हैं ।

विवरण (१)

भारतीय उद्योग मेले में भाग लेने वाले देशों के नाम :—

क्रम संख्या	देश का नाम
१	आस्ट्रिया
२	बल्गारिया
३	चैकोस्लोवाकिया
४	फ्रांस
५	जर्मन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक
६	हंगरी
७	इटली

†मूल अंग्रेजी में

क्रम संख्या	देश का नाम
८	जापान
*९	मोरक्को
१०	नार्थ विएतनाम
११	पोलैंड
१२	रूमानिया
*१३	स्विटज़रलैंड
१४	संयुक्त अरब गणराज्य
१५	ब्रिटेन
१६	अमरीका
१७	रूस
१८	फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी (पश्चिम जर्मनी)
१९	यूगोस्लाविया

* इन देशों के प्रतिनिधि उन देशों के ग़ैर-सरकारी उद्योगपतियों के हैं।

विवरण (२)

भवन निर्माण कला :

(एक) १०,००० वर्ग फुट से अधिक

१. टाटा उद्योग मंडप।

२. बिड़ला उद्योग मंडप।

(दो) १०,००० वर्ग फुट से कम

१. डाल्मिया सीमेंट लिमिटेड।

२. दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स।

प्रदर्शन :

(एक) १०,००० वर्ग फुट से अधिक

१. हमारा भारत मंडप

२. अखिल भारतीय हाथ करघा बोर्ड का मंडप।

(दो) १०,००० वर्ग फुट से कम

१. आल इंडिया आटोमोबाइल एण्ड एन्सीलैरी इंडस्ट्रीज एसोसियेशन लिमिटेड।

२. आसाम राज्य।

उद्योग में कला

(एक) १०,००० वर्ग फुट से अधिक

१. अखिल भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड।

२. गुजरात राज्य।

(दो) १०,००० वर्ग फुट से काम

१. बंगाल पोटरीज़ लिमिटेड
२. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ।

उदयपुर में जस्ता गलाने का कारखाना

†२. **श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के उदयपुर नगर में स्थापित किये जाने वाले जस्ता गलाने के कारखाने का उद्घाटन किया जा चुका है, और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). नींव का पत्थर रख दिया गया है तथा निर्माण कार्य आरंभ हो गया है ?

एन्ड्रयूज गंज, नई दिल्ली, में 'एच' टाइप क्वार्टर

†३. **श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये बचत मापदंडों को ध्यान में रखते हुए एंड्रयूजगंज और श्रीनिवासपुरी इत्यादि में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए निर्मित 'एच' टाइप क्वार्टरों का कुल क्षेत्रफल और क्षमता प्रेमनगर और सेवानगर के क्वार्टरों से कम रखी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वच्छता और स्वास्थ्य के न्यूनतम मापदंड को ध्यान में रखा गया है ;

(ग) ऐसे क्वार्टरों में अधिकतम कितने व्यक्ति रह सकते हैं ;

(घ) क्या अभी हाल से सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि उनसे लगे हुए बरामदों पर छत डाल कर उनमें सुधार किया जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

निर्माण आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रत्येक क्वार्टर लगभग पांच सदस्यों के परिवारों के लिए हैं ।

(घ) और (ङ). चतुर्थ श्रेणी के वर्तमान क्वार्टरों के बरामदों पर छत डालने का कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु उनको दो कमरों के क्वार्टरों में अधिक स्थान देने पर विचार किया जा रहा है ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†४. **श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २८ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७६४ के उत्तर के सम्बन्ध मेंयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दो कमरों के क्वार्टरों के निर्माण के प्रस्ताव पर तब से अन्तिम निश्चय किया जा चुका है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दो कमरों के क्वार्टरों का निर्माण कहां किया जायेगा; और

(ग) उक्त प्रकार के कितने क्वार्टरो का निर्माण किया जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** (क) से (ग). चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दो कमरों के क्वार्टर बनाने के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप देना है ।

"गोआ में कार्यवाही"

†५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में गोआ को आज़ाद कराने की कार्यवाही में दोनों ओर ज़ख्मी हुए लोगों की क्या संख्या है; और

(ख) इस कार्यवाही में कितने पुर्तगालियों को बन्दी बनाया गया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) पुर्तगालियों के ४५ व्यक्ति मरे, ५५ घायल हुए तथा एक गुम हो गया था। जिसको मृत मान लिया गया। भारत की ओर २२ व्यक्ति मरे तथा ५३ घायल हुए।

(ख) ४५७० ।

चीन और पाकिस्तान में सीमा सम्बन्धी बातचीत

†६. **श्री दी० चं० शर्मा** . क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की चीन के साथ सांझी सीमा का परिसीमन करने की कार्यवाही की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां ।

(ख) स्पष्ट है कि भारत सरकार पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा किये गये जम्मू तथा काश्मीर के भाग की सीमाओं का अंकन करने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच बातचीतों को वैध नहीं मानती है ।

रूस द्वारा बनाये गये मानचित्रों में सिक्किम और भूटान को स्वतन्त्र राज्य दिखाया जाना

†७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस द्वारा बनाये गये मानचित्रो में सिक्किम और भूटान के स्वतन्त्र राज्य दिखाये जाने के बारे में आधुनिकतम स्थिति क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** रूस सरकार ने अपने नक़शों में चीन-भारत सीमा का गलत अंकन करने के बारे में हमारे अभ्यावेदन का कोई उत्तर नहीं दिया है परन्तु रूसी एटलस "मीरा" का नया संस्करण १९५९ के बाद से नहीं निकला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जिला रायचूर (मैसूर) में सूत कातने की मिलें

†८. **श्री अगाड़ी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के रायचूर जिले में एक सहकारी सूत कातने का कारखाना चालू करने के लिए लाइसेंस देने के मामले में निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो निर्णय में देरी का क्या कारण है ;

(घ) क्या सहकारिता के आधार पर तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में सूत कातने की मिलों को आरम्भ करने के लिए लाइसेंस देने के सम्बन्ध में अग्रेतर प्रस्ताव मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके व्योरे क्या हैं तथा क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) से (ङ). तीसरी योजना में सूत कातने की मिलें स्थापित करने के लिए सभी राज्यों से बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र मिले हैं। राज्य सरकारों तथा कपड़ा आयुक्त के परामर्श से इन सब पर विचार हो रहा है। मैसूर राज्य से राज्य सरकार ने १० आवेदन-पत्र की सिफारिश की है, जिनमें से दो सहकारी सूत कातने की मिलों के बारे में है तथा शेष गैर-सरकारी व्यक्तिय की हैं; आशा है कि इन सभी आवेदन-पत्रों पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

ग्यान्त्से (तिब्बत) में भारतीय व्यापार अभिकरण की इमारत

†९. {**श्री अगाड़ी**:
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या **प्रधान मंत्री** २ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यान्त्से (तिब्बत) में भारतीय व्यापार अभिकरण की इमारत के निर्माण में चीनियों द्वारा जो रुकावटें पैदा की गयी थीं, उनका उपचार कर लिया गया है और इमारत बनाने का कार्य चालू कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो चीनियों की आपत्ति विस्तार से क्या है ;

(ग) क्या उसका कोई निर्णय हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस इमारत के निर्माण पर खर्च की जाने वाली राशि का अनुमान क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) जी नहीं।

(ख) ग्यान्त्से में भारतीय व्यापार अभिकरण के निर्माण के सम्बन्ध में अभी कोई प्रगति नहीं हुई है तथा उसके कारण वही हैं जो मैंने १ दिसम्बर, १९६१ को अतारांकित प्रश्न संख्या १०२२ के उत्तर में बताये थे। यद्यपि तब से किराये के निवास-स्थानों के पट्टे बना लिये गये हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु चीनियों ने पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की सीमायें निर्धारित करने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है जबकि इस पर दोनों पक्षों में सन्तोषजनक समझौता हो गया था।

(ग) क्योंकि व्यापार अभिकरण के निर्माण में चीनियों द्वारा कठिनाइयां उपस्थित की गई हैं इसलिये भारत सरकार यह बताने में समर्थ नहीं है कि यह कठिनाइयां कब तक दूर हो जायेंगी।

(घ) क्योंकि निर्माण व्यय के प्राक्कलन पट्टे तैयार हो जाने के बाद बनाये जाने हैं इसलिए निश्चित धनराशि नहीं बताई जा सकती है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बिना किराये के मकान

†१०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(अ) क्या नयी दिल्ली के कुछ सरकारी कार्यालयों अथवा विभागों के सरकारी कर्मचारियों को बिना करिाये के मकान उपलब्ध होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो जिन विभागों के कर्मचारियों को इस प्रकार के बिना किराये के उपस्कृत अथवा अनुपस्कृत मकान दिये जाते हैं, उनके नाम क्या हैं; और

(ग) बिना किराये के मकान को जिस आधार पर अलाट किया जाता है उनका निर्णय जिस दृष्टि से किया जाता है वे सिद्धान्त क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी):** (क) से (ग). द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अब बिना किराये के मकान देने की रियायत उन्हीं कर्मचारियों के लिए स्वीकार की जाती है जिनके पद के कार्य तथा शर्तें इस प्रकार की हों कि उनको विशेष वेतन अथवा ऊंचा वेतन क्रम दिया जा सके इसीलिये उनको बिना किराये के मकान देने की रियायत दी जाती है। यह सिद्धान्त केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में समान रूप से लागू हैं। बिना किराये के मकान सामान्यतः (अनफर्निश्ड) दिए जाते हैं परन्तु अधिकारी की नियुक्ति की शर्तों में यदि फर्निश्ड की व्यवस्था हो तो उसको वैसा मकान मिलता है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बिना किराये के मकान

†११. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नयी दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिये जाने वाले बिना किराये के कुछ मकान हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कहां हैं और इनकी संख्या क्या है ;

(ग) इस प्रकार के मकानों को अलाट किये जाने का निर्णय सामान्यतः जिन सिद्धान्तों पर होता है वे क्या हैं ;

(घ) क्या नये अलाटियों को बिना किराये के ये मकान अलाट नहीं किये जाते; और

(ङ) यदि हां, तो क्यों ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** (क) से (ङ). चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बिना किराये के मकान देने के लिये अलग एक भी क्वार्टर नहीं रखा जाता है। यह रियायत उन पदों पर आरूढ़ व्यक्तियों को दी जाती है जो ऊंचे वेतनक्रम अथवा विशेष वेतन के अधिकारी होते हैं। उपरोक्त शर्त के अधीन जो लोग नहीं आते हैं उनसे यह रियायत वापस ले ली गई है। परन्तु जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी इस रियायत का उपभोग १ अक्तूबर, १९५२ से पहले से कर रहे हैं उनको यह रियायत तब तक के लिए दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है जब तक वह चतुर्थ श्रेणी में रहते हैं तथा उसी मकान अथवा उसी श्रेणी के अथवा उससे नीची श्रेणी के मकान में रहते हैं।

चाय उद्योग

†१२. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष भारत के चाय उद्योग को प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियों पर सरकार ने कुल कितनी राशि खर्च की ;

(ख) इन वर्षों में लंका में चाय के विकास पर जो खर्च हुआ है यह राशि उसके मुकाबले में कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियों को बढ़ाने का है ताकि हम विदेशों में लंका के मुकाबले में सस्ती चाय बेच सकें; और

(घ) यदि हां, तो यह किस सीमा तक है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)**: (क) और (ख). चाय की आन्तरिक खपत बढ़ाने के कार्यों पर व्यय किया गया धन नीचे दिया जाता है :—

	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१
(१) भारत .	१०,७०,००४	१३,००,२१३	१७,८३,५३३	१०,००,०८१	५,३४,४४९
(२) लंका . .	३,२९,०२५	२,९९,८९५	२,६६,८०८	२,७६,४७८	२,६५,५०८

(ग) और (घ). भारतीय चाय बोर्ड ने निर्यात के लिये चाय संवर्द्धन पर मुख्य बल देना शुरू कर दिया है। १९६०–६१ में लगभग ३२ लाख रुपया व्यय हुआ था इस आधार पर १९६१–६२ में व्यय के पुनरीक्षित प्राक्कलन अनुमानतः ५५ लाख रुपये आते हैं। अगले वर्ष के लिए इससे भी बड़ी धनराशि का आय-व्ययक बनाया गया है।

पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबन्ध

†१३. **श्री अगाड़ी: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने हाल में कुछ भारतीय फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन भारतीय फिल्मों की संख्या और नाम ;

(ग) क्या कोई विरोध प्रकट किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). पाकिस्तान सरकार ने आगामी पांच वर्षों के लिये पाकिस्तान में सभी भारतीय फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। अब तक आयात हो चुकी भारतीय फिल्मों के पाकिस्तान में प्रदर्शन के प्रमाण-पत्र वापस ले लिए गये हैं।

(ग) और (घ). पाकिस्तान में अपने उच्चायोग को उपयुक्त विरोध-पत्र देने के आदेश दे दिए हैं।

पंजाब की पहाड़ियों के लिये विशेष योजनाएं

†१४. **श्री हेम राज** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों की वे विशेष योजनायें क्या है जिन्हें १९६१–६२ में पंजाब की पहाड़ियों में क्रियान्वित किया गया है और उन पर कितना रुपया खर्च किया गया है; और

(ख) १९६२–६३ में पंजाब की पहाड़ियों में ऐसी योजनाओं पर कितना रुपया खर्च किया जाना है ?

†**योजना उप-मंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) और (ख). जानकारी उपलब्ध नहीं है।

हतिया में भारी इंजीनियरिंग परियोजना

†१५. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हतिया में भारी इंजीनियरिंग परियोजना के लिये विभिन्न प्रकार की भूमियों के लिये जो भूमिधारियों से ली जा रही हैं, प्रतिकर की क्या दर निश्चित की गई है और दी गई है ;

(ख) क्या प्रतिकर की दर निश्चित करते समय भूमि के अत्यधिक मूल्यों और भूमि सुधार के कारण इसके उपलब्ध न होने की स्थिति को ध्यान में रखा गया है ;

(ग) क्या किसी भूमिधारी पर मुकदमा चलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनों पर और उस के कारण क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). हतिया की हैवी इंजीनियरिंग प्रौजैक्ट के लिए भूमिका अर्जन तथा जमींदारों को प्रतिकर देने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। प्रतिकर की दर के बारे में राज्य सरकार ने अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है।

काश्मीर का भारत संघ में प्रवेश

†१६. **डा० सामंत सिंहार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में काश्मीर के भारत संघ में प्रवेश के बारे में प्रकाशित तथ्यों को ठीक करने के लिए, विशेष कर एन्साइक्लोपीडिया अमेरिकाना १९६१ में, कोलम्बिया एन्साइक्लोपीडिया, वर्ल्ड बुक १९६१ में और टाइम पत्रिका में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कुछ समय पहले वाशिंगटन में हमारे राजदूत ने इन एनसाइक्लोपीडिया के सम्पादकों को ब्योरेवार पत्र भेजे थे जिन में उन

†मूल अंग्रेजी में

की पत्रिकाओं में काश्मीर के लेखों में स्पष्ट गलतियां बताई गई थीं । हमारे राजदूत ने सम्पादकों को भारत के काश्मीर में मिल जाने के ठीक तथ्य भी बताये थे । हमारे राजदूत ने सम्पादकों से कहा है कि इन पत्रिकाओं के भविष्य के संस्करणों में उपयुक्त परिवर्तन करने के बारे में भी विचार करें ।

हमारे राजदूत, अन्य अमरीकी पत्रिकाओं में काश्मीर से सम्बन्धित ग़लत लेखों के बारे में भी यही कार्यवाही करते हैं ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की चर्चा की थी जिस की अनुमति आपने नहीं दी । अनुमति न देने के कारण मैं जानना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय:** यह एक ऐसा मामला है जिस की चर्चा स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं की जा सकती । यदि वह कोई तथ्य मालूम करना चाहते हैं तो प्रश्न पूछें । माननीय सदस्य का कहना है कि वर्तमान चुनावों के परिणामस्वरूप केरल की सरकार समाप्त कर देनी चाहिये और उसके स्थान पर नई सरकार की नियुक्ति करनी चाहिये ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैंने यह नहीं कहा था । मेरा स्थगन प्रस्ताव तो केवल सरकार की असफलता के बारे में है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** यह बात तो उपलब्ध को गलत तरह से प्रयोग करने वाली है । यह तो अपने दल का प्रचार का एक तरीका है । और यह तरीका ऐसा है जिसका विरोध करना चाहिये । इस बात का स्थगन प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मामला स्थगन प्रस्ताव का नहीं है । वहां पर सरकार है और यदि किसी को उस सरकार के खिलाफ कोई आपत्ति है तो वहां की विधान सभा इस बारे में कोई निर्णय करेगी । इस प्रकार के मामले यहां उपस्थित करने में कोई उद्देश्य नहीं हैं । यदि वहां की सरकार के विरुद्ध कुछ कहना है तो उसके लिये यहां बहुत से अवसर हैं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : इस प्रकार के मामले यहां उपस्थित किये गये हैं और उस के पूर्वोदाहरण भी हैं । यदि प्रधान मंत्री अनुमति दें तो मैं उनका उल्लेख करूं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-केन्द्र) : संविधान के अनुच्छेद २५६ के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उन महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में सूचित कर सकती है और निदेश दे सकती है जोकि वह आवश्यक समझें । मेरा निवेदन यह है कि इस संसद की अवधि समाप्ति पर है अतः हमें कुछ ऐसी परम्पराओं को अपनाना चाहिये जो देश में लोकतंत्र के विकास करने में सहायक हों । मेरा अभिप्राय तो यह है कि यदि जनमत की भावना को रखने के लिये आवश्यक हो तो दुबारा भी चुनाव कराया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय:** फिर भी यह मामला स्थगन प्रस्ताव का नहीं है । यदि माननीय सदस्य का विचार यह है कि संविधान का उल्लंघन हुआ है तो वह इस मामले को उचित प्रस्ताव के द्वारा सभा के समक्ष प्रस्तुत करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्यवाही में हताहत व्यक्तियों सम्बन्धी प्रश्न में उत्तर की शुद्धि

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** प्रश्न काल के दौरान में गोआ अभियान के समय हुए हताहतों की संख्या मालूम करने के लिए एक प्रश्न पूछा गया था । आज सभा में इस सम्बन्ध में एक अतारांकित प्रश्न भी पूछा गया है जिस में उन हताहतों की संख्या दी गई है । यदि आप कहें तो मैं उस का उत्तर पढ़ दूं । मैं अपने वक्तव्य में शुद्धि करना चाहता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): हमारी विजय से पूर्व लड़ाई में हमारे कितने व्यक्ति उन के द्वारा मारे गये थे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पुर्तगाल के ४५ व्यक्ति मारे गये, ५५ घायल हुए और एक व्यक्ति लापता है जिस के बारे में अनुमान है कि वह भी मारा गया है जबकि भारत के २२ व्यक्ति मारे गये और ५३ घायल हुए ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मैंने हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० भूपाल के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी जिस की अनुमति आप ने नहीं दी । मैं अनुमति न देने के कारण जानना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार से ज्ञात हुआ है कि वह हड़ताल अब समाप्त हो गई है ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** वह हड़ताल समाप्त हो गई है और वहां काम पूरी रफ्तार से शुरू हो गया है । इस सम्बन्ध में मैं एक वक्तव्य कल दूंगा ।

†**श्री खुशवक्त राय**(खेरी): बिहार तथा उत्तर प्रदेश में अनपेरे गन्ने के बारे में मैं ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । आप ने उस की अनुमति नहीं दी। मेरा आप से निवेदन है कि आप उसे अत्यन्त लोक महत्व की ओर ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव समझें ।

†**अध्यक्ष महोदय:** आप इस की उचित रीति से सूचना दें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

समवाय (केन्द्रीय सरकार का) सामान्य नियम और प्रपत्र (चतुर्थ संशोधन) नियम, कपड़ा उद्योग (हथकरघा द्वारा उत्पादन) नियन्त्रण संशोधन आदेश और रबड़ (प्रथम संशोधन) नियम ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : श्री नित्यानन्द कानूनगो की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४०८ में प्रकाशित समवाय (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र (चौथा संशोधन) नियम १९६१ की एक प्रति ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८२० में प्रकाशित वस्त्र (हथकरघे द्वारा उत्पादन) नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६१ की एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पण सहित ।

(३) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०६ में प्रकाशित रबड़ (पहला संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई : देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ३४८५/६२, एल० टी० ३४८६/६२ और एल० टी० ३४८७/६२ ।]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम, अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचना, प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन तथा सरकारी संकल्प ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १३ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५८ में प्रकाशित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा (३) की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १७ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या सी० एच० (आई)-१८ (१) / ६२ में प्रकाशित अखबारी कागज़ नियंत्रण आदेश १९६२ ।

(ख) दिनांक २० जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या सी० एच० (१)—१८(१)/६२ ।

(३) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०५ में प्रकाशित केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(४) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) कास्टिक सोडा, क्लोरिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर के उचित बिक्री मूल्यों के पुनरीक्षण के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१) ।

(ख) दिनांक ३१ जनवरी, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या सी० एच० (आई)—१५ (४१) / ६१ ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[पुस्तकालय में रखी गई : देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ३४८८/६२, एल० टी० ३४८९/६२ एल० टी० ३४९०/६२, और एल० टी० ३४९१/६२।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं तथा सरकारी संकल्प

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ३०-क के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) नियम १९५० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५१२।

(ख) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की जी एस० आर० संख्या २१३।

(२) लोहा और इस्पात उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड स्थापित करने वाले दिनांक ५ जनवरी, १९६२ के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू वी—११ (आई) / ६१ की एक प्रति।

(३) रबड़ बागान उद्योग के बारे में मजूरी में अन्तर्कालीन वृद्धि करने के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की एक प्रति :

[पुस्तकालय में रखी गई : देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ३४९२/६२, एल० टी० ३४९३/६२ और एल० टी० ३४९४/६२)

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं वर्ष १९६१–६२ के आय व्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें—(रेलवे), १९६१–६२

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: मैं वर्ष १९६१–६२ के आय व्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

एकसौ उन्वासवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के बारे में प्राक्कलन समिति के छियासीवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का एक सौ उन्वासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

रेलवे आय व्ययक १९६२-६३

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगजीवन राम :

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवनराम) : उपाध्यक्ष महोदय, मानित प्राप्तियों और खर्च का वित्तीय विवरण सदन में पेश करने के लिए खड़ा हूं ।

माननीय सदस्य जानते हैं कि १९६२–६३ से सम्बन्धित पूरे वर्ष के लिए अनुदान की मांगों की स्वीकृति नयी संसद् पर छोड़ी जा रही है जिसका अधिवेशन शीघ्र आरंभ होगा । इसलिये मैं सदन से केवल उतनी ही रकम की स्वीकृति चाहता हूं जो आगामी वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों के अनुमानित खर्च के लिए ज़रूरी हो । लेकिन ऐसे वर्षों की प्रचलित प्रथा के अनुसार इस बार भी वित्तीय विवरण में वर्तमान भाड़े-किराये और लागत के आधार पर पूरे वर्ष का अनुमानित खर्च शामिल कर लिया गया है । पूरे वर्ष की स्थिति इस उद्देश्य से बतायी गई है, ताकि वर्ष के पहले तीन महीनों के लिए अनुपातत: खर्च स्वीकार करने में यथासंभव सुविधा हो । १९५२–५३ और १९५७–५८ में बजट पुस्तिकाओं के साथ सदन को एक श्वेत-पत्र भी दिया गया था । उसी परिपाटी के अनुसार इस बार भी बजट पुस्तिकाओं के साथ माननीय सदस्यों को एक श्वेत-पत्र दिया जा रहा है जिसमें पिछले कुछ वर्षों में (प्राय: १९५१ से लेकर देश के योजनाबद्ध विकास-काल में) रेलवे की गतिविधियों और सफलताओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है । इसके अलावा उसमें अधिकतर वे सभी विषय भी शामिल हैं जिनकी आमतौर पर बजट-भाषण में चर्चा की जाती है । इसलिये यहां मैं केवल रेलवे वित्त, उसके परिचालन और प्रशासन से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण बातों की ही चर्चा करूंगा ।

इस अवसर पर सामान्यत: पिछले पूरे वर्ष और चालू वर्ष की वित्तीय स्थिति और आगामी वर्ष के प्रत्याशित वित्तीय परिणामों का उल्लेख किया जाता है । १९६०–६१ सबसे बाद का वर्ष है जिसके पूरे लेखे उपलब्ध है । १९६०–६१ में राजस्व लेखे की बचत ३२.०१ करोड़ रुपये रही, जो संशोधित अनुमान से १७.९८ करोड़ रुपये अधिक है । बचत में वृद्धि जिन कारणों से हुई वे इस प्रकार हैं : (१) १.७ करोड़ रुपये की आकस्मिक वृद्धि पेंशन-योजना के सम्बन्ध में हुई जिसका कारण यह है कि जितना अनुमान लगाया गया था उससे अधिक कर्मचारियों ने राजकीय रेलवे निर्वाह निधि के बदले निवृत्ति लाभ की पेंशन-योजना को अपनाया । इसके फलस्वरूप राजकीय रेलवे निर्वाह निधि लेखे में सरकारी अंशदान की अपेक्षाकृत अधिक रकम सरकार के जमा-खाते में वापस आयी; (२) राजस्व लेखे से होने वाले कार्यों पर लगभग ३.३३ करोड़ रुपये कम खर्च हुए और (३) साधारण संचालन व्यय में कई कारणों से कमी हुई : जैसे खर्च घटाने के लिए कुछ उपाय बरते गये थे । संशोधित अनुमान तैयार करते समय उनके प्रभाव का जो अन्दाजा लगाया गया था, उसकी तुलना में उनका प्रभाव कहीं अधिक पड़ा और वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अधिकृत वेतन मान अपनाने के फलस्वरूप १९६०–६१ से सम्बन्धित कुछ भुगतान अनिवार्यत: १९६१–६२ में किया गया, इत्यादि । विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी कुल बचत विकास निधि में डाली गई । लेकिन इस सम्बन्ध में यह याद रखना आवश्यक है कि ३२.०१ करोड़ रुपये की यह बचत १९६०-६१ की बचत है जब मूल्यह्रास आरक्षित निधि में केवल ४५ करोड़ रुपये का वार्षिक अंशदान किया गया और सामान्य राजस्व को केवल ४ प्रतिशत की दर पर लाभांश दिया गया । १९६० की संसदीय रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों के अनुसार मूल्यह्रास आरक्षित निधि में वार्षिक विनियोग की रकम बढ़ा कर औसतन

[श्री जगजीवन राम]

७० करोड़ रुपये और लाभांश की दर बढ़ा कर ४.२५ प्रतिशत कर दी गई। लेकिन उपरोक्त दरों में यह प्रतिशत वृद्धि केवल १९६१–६२ के आरंभ से लागू हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

चालू वर्ष में यातायात से कुल प्राप्ति का संशोधित अनुमान ५०१.२४ करोड़ रुपये रखा गया है जो बजट अनुमान से २.२२ करोड़ रुपये अधिक है। यह वृद्धि अधिकतर यात्री, पार्सल और अन्य फुटकर यातायात के मद में हुई है। इससे माल यातायात की आमदनी का घाटा न केवल पूरा हो जाता है, बल्कि यह वृद्धि उस घाटे से अधिक है। १९६०–६१ के मुक़ाबले इस वर्ष बुक किये गये माल की मात्रा में लगभग ८० लाख टन वृद्धि की आशा है। प्रत्याशित माल यातायात से तुलना करने पर इसमें लगभग ३० लाख टन गिरावट की संभावना है। माल यातायात में कमी का कारण यह है कि इस्पात कारखानों की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताएं उस तेज़ी से न बढ़ सकीं जैसी कि आशा थी। मध्य भारत कोयला खानों में कम लदान के कारण भी माल यातायात में १० लाख टन की कमी होगी, क्योंकि कुरसिया कोयला खान में लगभग पूरे वर्ष आग लगी रही। इस खान से प्रतिवर्ष लगभग १० लाख टन से अधिक कोयला लादा जाता था। दिसम्बर, १९६१ में भारी मात्रा में आपातकालीन परिवहन के कारण गाड़ियों के यातायात में गंभीर रूप से बाधा पहुंची जिसकी वजह से माल का लदान बहुत गिर गया। अनुमान है कि इस वजह से माल यातायात में लगभग ३० लाख टन की शुद्ध कमी हुई होगी। बजट के मुकाबले संचालन व्यय के संशोधित अनुमान में २.१४ करोड़ रुपये की शुद्ध कमी हुई है। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में ६५ करोड़ रुपये अंशदान और विविध व्यय तथा सामान्य राजस्व को दिये जाने वाले लाभांश में कमी-बेशी का लेखा-जोखा करके बचत का संशोधित अनुमान १६.४८ करोड़ रुपये है जब कि इसका बजट अनुमान ८.६४ करोड़ रुपये था। बचत की रकम विकास निधि में डाली जाती है। तीसरी योजना में विकास निधि से होने वाले कामों पर प्रतिवर्ष औसतन २३ करोड़ं रुपये खर्च होंगे। इसे देखते हुए बचट में यह वृद्धि संतोषजनक नहीं कही जा सकती। यह बात ध्यान देने योग्य है कि रेलवे की वार्षिक बचत विकास निधि की आमदनी का एक मात्र स्रोत है।

बजट वर्ष (१९६२–६३) में यातायात से कुल प्राप्ति का अनुमान इस समय ५२४.१० करोड़ रुपये लगाया गया है। इस में यात्री यातायात में केवल थोड़ी सी वृद्धि रखी गयी है क्योंकि चालू वर्ष में यात्री यातायात बहुत काफी बढ़ चुका है और अगले वर्ष इस में अब अधिक वृद्धि की कम संभावना है। तीसरी आयोजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर १९६१–६२ की अपेक्षा माल यातायात में लगभग १५० लाख टन की वृद्धि की व्यवस्था की गयी है। राजस्व संचालन व्यय में चालू वर्ष की तुलना में लगभग १५.२१ करोड़ रुपये की वृद्धि की संभावना है। यह वृद्धि इन मदों में है : यात्री और माल यातायात में प्रत्याशित वृद्धि के अनुरूप परिचालन लागत में लगभग ८ करोड़ रुपये; साल व साल रेल परिसम्पत्तियों की मात्रा और उन के काम में वृद्धि के फल स्वरूप चल स्टाक और अन्य परिसम्पत्तियों की मरम्मत और अनुरक्षण में लगभग ५ करोड़ रु० और रेलों द्वारा चालू वर्ष के तीन महीनों की तुलना में १९६२–६३ में पूरे वर्ष 'सार्वजनिक वाहक दायिता स्वीकार करने के कारण लगभग १.६ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस के अतिरिक्त अभी हाल में और फिर २९ दिसम्बर, १९६१ से कोयले की कीमत बढ़ गयी है और उत्पादन शुल्क में भी वृद्धि हुई,

है, जिसकी वजह से राजस्व संचालन व्यय लगभग ०.४ करोड़ रुपये बढ़ गया है। चालू वर्ष में कोयले की बढ़ी हुई कीमत का प्रभाव केवल तीन महीने रहा जब कि बजट वर्ष में पूरे साल की व्यवस्था, की गयी है। १९६२–६३ में संचालन व्यय की उपरोक्त वृद्धियों के होते हुए भी १९६१–६२ की अपेक्षा शुद्ध प्राप्तियां अधिक होंगी। राजस्व से मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अंशदान और पूंजी पर सामान्य राजस्व को लाभांश तथा यात्री-किराया कर के बदले भुगतान, से पहले के आंकड़ों के आधार पर शुद्ध प्राप्ति १९६१–६२ के १५७.१८ करोड़ रुपये से बढ़ कर १९६२–६३ में १६२.०१ करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है। दूसरी ओर १९६० की अभिसमय समिति की सिफारिशों के अनुसार मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग १९६१–६२ के ६५ करोड़ रुपये से बढ़कर १९६२–६३ में ६७ करोड़ रुपये हो जायेगा। चालू वर्ष में सामान्य राजस्व को ६३.२० करोड़ रुपये लाभांश में दिये गये; १९६२–६३ में लाभांश की रकम बढ़कर ६९.३५ करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है'। परिणाम स्वरूप बचत लगभग १३.१६ करोड़ रुपये होगी, जिसे विकास निधि में डालने का विचार है। १९६२–६३ में विकास निधि से होने वाले कामों पर जितना खर्च करना है उस के मुक़ाबले बचत की यह रकम बहुत कम है। यदि रेलवे के साधन नहीं बढ़ाये जातें, तो विकास निधि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य राजस्व से अस्थायी कर्ज़ लेना अनिवार्य हो जायेगा।

आशा है कि आयोजना के कामों को अधिक तेज़ी के साथ पूरा किया जायेगा। इस बात को ध्यान में रख कर चालू वर्ष में निर्माण, चल-स्टाक और मशीन के खर्च का संशोधित अनुमान २६४.६८ करोड़ रुपये रखा गया है जब कि इसके लिये पहले २६० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इस तरह संशोधित अनुमान बजट अनुमान से ४.६८ करोड़ अधिक है। इस अतिरिक्त व्यवस्था के लिए पूरक मांगें रखी जा रही हैं। आगामी वर्ष में चल-स्टाक, निर्माण और मशीन कार्यक्रम का बजट अनुमान २९५ करोड़ रुपया रखा गया है। इस में तीसरी आयोजना के दूसरे और तीसरे वर्षों में किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बढ़े हुए खर्च और उन के लिए आवश्यक सामान, विशेषरुप से चल–सटाक, की खरीद का ध्यान रखा गया है, ताकि आयोजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें। २९५ करोड़ की इस व्यवस्था का ब्योरा बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन के सम्बधित भाग में दिया हुआ है।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान श्वेत-पत्र के प्रारंभिक नोट की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में पिछले लगभग दस वर्षों में, अर्थात् पहली और दूसरी पंचवर्षीय आयोजनाओं की अवधि में, रेलवे की क्षमता में आश्चर्यजनक विस्तार और सफलताओं के साथ-साथ तीसरी आयोजना में रेलवे के कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। अपने पिछले बजट भाषण में मैंने इस बात का ज़िक्र किया था कि माल यातायात में लगभग २३५० लाख टन वृद्धि के अनुरूप रेलवे की तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के लिये अस्थायी रूप से १२५५ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। अन्तिम रूप से स्वीकृत तीसरी आयोजना में कोयला यातायात की मात्रा बढ़ा दी गयी है। इसके अलावा बोकारो में इस्पात कारखाना और हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में बन्दरगाह बनाने की भी व्यवस्था है। तीसरी आयोजना में रेलवे से बुक होने वाले माल यातायात का लक्ष्य २४५० लाख टन रखा गया है। जो कोयला उपभोक्ताओं को भेजे जाने से पहले कोयला खानों से साफ़ करने वाले कारखानों में भेजा जायेगा उसकी वजह से माल यातायात उपरोक्त लक्ष्य से बहुत अधिक

[श्री जगजीवन राम]

बढ़ जायगा । इस समय आयोजना में रेलवे का पूंजीगत कार्यक्रम १३२५ करोड़ रुपयें का है, जिसे बढ़ाने के सवाल पर विचार किया जा रहा है । इस रकम में राजस्व लेखे से होनेवाले पूंजी गत कार्य के खर्च और मूल्य ह्रास आरक्षित निधि तथा विकास निधि में रेलवे का अपना अंशदान भी शामिल है ।

रेल दुर्घटनाओं के प्रश्न पर मैं गंभीरतापूर्वक विचार करता रहा हूं । अक्टूबर-नवम्बर, १९६१ में घाटशिला, मैनपुरी और कोसगी में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं के बाद संसद् में जो वाद-विवाद हुआ, उस के फलस्वरूप एक समिति बनाई गई है जिस के अध्यक्ष डाक्टर हृदयनाथ कुंजरू हैं । संसद् के चार सदस्य और दो तकनीकी विशेषज्ञ इस समिति के सदस्य हैं । समिति से कहा गया है कि :—

(१) भारतीय रेलों में दुर्घटनाओं के प्रश्न पर विचार करे, और

(२) दुर्घटनाओं को और कम करने के सम्बन्ध में उपाय बतायें ।

समिति ने अपना काम आरम्भ कर दिया है ।

रेलवे हमारे देश में रोज़गार देने वाला सब से बड़ा धंधा है और रेल-प्रशासन कर्मचारियों के कल्याण के लिये उत्तरोत्तर अधिक प्रयास की नीति का अनुसरण कर रहे हैं । रेल कर्मचारियों के रहने के लिए हर साल लगभग ११,००० मकान बनाये जा रहे हैं । १९६०-६१ में रेलवे अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों और चेस्ट क्लीनिकों में कुल ७८० खाट बढ़ाये गये, जिन में अनुमोदित क्षय चिकित्सालयों में बढ़ाये गये १०९ खाट भी शामिल हैं । अप्रैल, १९६१ से १८० खाट बढ़ाये गये, जिन में अनुमोदित क्षय चिकित्सालयों में बढ़ाये गये ७२ खाट भी शामिल हैं । रेलवे स्कूल, इमदादी रेलवे स्कूल, रेल कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त होस्टल, कर्मचारियों के लिए अवकाश-गृह (जिन में वह अवकाश-गृह भी शामिल है जो श्रीनगर में बनाया जा रहा है), रेल कर्मचारियों के परिवार के लिए शिल्प-कला केन्द्र और तकनीकी शिक्षा के लिए रेल कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति आदि कर्मचारी हित निधि से किये जाने वाले सभी काम जारी रहें और उन की उपयोगिता बढ़ती रही । रेलवे राजस्व से कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो काम किये जा रहे हैं, उन के अलावा अभी हाल में रेल कर्मचारियों के सहायतार्थ 'रेल मंत्री कल्याण और सहायता निधि' स्थापित की गई है । इस निधि का प्रबन्ध रेलवे बोर्ड करेगा और यह निधि रेल कर्मचारियों और दूसरे लोगों के चन्दे और रेल कर्मचारियों आदि द्वारा आयोजित विशेष मनोरंजन कार्यक्रम की आमदनी से चलाई जायेगी । इस निधि का उद्देश्य यह है कि जहां सामान्य नियमों के अन्तर्गत विषम आर्थिक परिस्थितियों में ग्रस्त रेल कर्मचारियों, या मृत रेल कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता न दी जा सके या सहायता पर्याप्त न हो, वहां इस निधि से उन्हें सहायता दी जाय । अब तक इस निधि में लगभग २,२५,००० रुपये इकट्ठे किये गये हैं, जिस में से लगभग २० व्यक्तिगत मामलों में अनुदान दिये गये हैं । अभी हाल में जमालपुर रेल कारखाने की शताब्दी समारोह के अवसर पर मैं ने भी इस निधि से २५,००० रुपये दिये जो इस क्षेत्र के रेल कर्मचारियों और उन के परिवार के सामूहिक पुनर्वास के लिए हैं । इन कर्मचारियों को १९६१ की अभूतपूर्व बाढ़ में भारी नुकसान उठाना पड़ा था । इसी काम के लिए रेल कर्मचारियों ने स्वयं अपने सराहनीय प्रयास से १०,००० रुपये इकट्ठे किये थे ।

मुझे इस बात की खुशी है कि इस वर्ष रेल कर्मचारियों के साथ सम्बन्ध सामान्यतः मैत्रीपूर्ण और सन्तोषजनक रहा । मेरा विश्वास है कि सभी वर्गों के रेल कर्मचारियों के साहस, कर्तव्य निष्ठा और देशप्रेम के बल पर भारतीय रेल आगामी वर्ष में उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनेगी और उस पर जो उत्तरदायित्व रखे गये हैं उन्हें सफलतापूर्वक निभायेगी।

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय**: अब सभा में राज्य वित्त निगम अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जायेगा ।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि राज्य वित्त निगम अधिनियम, १९५१, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

छोटे तथा मझौले आकार के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिये राज्यों में वित्तीय निगमों की स्थापना उद्देश्य करने की दृष्टि से राज्य वित्तीय निगम अधिनियम १९५१ में पारित किया ग ा था । इस अधिनियम के अनुसार मद्रास को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों में वित्तीय निगमों की स्थापना हो गई है । मद्रास राज्य में मद्रास औद्योगिक विनियोजन निगम लि० राज्य वित्त निगम के रूप में कार्य कर रहा है । दिल्ली और त्रिपुरा संघीय क्षेत्रों में और पंजाब तथा आसाम राज्य के क्षेत्रों में उद्योगों को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से वित्तीय निगम अधिनियम का विस्तार कर दिया गया है । पंजाब तथा आसाम निगमों के क्षेत्राधिकार को क्रमशः हिमाचल प्रदेश तथा मनीपुर तक बढ़ाने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

इस अधिनियम में १९५६ में संशोधन करने के पश्चात से यह आवश्यक प्रतीत होने लगा है कि इसके कार्य को अच्छी तरह चलाने के लिये यह आवश्यक है कि इसमें कुछ संशोधन और किये जायें । सभा के सामने जो संशोधन हैं उन पर रिजर्व बैंक के तत्वावधान में होने वाले वित्तीय निगम के १९५८, १९५९ और १९६० वार्षिक अधिवेशन में प्रतिनिधियों द्वारा विचार किया जा चुका है । इन अधिवेशनों में किये गये संशोधनों पर रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकारों ने विचार कर लिया है और अब इस अधिनियम में उचित रीति से संशोधन करने का विचार है ।

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम १९४८ में भी १९६० में इस दृष्टि से संशोधन किया गया था कि औद्योगिक वित्त निगम के कार्यकलापों का क्षेत्र बढ़ जाये । बस इस दृष्टि से ही कि राज्य वित्त निगमों का भी क्षेत्र बढ़ जाये ताकि वे अच्छे ढंग से काम कर सकें और उनके कार्य कलापों का भी क्षेत्र बढ़ जाये इस अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ।

राज्य वित्तीय निगमों ने पिछले कुछ वर्षों में अपने कुल कार्य में प्रशंसनीय कार्य किया है । इन निगमों द्वारा सितम्बर, १९६१ के अंत तक १,५४७ प्रार्थियों को कुल मिलाकर २९.५५ करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है और उसमें से १९.५९ करोड़ रुपये बांटे गये हैं । स्वीकृत ऋण की राशि में से ३० प्रतिशत अर्थात् ८.८५ करोड़ रुपये छोटे उद्योगों के लिये रखे गये हैं और उनकी संख्या १०७६ है ।

इस विधेयक के खंड २ में यह व्यवस्था की गई है कि अन्तर्देशीय जल तथा सड़क परिवहन में रत होटल उद्योग तथा औद्योगिक संस्थानों और औद्योगिक सम्पदाओं के विकास के लिये राज्य वित्तीय निगम सहायता देने योग्य बन सकें । होटल उद्योग विदेशी मुद्रा कमाने की दृष्टि से एक अच्छा व्यवसाय है क्योंकि काफी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

तृतीय योजना में बढ़ते हुए औद्योगिक उत्पादन को दृष्टिगत रखकर यह आवश्यक है कि सड़क तथा नदी परिवहन को दी जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि की जाये। वित्तीय सम्पदाओं को वित्तीय सहायता देने का अभिप्राय यह है कि छोटे उद्योगों का विकास अधिक हो सकेगा जिसकी आवश्यकता बहुत दिनों से अपेक्षित थी।

खंड ५ अधिनियम की धारा ७ और ८ में संशोधन करने के लिये है। इन धाराओं में निगमों की उधार लेने की क्षमता तथा उनकी जमा पूंजी का उल्लेख है। इस खंड ५ में यह व्यवस्था की गई है कि इन निगमों द्वारा उधार लेने के वर्तमान अधिकारों के अतिरिक्त उनको इस बात की भी छूट दी जाये कि ये निगम सम्बन्धित राज्य सरकारों से भी ऋण ले सकें तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्थानों से और रिजर्व बैंक से ऋण ले सकें जिसकी अदायगी निश्चित अवधि में होगी अर्थात् यह राशि १८ महीनों की अवधि में ही वापस कर दी जायेगी।

आजकल व्यवस्था यह है कि निगम के दायित्व उसकी प्रदत्त पूंजी तथा उसके रक्षित धन के ५ गुने से अधिक नहीं होने चाहिये। अब यह व्यवस्था की गई है कि यह सीमा ५ से बढ़ाकर १० गुनी कर देनी चाहिये। निगम की निधि में जमा कराने के लिये भी अधिक सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। अब तक अधिनियम की धारा ८ के अनुसार यह व्यवस्था है कि राशि कम से कम ५ वर्ष के लिये जमा की जानी चाहिये लेकिन अब यह अवधि घटाकर एक वर्ष या कुछ अधिक ही रखी गई है तथा यह भी प्रबन्ध किया गया है कि राज्य सरकारें इस जमा की गई राशि की गारंटी लेगी। अतः ये सुविधाएं धन जमा करने वालों के लिये काफी आकर्षक हंगी।

धारा ८ के संशोधन का यह भी अभिप्राय है एकि राज्य सरकारें भी इन निगमों में धम जमा कर सकती हैं। राज्य वित्तीय निगमों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बढ़ाने के लिये भी संशोधन किया गया है। खंड १० अधिनियम की धारा २५ में संशोधन करने के लिये है। इसके द्वारा इन निगमों को नया कार्य दिया जायेगा तथा वर्तमान काम में वृद्धि की जायेगी। इन निगमों के कार्य का जो विस्तार किया गया है उसके अन्तर्गत दो चीजें आती हैं। एक बात तो यह है कि अधिसूचित बैंक तथा सहकारी बैंकों से औद्योगिक संस्थान जो ऋण लिये जाते हैं उनके बारे में गारंटी दी जाये तथा दूसरी बात यह है कि औद्योगिक संस्थानों भारत में पूंजीगत वस्तुएं खरीदी है और उनका भुगतान आस्थगित है उसके लिये भी गारंटी की व्यवस्था की जाये। अन्य प्रकार से भी इसके कार्य विस्तार के बढ़ाने की योजना है। इस खंड में वित्तीय निगमों के घटनापेक्ष दायित्वों की सीमा निर्धारित करने की भी व्यवस्था की गई है। किसी एक औद्योगिक संस्थान द्वारा लिये जाने वाले ऋण की मात्रा में वृद्धि की गई है। अब इस संशोधन के द्वारा एक सार्वजनिक लिमिटेड समवाय अथवा सहकारी संस्था २० लाख रुपये तक ऋण ले सकती है। यह छूट इसलिये दी गई है ताकि जनता औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले इन औद्योगिक संस्थानों में रुचि लेने लगें। इस विधेयक की खंड १९ द्वारा एक विशेष रक्षित निधि बनाने की व्यवस्था की गई है जिसमें राज्य सरकारों अथवा रिजर्व बैंक आफ इंडिया को मिलने वाले लाभांश को जो कि उनके द्वारा इन वित्तीय निगमों में खरीदे गये हैं अंशों पर मिलेगा पूरा का पूरा अथवा उसका कोई भाग दोनों के पारस्परिक समझौते के आधार पर इस निधि में जमा किया जा सकता है। जैसे जैसे लाभांश की यह राशि निगम में जमा होती जायगी वैसे वैसे ही इस रक्षित

धन की वृद्धि होती जायेगी । यह व्यवस्था औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम १९४८ की धारा ३२-क जैसी ही है ।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री वारियर :** (त्रिचूर) खंड २ के द्वारा इस अतिनियम के नाम को बदलने का प्रयत्न किया गया है । औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम सन् १९६० के अनुसार होटल उद्योग को इस अधिनियम के क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया था । सुरक्षा आदि का ध्यान किये बिना ही इस उद्योग को राज्य सरकारों द्वारा ऋण दे दिया गया था। हमारे विचार में इस उद्योग को ऋण देना आवश्यक नहीं था । आवश्यकता इस बात की है कि छोटे पैमाने के तथा मझौले उद्योगों को अधिक से अधिक सहायता दी जाये ।

अब यह देखना है कि सभी राज्यों के राज्य वित्तीय निगमों ने कुल मिलाकर १०७६ छोटे तथा मझौले ढंग के उद्योगों को सहायता दी है जब कि प्रार्थियों की संख्या इससे बहुत अधिक है । इन राज्य वित्तीय निगमों के वार्षिक प्रतिवेदनों का अध्यन करने से पता चला है कि बहुत से प्रार्थियों ने अपने आवेदन पत्र वापस मागे हैं क्योंकि जिस समय तक उनको ऋण मिलेगा तब तक उनके ऋण मांगने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा और वह धन उनके किसी काम का नहीं रहेगा । क्योंकि यदि उचित समय पर धन यदि नहीं मिलता तो फिर उसका कोई उद्देश्य ही नहीं रहता ।

इस विधेयक में संशोधन करने के पश्चात सड़क परिवहन को भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जा रहा है । वर्तमान स्थिति यह है कि दक्षिण के राज्यों में सड़क परिवहन निजी व्यक्तियों के हाथ में है । दूसरी ओर रेलवे मंत्री कई बार इस बात की ओर सभा का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं कि इन व्यावसायिओं द्वारा परिवहन खींचा जा रहा हैं और लोग रेलों की ओर नहीं बढ़ रहे हैं और इस प्रकार रेलों को घाटा हो रहा है । इसलिये मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि, ये राज्य वित्त निगम जिनके पास धन सीमित है, इन निजी व्यवसायिओं को सड़क परिवहन के लिये सहायता क्यों दें । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

जहां तक औद्योगिक सम्पदाओं की बात है कोई भी उद्योगपति वहां तब तक जाना नहीं चाहेगा जब तक कि उसे इस बात का आश्वासन नहीं मिल जाता कि सरकार द्वारा उसे या तो धन के रूप में या कच्चे माल के रूप में सहायता मिलेगी। इस प्रकार का कोई आश्वासन न होने के कारण उद्योगपति इन सम्पदाओं की ओर आकर्षित नहीं होते । लेकिन इस विधेयक के द्वारा इन सम्पदाओं को सहायता दी जायेगी अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसे स्वीकार किया जायेगा ।

यह देखने में आया है कि इन राज्य वित्तीय निगमों ने अधिकतर सहायता बड़े बड़े उद्योगों को ही दी है जब कि उन्हें इस प्रकार की सहायता की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उन के पास पहले से ही काफी राशि है । धन के अभाव से इन उद्योगों की उन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । राज्य वित्तीय निगम से ये लोग जो धन लेते हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

उसका उपयोग ये अन्य सहायक उद्योगों की स्थापना करने में करते हैं। और इस प्रकार और मुनाफा कमाते हैं। इस प्रकार औद्योगिक विकास नहीं हो सकेगा।

चर्चा के दौरान में पिछली बार हम ने कहा था कि इस औद्योगिक वित्त निगम का अधिकतर धन कपड़ा उद्योग तथा चीनी उद्योग पर व्यय हुआ है। कैसी विडम्बना है एक ओर तो यह कहा जाता है कि ये उद्योग अब चरम सीमा तक पहुंच गये हैं जब तक इनमें तैयार माल का अधिक मात्रा में निर्यात नहीं किया जाता तब तक इनको बनाये रखना बड़ा कठिन है, और साथ ही औद्योगिक वित्त निगम द्वारा इन्हें वित्तीय सहायता दी जा रही है जब कि दूसरी ओर उन उद्योगों को जो कि देश के लिये आवश्यक हैं तथा मूलभूत हैं उन्हें कोई सहायता नहीं दी जा रही।

रसायन उद्योग के विकास की दक्षिण में काफी सम्भावना है। टिटैनीयम डायक्साइड उद्योग के केरल में विकास की सम्भावना है। इसी प्रकार अन्य उद्योग भी हैं। परन्तु इन उद्योगों का विकास नहीं हो रहा। न राज्य सरकार को इन उद्योगों की सहायता के लिए कुछ देने दिया जाता है और न स्वयं केन्द्रीय सरकार ही इस दिशा में कुछ कर रही है। मेरा निवेदन है कि औद्योगिक वित्त निगम को केन्द्र में और राज्य वित्त निगमों को अधिक से अधिक धन दिया जाना चाहिए। और यह सहायता उन उद्योगों को ही दी जानी चाहिए जिनकी निर्धारित पूंजी १० लाख से कम हो। यदि इससे छोटे छोटे उद्योग उभर आये तो आप बड़े उद्योगों के लिए भी विचार कर सकते हैं।

१९५१ में जब इसी सदन में इस बारे में मूल विधेयक पर विचार किया गया था तो लगभग वही बातें कही गयी थीं जो कि आज कही गयी हैं और उस समय के वित्त मंत्री महोदय ने विधेयक को स्वीकार कर लिया था। इस दिशा में शहरों और देहातों के बीच की दूरी को भी कम करने का प्रयत्न किया गया। और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के जिस उद्देश्य से ये वित्त निगमों की स्थापना हुई थी वह पूरा नहीं हुआ है। यह ठीक है कि इस दिशा में कुछ न कुछ तो हुआ है, परन्तु जो कुछ हुआ वह सन्तोषजनक नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि किसी ओर दिशा की ओर ध्यान देने से पूर्व इस बात का पूरा ध्यान कर लेना चाहिए कि हमें पूंजी का विनियोजन कहां और किस प्रकार करना चाहिए।

बैंकों से अपेक्षित सहायता न मिलने के कारण लघु उद्योगों को काफी हानि उठानी पड़ी है। इसके अतिरिक्त कोयला परिवहन इत्यादि की कठिनाइयां भी रही हैं। फिर माल के तैयार हो जाने पर उसके बेचने की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं। अतः हर हालत में जमानत देने का कार्य बड़ा ही कठिन कार्य है। अतः इस दिशा में सचेत रहना तो ठीक ही है। और आज हम जिस प्रकार की बदल रही है अर्थ व्यवस्था में चल रहे हैं सरकार द्वारा बिना जांच पड़ताल किये किसी की जमानत दे देना खतरे से खाली नहीं। मूल विधेयक के समय तो स्थिति यह थी कि कहीं बैंक देश के औद्योगीकरण पर छा न जायें सरकार द्वारा जमानत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

परन्तु आज जिस तरह बैंकों के कर्जों की गारन्टी कर रही है उससे तो बैंकों का हाथ फिर से ऊपर हो जायेगा। और किसी हर्ज–मर्ज की स्थिति में

सरकार रुपये के लिये जिम्मेदार होगी। और इस दिशा में सरकार का जो सहायता देने का कार्यक्रम है उससे केवल बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और मद्रास जैसे औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े हुये नगर ही उठा सकेंगे। आप यदि आंकड़ों को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं नगरों ने ही बहुत लाभ उठाया । मेरा अनुरोध यह है कि राज्य वित्त निगमों को पिछड़े हुए क्षेत्रों का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि लघु उद्योगों का भी समुचित विकास हो सके । इस बात का भी ध्यान रखा ही जाना चाहिए कि इस दिशा में विकास सन्तुलित हो, सारा देश एकरुपता से आगे बढ़े। विभिन्न क्षेत्रों में भेद-भाव की नीति का परित्याग कर देना चाहिए ।

इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली): मेरे से पूर्व वक्ता ने जो कुछ कहा है, मेरे विचार में वह सब कुछ गलतफहमी पर आधारित है। उन्होंने कई एक ऐसी बातें कह दी हैं जो कि वास्तव में लघु उद्योग वालों के विरुद्ध जाती हैं। मेरा विचार है कि यदि उन्हें पूरी जानकारी होती तो जो आलोचना उन्होंने की है वह वह कभी न करते। यह गारन्टी देने वाली बात तो सरकार मान ही चुकी है और इसका उद्देश्य यही था तुलनात्मक तौर पर जो एकक वित्तीय तौर पर कमजोर होंगे उनकी आर्थिक सहायता की जाये और इस विषय में जो भी विचार होते रहे हैं उनका भी ध्येय एक ही था कि इस योजना और अधिक व्यापक आधार पर व्यापक क्षेत्रों में लागू किया जाय। और लघु उद्योग वालों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाय।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राज्य वित्तीय निगमों द्वारा गत दस वर्षों में बहुत अच्छा कार्य नहीं किया गया। और शायद इसी कारण ही मंत्री महोदय ने इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया है ताकि इन्हें आगे से अधिक मजबूत बनाया जाय। उनका यह भी इरादा दिखाई देता है कि जो उद्योग पहिले इसके अन्तर्गत आने से रह गये थे, वह भी इसके अन्तर्गत ले लिये जायें। परन्तु इस दिशा में एक प्रश्न पूछने के काबिल है, क्या ये निगम इस कारण सन्तोषजनक ढंग से लघु उद्योग वालों की समुचित सहायता नहीं कर सके क्योंकि उनके पास अपेक्षित साधन नहीं थे। सभी निगमों ने कुल मिला कर २९ करोड़ रुपये कर्जे स्वीकृत किये, परन्तु जो कर्जे स्वीकृत हुये उनकी राशि १९ करोड़ से अधिक नहीं थी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि निगम को अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाना होगा और अपना दायित्व समझना होगा। परन्तु यह सब तब ही सम्भव है जब कि धारा २५ न रहे। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि निगम को प्रतिभूति अथवा जमानत सम्बन्धी खंड उन लोगों के बारे में ढीला कर देना चाहिए जिनकी योजनायें प्रमाणिक एवं लाभदायक हों। मेरी यह भी दृढ़ धारणा है कि होटल उद्योग और सड़क परिवहन उद्योग को सम्मिलित करने के लिए विधेयक के विस्तार क्षेत्र को बढ़ा कर हम केवल लघु उद्योगों को ही नुकसान पहुंचायेंगे, जिनके लिए कि यह निगम मूलतः बनाये गये हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि होटल उद्योग और परिवहन उद्योग का समुचित विकास होना चाहिए परन्तु लघु उद्योगों को हानि पहुंचा कर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। यह बात तो सिद्ध ही है कि छोटे पैमाने के उद्योग की सहायता करने के लिए ये नियम ही एकमात्र साधन थे परन्तु इन पर भी बड़े-बड़े उद्योगपति और व्यापारी ही छाये हुये थे।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

अतः मेरा यह अनुरोध है कि लघु उद्योगों को उचित प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से निगमों के संगठन में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

मैं अपने माननीय मित्र से अपील करूंगा कि वह इन बातों की ओर भी ध्यान दें और वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इन निगमों के कार्यकरण की चर्चा करने और लघु उद्योगों की आर्थिक दृष्टि से सहायता करने के साधन निकालने के महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिए। कुछ भी हो लघु उद्योगों की सहायता करने के मामले में हमें उदासीन नहीं होना है और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार निगमों का कार्य सन्तोषजनक नहीं है।

†**श्री सोमानी** (दौसा): मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। इसका उद्देश्य मूलतः राज्य वित्त निगमों के कार्यों के विस्तार क्षेत्र में वृद्धि करने का है। मैं अपने पूर्व वक्ता श्री माथुर से सहमत हूं इस बात में पूरी तरह सहमत हूँ कि राज्य वित्त निगमों पर बड़े बड़े व्यापारी छाये हुये हैं। परन्तु मेरा मत यह है कि यदि उन्हें उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाय तो वे बहुत ही खुश होंगे। कई लोगों ने तो स्वयं ऐसी इच्छा व्यक्त की है। परन्तु इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि निगम का कार्य बहुत ही असन्तोषजनक रहा है। इस बारे में यह कहा जाता है कि सामान्यतः इन निगमों का कार्य संचालन सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार होता है। इसके कारण निगमों को उचित प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। मेरा अनुरोध यह है कि इस अभाव को दूर करने के लिए अपेक्षित परिवर्तन विधेयक में किये ही जाने चाहिएं।

मेरा यह भी निवेदन है कि यदि बैंकों और राज्य सरकारों को ऐसे ऋण मंजूर करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कुछ किया जाना है तो गारन्टी की योजना आवश्यक है। इस मामले में जो भी नियमों सम्बन्धी कठोरता है उसे दूर किया जाना चाहिए। यह तो अच्छी बात है कि ऋण देने की सीमा १० लाख रुपये से बढ़ा कर २० लाख रुपये कर देनी चाहिए। राज्य निगमों को अपने ऋणों को समन्याय पूंजी में परिवर्तित करने की अनुमति देने का प्रश्न तो निस्सन्देह विवादस्पद है। मेरा मत यह है कि निगमों को वैसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। यदि किया गया तो यह अच्छी बात नहीं होगी। निगमों के प्राविधिक एवं व्यापारिक अनुभागों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार और रक्षित बैंक को ठोस कदम उठाने चाहिएं ताकि वे छोटे पैमाने के उद्योगों की वास्तविक सेवा कर सकें।

श्री ब० रा० भगत: मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विवाद में भाग लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं उनमें से कुछ का उत्तर दूंगा सब से पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यह बात बिल्कुल भूल नहीं जाना चाहिए कि जब तक देश में होटलों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती, हम यात्री यातायात को प्राप्त नहीं कर सकते तथा विदेशी मुद्रा कमाने में सफल नहीं हो सकते। अतः हमें होटलों के विकास में आर्थिक सहायता देनी होगी होटल सरकारी हो तो उस पर आपत्ति नहीं परन्तु गैर सरकारी होने पर उन पर आपत्ति है। परन्तु इस बारे में हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि औद्योगिक वित्त निगम

†मूल अंग्रेजी में

का तो निर्माण ही इसलिए हुआ है कि गैर सरकारी उद्योगों को सहायता दी जाये। यदि हम ऐसा सोचें तो जो कुछ सदन ने स्वीकार किया है, उसकी भावना से बाहर जाने वाली बात है। यह गलतफहमी हर हालत में दूर होनी चाहिए।

इसी प्रकार दूसरे उद्योगों की बात है। सड़क तथा अन्तर्देशीय जल मार्ग परिवहन के विकास के लिए वित्तीय सहायता का दिया जाना बड़ा जरूरी है ताकि हम अपनी औद्योगिक तथा आर्थिक उन्नति के साथ साथ चल सकें। क्योकि देश की आर्थिक प्रगति हो रही है और उसके लिए पर्याप्त संचार साधनों का होना बड़ा जरूरी है मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी दिशाओं से निगमों के विस्तार की मांग हुई है और माननीय सदस्यों ने औद्योगिक सम्पदाओं को राज्य वित्त निगमों के अन्तर्गत लाने की बात का स्वागत किया है।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : पर्यटक यातायात की वृद्धि को देखते हुए वित्त निगमों ने कितने होटलो को ऋण दिये हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : किसी भी होटल को नहीं। राज्य वित्त निगम होटलों को ऋण नहीं दे सकते। उसकी व्यवस्था इस सभा को एक संशोधन द्वारा करनी पड़ेगी। पर हमें अनौपचारिक रूप से मालूम है कि विभिन्न राज्यो में राज्य वित्त निगम से ऋण चाहने वाले प्रार्थियों की संख्या काफी है।

माननीय सदस्य ने पता नहीं क्यों अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की गारंटी की व्यवस्था पर आपत्ति की है ? यह नहीं समझना चाहिये कि बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की गारंटी देने के लिये निगम स्वयं बड़े उत्सुक हैं। ऐसा नहीं है। इस व्यवस्था की आवश्यकता इसलिये पड़ी है कि कभी-कभी औद्योगिक उपक्रम को बैंकों से ऋण लेने में बड़ी कठिनाई पड़ जाती है। यदि कोई औद्योगिक उपक्रम राज्य निगम से ऋण लेकर अपनी आस्तियां निगम के पास बन्धक रख दे और इसके बाद भी उसे ऋण की आवश्यकता पड़े तो वह बैंक से ऋण नहीं ले पाता, क्योंकि यदि किसी उपक्रम की आस्तियां आसानी से विभाजित न हो सकती हों, मशीनों इत्यादि के रूप में हों और निगम के पास बन्धक रखी हों, तो वह बैंकों से अल्पकालीन ऋण नहीं ले सकता। इसलिये कि बैंक भी आस्तियां देख कर ही ऋण देते हैं और यदि सभी आस्तियां राज्य वित्त निगम के पास बन्धक रखी हों तो बैंक ऋण नहीं देगा। अब मान लीजिये कि किसी उपक्रम के पास मशीनों इत्यादि के रूप में २५ लाख रुपये के मूल्य की आतिस्यां हैं और चूंकि उन आस्तियों को विभाजित नहीं किया जा सकता इसलिये यदि उसने पूरी आस्तियां राज्य वित्त निगम के पास बन्धक रख कर १० लाख रुपये का ऋण ले लिया हो तो वह बैंक से अधिक ऋण नहीं ले सकेगा। ऐसे मामलों में उपक्रमों की सहायता की दृष्टि से ही यह व्यवस्था की जा रही है कि राज्य वित्त निगम उपक्रमों को अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की गारंटी दे सकेगा। इससे उपक्रमों को कठिनाई नहीं पड़ेगी और देश में ऐसे उद्योगों का विकास सुगम हो जायेगा जो संसाधनों के अभाव में विकास नहीं कर पा रहे हैं।

†**श्री वारियर** : क्या प्रतिभूति में यह सम्मिलित होगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : उससे अन्तर नहीं पड़ता। उसकी गारंटी तो रहेगी। पूरी आस्तियां बन्धक होने के कारण, उपक्रम बैंक को अन्य कोई प्रतिभूति नहीं दे सकता, क्योंकि आस्तियों को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

विभाजित नहीं किया जा सकता । इसीलिये तो गारंटी देने का प्रश्न उठा है । इससे उद्योग को मदद मिलेगी । इसलिये इस संशोधन से समवायों, विशेषकर, छोटे-छोटे समवायों को सहायता मिलेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या इसकी व्यवस्था केवल उन उपक्रमों के लिये होगी जिनको निगम पहले ऋण दे चुका होगा ?

†**श्री ब०रा० भगत** : जी; हां । केवल उन उपक्रमों को ही गारंटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनकी आस्तियां निगम के पास बन्धक रखी रहती हैं ।

†**श्री वारियर** : तब इस खण्ड में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिये । अभी इसमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि सारी आस्तियां वित्त निगम को ही दी जायेंगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का तात्पर्य यही है कि वित्त निगम ऐसे किसी उपक्रम की गारण्टी देने से पहले उसकी प्रतिभूतियां दे लेगा और संतुष्ट होने के बाद ही गारंटी देगा, जिस से कि घाटे की गुंजाइश न रहे ।

†**श्री ब० रा० भगत** : ऐसी गारंटी की संभावना तभी होगी जब निगम देख लेगा कि उपक्रम ने जितनी आस्तियां बन्धक रखी हैं, वे उसको दिये गये ऋण से कहीं अधिक हैं । वैसे यदि उपक्रम के पास अलग से प्रतिभूतियां हों, तो वह खुद ही बैंक से ऋण ले सकता है । इसलिये प्रश्न केवल उन उपक्रमों की गारंटी देने का उठता है जिन की सारी आतिस्यां निगम के पास बन्धक रखी हों, और उसके ऋण की राशि कम हो ।

अब मैं श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा कही गई बातों को लेता हू । उन्होंने अनेक विषयों का उल्लेख किया है । उन्होंने एक ओर तो रक्षित बैंक का एक उद्धरण दिया है और दूसरी ओर वित्त मंत्री का । उनका कथन है कि वित्त मंत्री ने कहा था कि लघु उद्योगों के विकास के दौरान प्रतिभूति पर अधिक जोर नहीं देना चाहिये और उनके लिये संसाधन सुलभ बनाये जाने चाहियें । श्री माथुर का कहना है कि खण्ड २५ की व्यवस्था के अनुसार प्रतिभूति ली जानी चाहिये । इस प्रकार उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सरकार एक ओर तो लघु उद्योगों के लिये संसाधन जुटाने और सम्बन्धित व्यवस्थाओं को अधिक उदार बनाने की बात कहती है और दूसरी ओर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये नीति में आवश्यक परिवर्तन नहीं कर रही है । सरकार ने लघु उद्योगों को सहायता पहुंचाने के लिये कई कदम उठाये हैं, पर लघु उद्योगों की निधियों की मांग इससे कहीं अधिक रही है ।

इसलिये यह कहना गलत है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, कि सरकार प्रतिभूति के रूप में अभी भी काफी अधिक राशि मांगती है और उसके कारण लघु उद्योग के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है । सरकार या रक्षित बैंक ने उन व्यवस्थाओं को यथेष्ट रूप से उदार बनाने का प्रयास किया है, लेकिन सच तो यह है कि लघु उद्योगों को और भी अधिक संसाधन की आवश्यकता है । यदि माननीय सदस्य इसे देखें तो उनको सतोष हो जायेगा कि सरकार अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रही है ।

खण्ड २५ में व्यवस्था है कि पर्याप्त प्रतिभूति ली जायेगी । अब यदि पर्याप्त प्रतिभूति की व्यवस्था भी हटा दी जाये तो अनेक राज्य वित्त निगम बड़ी कठिनाई में पड़ जायेंगे । वे ऐसे अनेक

†मूल अंग्रेजी में

उपक्रमों को ऋण दे बैठेंगे जिनकी वसूली नहीं हो स गी । औद्योगिक वित्त निगम का उदाहरण हमारे सामने है । उस ने भी ऐसे कई ऋण दे रखे थे जिन की वसूली बारे में यहां सभा में काफी चिन्ता व्यक्त की गई थी । हमें उन को जांच करानो पड़ी थी । इसलिये सरकार को बड़ी सावधानी से इस प्रश्न पर विचार करना पड़ता है कि प्रतिभूति कितनी ली जाये कि कोई खतरा न रहे और साथ ही निधियों अभाव में लघु उद्योगों का विकास न रुकने पाये इतनी उदारता नीति में बरती जाये । दोनों का संतुलन रखना पड़ता है ।

हम ने इस दिशा में कई कदम उठाये हैं । सरकार अभी तक कुल आस्तियों का पचास प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में मांगती रही है । अब कुछ राज्य वित्त निगमों ने उसे ५० से ४० प्रतिशत कर दिया है । फिर इस गारंटी की व्यवस्था की जा रही है । माननीय सदस्य ने कहा है कि कुल मिला कर १९ करोड़ रुपये ऋणों रूप में दिये गये हैं, जिनमें से लघु उद्योगों को केवल साढ़े आठ करोड़ रुपये दिये गये हैं, यानी ३० प्रतिशत । सही है कि यह राशि बहुत कम है, लेकिन साथ ही कुछ नयी संस्थाओं का विकास करने लिये भी प्रयत्नशील रहे हैं । उदाहरण लिये, राज्य बैंक की एक अग्रणी योजना द्वारा हम ने लघु उद्योगों को सहायता पहुंचाई है । हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि इन वित्तीय संस्थाओं की एक अपनी परम्परा, अपनी पृष्ठभूमि है, और इसलिये उनको क्रमशः ही विकसित किया जा सकता है । फिर पिछले कुछ वर्षों में हमारी प्रगति नगण्य नहीं रही है ।

सरकार ने कुछ अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की है । राज्य बैंक ने लघु उद्योगों को अग्रिम धन के रूप में ५ करोड़ रुपये दिये हैं । रक्षित बैंक ने भी ८ से १० करोड़ रुपये तक के ऋण दिये हैं । रक्षित बैंक ने हाल में सभी छोटे-छोटे ऋणों की गारंटी-देनी शुरू की है । इसी प्रकार कई राज्यों की ओर से उद्योगों को सहायता दी जाती है । नौ राज्यों में ऐसी सहायता लिये राज्य वित्त निगमों के अभिकरण मौजूद हैं । उन अभिकरणों ने लगभग ३.७ करोड़ रुपये के ऋणों की मंजूरी दे दी है, जिस में से १.७ करोड़ रुपया दिया जा चुका है । इसलिये यह कहना तो ठीक नहीं कि हमने कुछ किया ही नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं ने यह तो नहीं कहा कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है । हां, यह अवश्य है कि ३०० या ५०० करोड़ रुपयों की कुल आवश्यकता थी, जिस में से आप ने बहुत थोड़ी सी व्यवस्था की है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : इतना सही है । लेकिन इससे तो यही पता चलता है कि काम कितना भारी है और कठिनाइयां कितनी ज्यादा हैं । फिर भी सरकार लघु उद्योगों के लिये संसाधन जुटाने का भर क प्रयत्न कर रही है ।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि निगम असफल रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: मैं ने रक्षित बैंक के गवर्नर का उद्धरण दिया था ।

†**श्री ब० रा० भगत** : गवर्नर ने तो वल इतना कहा था कि दस वर्ष में सिर्फ १,०७६ ऋण दिये ये हैं । पर यह भी नहीं भूलना चाहिये कि अधिनियम तो १९५१ में ही पारित हो गया था, लेकिन कुछ राज्य वित्त नि मों की स्थापना १९५९ तक हो पाई थी । मैसूर निगम ३० मार्च, १९५९ को बना था और जम्मू तथा काश्मीर निगम दिसम्बर १९५९ में । इसलिये यह कहना ग़लत हो ा कि दस वर्ष निकल ये हैं । और, नि मों को काम का अनुभव प्राप्त करने में तो कुछ समय लगता है । अब उनका काम चल निकला है । संसाधन भी जुटते जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

इस प्रगति में कुछ राज्य काफी आगे हैं, और कुछ पिछड़ रहे हैं। उद्योगों के प्रति सभी राज्यों का दष्टिकोण समान नहीं है। इसलिये हम सभी राज्य वित्त निगमों को एक लाठी से तो नहीं हांक सकते। माननीय सदस्यों को यह भी नहीं भूलना चाहिये कि अधिनियम तो संसद् ने पारित कर दिया था, लेकिन बोर्डों का गठन और उनका प्रशासन तो राज्य सरकारों के ही हाथों में है। हम उनके कार्य में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहते। क्योंकि उससे राज्यों की पहलकदमी खत्म हो जायेगी। इसके लिये रक्षित बैंक वार्षिक बैठकें बुलाता है, जिनमें केन्द्र के साथ राज्य वित्त निगमों के प्रतिनिधि भी रहते हैं। उन बैठकों में ही हम इन समस्याओं पर विचार करके नये-नये उपाय खोजने की कोशिश करते हैं। हम इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते।

माननीय सदस्य ने कहा है कि बोर्डों में छोटे-छोटे उद्योगपतियों को अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहिये। यह सही है कि पश्चिमी बंगाल, राजस्थान और मैसूर जैसे कुछ राज्यों में बड़े-बड़े उद्योगपतियों को सभापति के पद पर रखा गया है। इसलिये कि हम उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि राज्य सरकारें स्वयं ही औद्योगिक विकास के महत्व के प्रति पर्याप्त जागरूक हैं। हम उनको इसमें भरसक सहायता दे रहे हैं। आशा है कि इन सभी कदमों के फलस्वरूप भविष्य में लघु उद्योगों का विकास और तेजी से होगा। हमारा यही प्रयास होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राज्य वित्त निगम अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा इस पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

†**श्री वारियर** : मैंने तीन संशोधनों की सूचना दी थी। परन्तु पर्याप्त समय के अभाव के कारण, मैं ठीक समय पर उनकी सूचना नहीं दे सका था। इसलिये मेरा अनुरोध है कि उनको नियमानुकूल मान लिया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: : उनको सदस्यों में परिचालित नहीं किया जा सका है। यदि माननीय सदस्य उन पर आग्रह करना चाहें, तो मैं उनकी अनुमति दे दूंगा। ठीक है, माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

†**श्री वारियर** : मैं अपने संशोधन संख्या ४ और ५ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ और ५ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ से ८ तक विधेयक के अंग बनें ।"

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि लघु उद्योगों के लिये जितनी राशि मंजूर की गई थी उसमें से भी ७ करोड़ रुपये की राशि का अभी तक उपयोग क्यों नहीं किया गया है ?

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण करें। राज्य वित्त निगमों ने इस राशि को अप्रयुक्त क्यों रहने दिया ? वित्त निगम तो लघु उद्योगों की सहायता के लिये बनाये गये हैं ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैंने बताया है कि हम सम्बन्धित व्यवस्थाओं को अधिक से अधिक उदार बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं । हमने उसके लिये नये-नये उपाय निकाले हैं, ऐसी संस्थायें बनाई हैं जिनके द्वारा अधिक निधियां जुटाई जा सकें और कुछ संस्थायें प्रतिभूति के बारे में अधिक उदार हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि एक ओर तो निधियों की इतनी अधिक आवश्यकता है और दूसरी ओर मंजूरशुदा राशियां भी अप्रयुक्त पड़ी रहती हैं । क्यों ? इसकी जांच की जानी चाहिये । यही उनका सुझाव है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : सभी निगमों के पास इतनी बड़ी राशि अप्रयुक्त नहीं पड़ी है । कुछ निगम तो पहले बने थे, उनके सभी संसाधन प्रयुक्त हो चुके हैं । मांग अत्यधिक है और हम उनके लिये अधिक संसाधन जुटाना भी चाहते हैं । हम उनका और तेजी से विकास करना चाहते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ से ८ तक विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ से ८ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** खण्ड ९ पर एक सरकारी संशोधन है ।

संशोधन किया गया

पृष्ठ ५, पंक्ति १० में—

"Depute" ("प्रत्यायोजित") के स्थान पर,

"May Depute" ("प्रत्यायोजित कर सकता है") रख दिया जाये ।

(श्री ब० रा० भगत)

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १० से २३ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड १ पर एक सरकारी संशोधन है ।

संशोधन किया गया

पृष्ठ १, पंक्ति ४ में—

"१९६१" के स्थान पर,

"१९६२" रख दिया जाये ।

(श्री ब० रा० भगत)

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†उपाध्यक्ष महोदय : अधिनियमन सूत्र में एक सरकारी संशोधन है ।

संशोधन किया गया

पृष्ठ १, पंक्ति १ में—

"Twelfth year" ("बारहवें वर्ष") के स्थान पर,

"Thirteenth year" ("तेरहवां वर्ष") रख दिया जाये ।

(श्री ब० रा० भगत)

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन् सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप म, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अपाध्यक्ष महोदयः** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हमने सभा में इन वित्त निगमों से सम्बन्धित अपनी कठिनाइयां आपके सामने रख दी हैं । हमने कुछ तथ्य और आंकड़े भी पेश किये हैं । निगमों को २९ करोड़ रुपये की राशि ऋणों के लिये मंजूर की जा चुकी है, लेकिन अभी तक केवल १९ करोड़ रुपये की राशि प्रयुक्त की गई है । इसी तथ्य से प्रकट हो जाता है कि निगमों से ऋण लेने की प्रक्रिया कितनी उलझी हुई है । मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री को सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिये और उसमें सभी से परामर्श करके लघु उद्योगों को अधिक प्रभावशाली ढग से सहायत पहुचाने के उपाय निकालने पर विचार करना चाहिये ।

†**डा० मा० श्री० अणे**: माननीय मंत्री ने बताया है कि इस क्षेत्र में कुछ राज्य आगे बढ़े हुए हैं और कुछ पिछड़ रहे हैं । केन्द्र को इसकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिये । उसे सभी राज्यों को समान स्तर पर लाने की चेष्टा करनी चाहिये ।

†**श्री ब० रा० भगत** : हम माननीय सदस्यों के सुझाव और उनके विचार राज्य सरकारों तक पहुंचा देंगे । वित्त मंत्री इस सुझाव पर भी विचार करेंगे कि सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाये । सुझाव अच्छा है ।

केन्द्र द्वारा कम विकसित राज्यों को प्रोत्साहन दिया जायेगा । मैं यह भी बता दूं कि सभी राज्य वित्त बोर्डों में रक्षित बैंक का प्रतिनिधि रहता है । रक्षित बैंक बड़ी सक्रियता से उनके कार्य में दिलचस्पी लेता है । रक्षित बैंक प्रति वर्ष दो दिन के लिये राज्य वित्त निगम के अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाता है । वे इन सभी समस्याओं पर विचार करते हैं । इसलिये यदि किसी राज्य का विकास पिछड़ता है, तो हमें तुरन्त उसकी जानकारी हो जाती है । हम उनकी हर संभव सहायता करने के लिये तैयार हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदयः** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) संशोधन विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) संशोधन, अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधान का अधिनि मन १९४८ में किया गया था । इसका उद्देश्य था कि रोजगार की अनियमितताओं के कारण गोदी कर्मचारियों को होने वाले कष्टों को कम किया जाये । इस अधिनियम ने सरकार को शक्ति प्रदान की है कि वह रोजगार के विनियमन की दृष्टि से गोदी कर्मचारियों के पंजीयन की एक योजना तैयार करे और पंजीयित या गैर-पंजीयित दोनों ही प्रकार के गोदी कर्मचारियों के रोजगार को विनियमित कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

हमने अभी तक बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन और विशाखापत्तनम् पत्तनों में माल लादने वाले कर्मचारियों के रोजगार का अस्थायित्व दूर करने, उनकी नैमत्तिकता दूर करने के लिए योजनायें बनाई हैं। प्रत्येक योजना का प्रशासन एक त्रिदलीय संविहित निकाय—गोदी श्रमिक बोर्ड—करता है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास पत्तनों में गोदी कर्मचारियों को स्थायी आधार पर लाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए आवश्यक आंकड़े तथा अन्य जानकारी एकत्र करने की योजनायें चल रही हैं। हाल में गोदी कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बड़े-बड़े पत्तनों से संबंधित एक योजना अक्टूबर १९६१ से प्रवर्तित की गई है।

इन विभिन्न योजनाओं को लागू करने से हमें जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर वर्तमान विधि में कुछ संशोधन करना अनिवार्य हो गया है। यह विधेयक उसी उद्देश्य से लाया गया है। इसके द्वारा मूल अधिनियम में कुछ व्यवस्थायें जोड़ी जा रही हैं। स्वायत्त गोदी कर्मचारी बोर्डों की स्थापना, उनके गठन, उनके लेखों की लेखा परीक्षा, और निदेशों का जारी करना, इत्यादि व्यवस्थायें अधिनियम में जोड़ी जानी हैं। यदि बोर्ड अपने दायित्वों को समुचित रूप से न निभाये, तो आपातकाल में बोर्डों को भंग भी किया जा सकेगा। केन्द्रीय सरकार उनका कार्य अपने हाथ में ले सकेगी।

आशा है सभी दलों के सदस्य इन व्यवस्थाओं का स्वागत करेंगे। मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : विधेयक प्रस्तुत हुआ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के विषय में उप श्रम मंत्री जी ने कहा है कि यह कुछ प्राविधिक संशोधनों से सम्बन्ध रखता है। व्यक्तिगत रूप से मैं इस विधेयक के पक्ष में हूं, परन्तु इस से मुझे मायूसी हुई है कि उपमंत्री जी ने विधेयक लाने की पृष्ठ भूमि नहीं दी है।

मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह संशोधन विधेयक क्यों लाया गया। १९५९ में सरकार ने कलकत्ता गोदी कर्मचारी बोर्ड द्वारा की गई दुर्प्रशासन, भ्रष्टाचार इत्यादि नमुनासिब बातों की जांच के लिए एक व्यक्ति की जांच समिति बनाई थी। उस समिति की सिफारिशों को जो कि सरकार ने स्वीकार कर ली थी वैध रूप देने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

यह विषय दो वर्ष पूर्व सरकार के ध्यान में लाया गया और उस पर सक्रिय विचार होता रहा। कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड से मंत्रालय ने जो १५ जनवरी, १९६० तक कुछ प्रश्नों के उत्तर में स्पष्टीकरण मांगा था, उसका पता नहीं क्या हुआ। वही बोर्ड जो अपराधी ठहराया गया था अभी भी काम कर रहा है।

यह कहना कि सरकार को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी जा रही हैं, पर्याप्त नहीं है। यह सब ठीक है। मुझे इस के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। परन्तु सदन को पृष्ठभूमि बतानी चाहिये ताकि हमें यह तसल्ली हो जाय कि पहले हुए भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

अब मैं उस समिति द्वारा की गई जांचों के विषय में कुछ संक्षेप में कहता हूं। सब से पहली यह थी कि कलकत्ता गोदी में माल उतारने और चढ़ाने के काम का एकाधिकार केवल दो पंजीबद्ध

†मूल अंग्रेजी में

संस्थाओं को था जिन के नाम यह हैं—मास्टर्ज स्टीवडोरज़ असौसीएशन और कलकत्ता स्टोवडोरज़ असौसीएशन। मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि भविष्य के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिस से दूसरी संस्थाओं को पंजीबद्ध करवाने में सुविधा मिल सके। इस सम्बन्ध में मैं मूल अधिनियम की शाखा ३ में संशोधन धारा का स्वागत करता हूं, क्योंकि इस में यह कहा गया है कि यहां पहले अधिनियम के अन्तर्गत केवल गोदी कर्मचारी ही पंजीबद्ध हो सकते थे, अब स्वामि भी पंजीबद्ध किये जा सकेंगे। इस के विषय में उपमंत्री जी को हमें कुछ और बताना चाहिये। हम जानना चाहते हैं कि कौन से कदम सरकार के विचाराधीन हैं जिस से कलकत्ता पत्तन में माल उतारने और चढ़ाने का इन दोनों संस्थाओं का एकाधिकार समाप्त हो सके।

दूसरी जांच कर्मचारियों की इस योजना के अधीन खर्च करने की हिचकिचाहट के बारे में थी। समिति ने कहा था कि माल उतारने और चढ़ाने वाली कम्पनियां जहाज़ों की कम्पनियों पर जिनके कि माल उतारने चढ़ाने वाले श्रमिक अभिकर्ता होते हैं खर्च डालने की चेष्टा करती हैं।

मेहता समिति को पता चला कि माल उतारने और चढ़ाये जाने के मामले पर ध्यान न देने की चेष्टा की जा रही थी। मुझे इस नुक्स को दूर करने के लिए कोई व्यवस्था प्रतीत नहीं आती है।

मेहता कमेटी को गोदी श्रमिक बोर्ड में भ्रष्टाचार का पता चला। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ कार्मिक संघ भी कुछ हद तक इसके जिम्मेदार थे। उदाहरणतः माल लादने और उतारने का काम टुकड़ियों में किया जाता है।

८, १०, १२ या १४ आदमियों की टुकड़ियां होती हैं। उन में से थोड़े व्यक्ति काम करते हैं, परन्तु पैसे पूरे गरोह के लिए लिए जाते हैं। इसलिए मेहता कमेटी ने कहा कि टुकड़ियों में भूत होते हैं। इस बात पर कोई रोक नहीं। हमें आशा थी कि इस संशोधन विधेयक में कुछ व्यवस्था होगी।

उपाध्यक्ष महोदयः कानून भूतों से कैसे निपट सकता है?

श्री इंद्रजीत गुप्त : इन बातों को मालूम करने के लिए कोई निरीक्षण संस्था बनाई जा सकती है।

मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि प्रशासनिक निकाय का निलम्बन किया जाय और इस के स्थान पर कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के उपसभापति को नियुक्त किया जाय। यह ठीक इलाज नहीं है। प्रशासनिक निकाय की शक्तियां उपसभापति को जो कि स्वयं प्रशासन का भाग था दे दीं। इस तरह से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता।

इन दो संस्थाओं के माल उतारने और लादने वालों ने गोदी श्रमिक बोर्ड को इनको खर्च बांटने को राजी कर लिया। मेहता कमेटी ने सिफारिश की कि इस आचरण को समाप्त कर दिया जाय। मैं चाहता हूं कि उपमंत्री जी बतायें कि इस विषय में क्या किया गया है।

चोट के लिए प्रतिकार देने का प्रश्न है। इस की दरें काफी अधिक हैं। माल उतारने और लादने वाले इस के उत्तरदायी हैं। मेहता कमेटी को पता चला कि ४.५ लाख रुपये तीन वर्ष में चोट प्रतिकार के रूप में दिये गये जबकि ये मालिकों को देने चाहियें थे। बोर्ड ने ये रुपये देने के लिए उत्तरदायित्व ले लिया। मैं यह जानन चाहता हूं कि मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार इस रकम को वापिस लेने के लिए क्या कदम उठाये हैं।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

एक अस्पताल के लिए इमारत बनाई गई । लगभग ६ या ७ लाख रुपये खर्च हुए । परन्तु उसे प्रयोग में नहीं लाया गया । मेहता कमेटी ने कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के स्थगन की सिफारिश की । इस से अधिक कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि ऐसी कोई वर्तमान अधिनियम में व्यवस्था नहीं थी ।

२।। वर्ष बाद यह संशोधन विधेयक आया है । इसमें यह व्यवस्था है कि आपात में गोदी श्रमिक बोर्ड को भी स्थगित किया जा सकता है । अब यह बोर्ड २।। साल से अच्छी तरह से काम कर रहा है । मेरी प्रार्थना है कि चूंकि इस पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप हैं इसलिये इसे तोड़ दिया जाए और नया बोर्ड बनाया जाए ।

कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड पर किसी का विश्वास नहीं है । इस लिये इस विधेयक को सर्व-सम्मति से पास कर देना चाहिए ।

मेहता कमेटी ने यह भी कहा था कि तीन वर्ष से कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड ने कोई परीक्षित सन्तुलन-विवरण और न कोई वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं । लेखा अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । आगे तो नियन्त्रक महालेखापरीक्षक सन्तुलन विवरणों की परीक्षा किया करेंगे । पहले क्या हुआ यह हम जानना चाहते हैं ।

मन्त्री जी ने कहा कि गोदी श्रमिकों को स्थायी बनाने के प्रश्न को स्वीकार कर लिया है । मैं मन्त्री जी को यह बताना चाहता हूं कि कई किस्मों के गोदी श्रमिक और भी हैं जो स्थायी नहीं बनाए गए हैं जैसे कि नमक को उतारने और लादने, सिलाई इत्यादि का काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों को भी स्थायी बनाया जाए ।

आखिर में मैं गोदी कर्मचारी बोर्ड पर गोदी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के चुने जाने के तरीके के विषय में कहना चाहता हूं । गोदियों में कई संघ हैं जो कि एक दूसरे के विरोधी भी हैं । ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे गोदी कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठनों को सही प्रतिनिधित्व मिल सके । मुझे व्यक्तिगत दिलचस्पी नहीं है ।

सरकार स्वेच्छा से प्रतिनिधियों को चुन लेती है । जैसे मन्त्री जी को पता है कि इससे काफी अशान्ति सी रहती है । मेरे विचार में कोई ऐसी प्रक्रिया बनानी चाहिए जिससे गोदी श्रमिकों को महसूस हो कि बोर्ड में उन के सही प्रतिनिधि हैं । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं ।

श्री नौशीर भरूचा (पूर्व खानदेश) : गोदी श्रमिक बोर्ड बनाने का विचार बहुत अच्छा है । इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी क्योंकि गोदी श्रमिकों की भर्ती में काफी भ्रष्टाचार था । अतः गोदी श्रमिक बोर्ड की स्थापना मात्र ही पर्याप्त नहीं है । इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रणाली और निधि की व्यवस्था होनी चाहिए । गोदी श्रमिकों का बहुत महत्व है । क्योंकि उनकी हड़ताल से न केवल विदेशीय व्यापार को हानि होगी परन्तु संकट काल में खाद्यान्न इत्यादि के उतारने में बाधा होगी । इसलिये यह परमावश्यक है कि जो भी प्रशासनिक प्रणाली गोदी श्रमिकों में सुरक्षा और विश्वास पैदा करने के लिए बनाई जाए वह मुकम्मल होनी चाहिए ।

जो सदस्य मेरे से पहले बोले हैं उनसे मैं सहमत हूं । गोदी श्रमिक बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चुनने के लिए आसान सी प्रशासनिक प्रणाली बनानी चाहिए । यह अत्यन्त आवश्यक है ।

बोर्ड ने एक पत्तन या बहुत सी पत्तनों की योजना को कार्यान्वित करता है । यह काम वह कैसे करेगा, यह मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं । यह कर्मचारियों की भर्ती कहां से करेगा ? इसके लिए निधि कहां से लेगा ?

बोर्ड को निरीक्षालय रखने के बारे में विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस विधेयक में कई त्रुटियां हैं जिन्हें दूर करना चाहिए।

केवल निगम निकाय बनाना ही काफी नहीं है। उसे काम करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रणाली निधि आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। चूंकि इस निकाय के कर्तव्यों में वृद्धि हो गई है, अतः अतिरिक्त निधि की व्यवस्था होनी चाहिए थी।

इस विधेयक में एक समन्वय प्राधिकारी की व्यवस्था होनी चाहिए थी जो कि सारे देश से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार करता। उदाहरणतः बड़े पत्तनों पर गोदी श्रमिकों की काम करने की परिस्थितियों के प्रमापीकरण प्रश्न आदि। ऐसी संस्था यदि बहुत से पत्तनों में हड़ताल का खतरा हो उसमें समझौते इत्यादि के लिए भी चेष्टा कर सकती है। यह बोर्ड के क्षेत्र से बाहर है।

ऐसी निकाय की गोदी श्रम नियोजकों के अभिज्ञान और पंजीबद्ध करने के लिए अर्हताओं के प्रमापीकरण की आवश्यकता होगी। यह गोदी श्रम सेवायुक्ति विभाग की स्थापना के लिए भी आवश्यक है।

मुझे आशा है कि इस विधेयक के लागू होने से जो अनुभव होगा उसके अनुसार यदि आवश्यकता हो तो सरकार इस अधिनियम के क्षेत्र में विस्तार करेगी ताकि सार्वदेशीय प्राधिकारी की स्थापना की जा सके क्योंकि भारत के सभी पत्तनों के गोदी श्रमिकों में बहुत सी बातें मिलती जलती हैं। मुझे आशा है कि इस मामले की सरकार जांच करेगी।

डा० मेलकोटे (रायचूर) : मेरे विचार में जहाजों की कम्पनियों को खर्च बरदाश्त करना चाहिए। श्रमिक भी पंजीबन्धन के लिए थोड़ी रकम दे सकता है। उस से खर्च नहीं चलेगा। चूंकि जहाजों की कम्पनियों को ऐसे बोर्डों से लाभ होगा, इसलिए खर्च का कुछ भाग इनके लिये जिम्मे होना चाहिए। श्रम रोजगार के कार्यालय की स्थापना करना तथा कर्मचारियों के रोजगार को उचित रीति से विनियमित करना बहुत आवश्यक बातें हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सरकार को यह बताना चाहिए कि मेहता समिति की समस्त सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं अथवा नहीं और यदि कोई सिफारिशें न क्रियान्वित की गई हों तो उनके क्या कारण हैं ?

गोदी श्रमिक बोर्डों को पत्तन श्रमिकों के लिए आवास योजनाओं को अग्रिमता देनी चाहिए। मद्रास श्रमिक बोर्ड ने इस काम में काफी दिलचस्पी ली है।

गोदी श्रमिकों के संघों को बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधि भेजने के काम में विश्वास पात्र बनाना चाहिए। केवल एक संस्था के हाथ में ही यह काम नहीं होना चाहिए।

भर्ती में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि गोदी श्रमिकों की भर्ती के मामले में अपनाए जाने वाले भ्रष्ट तरीकों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्थायीकरण योजना जोर से चल रही है। इस की बुनियादें क्या हैं। अस्थायी श्रमिक कितने हैं ?

जहाजों से माल उतारने और माल लादने की श्रमिक प्रणाली खत्म की जानी चाहिए। इससे कई करोड़ रुपए की बचत होगी।

[श्री स० मो० बनर्जी]

मैं मेहता कमेटी की, जीजीभौ ये कमेटी की और चौधरी आयोग की सिफारिशों के बारे में माननीय उपमन्त्री से जानना चाहता हूं। श्रम मन्त्रालय का किसी विशेष संघ के प्रति पक्षपात का व्यवहार और गोदियों में गड़बड़ समाप्त होनी चाहिएं। फिर मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। स्टीवडोर व्यवस्था जो कि भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई है, समाप्त होनी चाहिए।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: यदि विरोधी पक्ष के सदस्यों ने अधिनियम और विभिन्न योजनाओं का जिन के अधीन यह बोर्ड काम कर रहे हैं, अध्ययन किया होता, तो उनके भाषणों से हमें और गोदी कर्मचारियों से कुछ लाभ होता। उन्होंने संशोधन विधेयक तो पढा है किन्तु मूल अधिनियम नहीं पढ़ा। मैं उनकी कठिनाई को जानता हूं, क्योंकि बोलने वाले सदस्यो में से किसी का भी गोदी कर्मचारियों से सम्बन्ध है। रुपये का दुरुपयोग, कुप्रशासन आदि इन बातों की आलौचना की गई है। एक माननीय सदस्य को यह भी मालूम नहीं कि कलकत्ता बोर्ड में केवल इनटक ही सब श्रकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, एक और संघ भी है।

इन बोर्डों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चुनाव के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस के सम्बन्ध में एक प्रक्रिया अपनाई गई है, जो कि सारे देश पर लागू होती है। इसके अन्तर्गत झूट मजूरी बोर्ड में कलकत्ता के सदस्य को सदस्यता प्राप्त है। और कहवा मजूरी बोर्ड में इनटक के प्रतिनिधियों को सदस्यता प्राप्त है। यह बात बिल्कुल गलत है कि सरकार इनटक के प्रति पक्षपात से काम ले रही है।

हमने एक प्रक्रिया बनाई है और देश के चार केन्द्रीय कार्मिक संघों के सहयोग से हर साल कार्मिक संघों के सदस्यों की जांच पड़ताल की जाती है। पड़ताल की हुई सदस्यों की सूची इन चार संस्थाओं द्वारा अनुमोदित कराई जाती है। मनोनयन भी इसी पर आधारित है। इसलिए पक्षपात का आरोप बिल्कुल निराधार है।

महता समिति आदि के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि समिति के प्रतिवेदन के फलस्वरूप गोदी मजूरी बोर्ड के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जानी थी। प्रशासकीय निकाय को निलम्बित करना चाहते थे, किन्तु काफी सुधार हो जाने के कारण इसको नहीं हटाया गया है।

यह आरोप भी गलत है कि यह वही बोर्ड है, जिसकी श्री मेहता ने आलोचना की थी।

१९६० में नया बोर्ड बनाया गया था।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त**: किन्तु सदस्य वही हैं।

†**श्री आबिद अली**: सदस्यों का प्रश्न नहीं है। अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। नियोजकों और कर्मचारियों से सिफ़ारिशें मांगी गई थीं। तीसरा पक्ष सरकार है और सरकार भी अपने सदस्य मनोनीत कर सकती है।

रुपयों के दुरुपयोग के बारे में आरोप निराधार हैं, क्योंकि श्रमिकों को एक पाई की हानि भी नहीं है। प्रक्रिया यह है कि बोर्ड द्वारा जो राशि खर्च की जाती है, वह श्रमिकों से वसूल की

†मूल अंग्रेजी में

जाती है । जहां तक ऋण लेने के लिए प्रतिभूतियां देने का प्रश्न है, ये वापस ले ली गई हैं और इसे नियमित कर दिया गया है । लेखापरीक्षा शुरू कर दी गई है और प्रतिवेदन भी मिल गया है । आपत्तियां अवश्य हैं और ये सब बड़ी संस्थाओं में होती हैं ।

पूर्व खानदेश के सदस्य को खर्च के बारे में बहुत चिन्ता थी । उन्हें इस के बारे में कुछ मालूम नहीं है । बम्बई बोर्ड की आय लगभग ४१.५० लाख रुपये है और खर्च ३८ लाख । कलकत्ता बोर्ड की १३२.८८ लाख और खर्च ११० लाख है । मद्रास बोर्ड की, जो कि छोटा है, आय १३ लाख रुपये है और खर्च १० लाख रुपये है । स्पष्ट है कि उन की आय खर्च से अधिक है और उन का कार्य काफ़ी हद तक संतोषजनक है । उनके काम को सफल बनाने के लिए और श्रमिक के प्रति पूरा न्याय करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

सूची बनाने के सम्बन्ध में, लगभग ५००० श्रमिक केवल कलकत्ता में सूचीबद्ध किये जा चुके हैं । कलकत्ता में ११,००० पंजीबद्ध श्रमिक हैं और ५००० सूचीबद्ध । ये हाल के आंकड़े हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : वे सूचीबद्ध हैं, पंजीबद्ध नहीं हैं ।

†**श्री आबिद अली** : माननीय सदस्य को इन का अन्तर मालूम होना चाहिए । हाल में ११,००० पंजीबद्ध और ५००० पंजीबद्ध श्रमिकों के अतिरिक्त और काम भी किया गया है ।

नियोजकों के एकाधिकार के बारे में, दो संस्थाएं हैं । उदभवरका को पहले पत्तनन्यास से लाइसेंस लेना पड़ता है । जब पत्तन न्यास किसी फर्म को उदभवरकों के रूप में काम करने का लाइसेंस दे देता है, तो गोदी श्रमिक बोर्ड उस फ़र्म को पंजीबद्ध कर देगा ।

इस संशोधन का एक प्रयोजन यह है कि पंजीयन फीस की वसूली की जाये । इस के सम्बन्ध में विधि में उपबन्ध नहीं था । इसीलिए इस को अब रखा गया है । बोर्ड का एक कृत्य यह भी है कि वह नौकरी दफ़तर का काम भी करे । यह जहां भी आवश्यक हो श्रमिक देता है ।

भर्ती के बारे में कुछ शिकायत की गई थी । हम सब सूचीबद्ध और पंजीबद्ध श्रमिकों को काम नहीं दे सके । हम नये श्रमिक नहीं ले रहे । संख्या कम करने का प्रश्न उठा था; इसलिए कुछ परिवर्तन किया गया था । योजना के चालू करने पर बहुत से श्रमिक हटाने पड़े थे । अब इनकी नौकरी नियमित कर दी गई है और प्रत्येक श्रमिक को अच्छा वेतन मिलता है, जो कि पहले बहुत कम था ।

जब पंजीबद्ध श्रमिकों को उपस्थित होने पर काम नहीं मिलता, तो उन्हें निर्वाह के लिए कुछ रकम दी जाती है ।

समन्वय आदि का काम भी सलाहकार बोर्ड का है । इस बोर्ड में प्रत्येक गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा मनोनीत व्यक्ति होंगे । यह अखिल भारतीय निकाय होगा और समन्वय आदि के बारे में जो सुझाव दिये गये हैं, इन पर विचार किया जायेगा ।

अस्पताल के बारे में कुछ शिकायत की गई थी । कुछ समय तक इस ने काम नहीं किया । किन्तु अब इस में ४४ स्थान हैं और बाहर ४०० से ५०० व्यक्ति प्रतिदिन देखे जाते हैं ।

आवास के बारे में भी कुछ काम शुरू किया गया है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : कलकत्ता में नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : जब माननीय सदस्य बम्बई जायें, तो वह उस शानदार इमारत को देख सकते हैं, जिस में उद्योग के कुछ श्रमिक रह रहे हैं। कलकत्ता और अन्य स्थानों पर आवास के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। किन्तु सब सुविधाएं देश में प्रचलित सामान्य परिस्थितियों को देखते हुए की जा सकती हैं। केवल एक श्रेणी को १०० प्रतिशत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकतीं।

जहां तक मेहता समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का सम्बन्ध है, गोदी श्रमिक बोर्ड और प्रशासनीय निकाय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली अधिकतर सिफ़ारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं।

यह संशोधन विधेयक महता समिति के प्रतिवेदन के फलस्वरूप नहीं है, बल्कि विभिन्न योजनाओं के कार्य के फलस्वरूप है।

यह बात नहीं है कि सरकार की कुछ शक्तियां नहीं हैं। उस के पास शक्तियां हैं, किन्तु इन का और स्पष्टीकरण कर दिया गया है।

सौभाग्य से, इस समय किसी और वर्ग से कोई शिकायत नहीं है। कलकत्ता से भी नहीं है। किन्तु अनुभव के आधार पर, प्रतिवेदनों के आधार पर अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक था।

कलकत्ता में भी इनटक के कर्मचारियों की संख्या कम है। किन्य उसे अनुपात से प्रतिनिधित्व प्राप्त है। स्वतंत्र कार्मिक संघ भी हैं। वह संस्था भी है जो यू० टी० यू० सी० से सम्बद्ध है। अतः माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाये हैं, वह सही नहीं हैं।

अब मेरी प्रार्थना है कि विधेयक पर विचार किया जाये।

†**सभापति महोदयः** प्रश्न यह है :

"कि गोदी कर्मचारी (रोज़गार का विनियमन) संशोधन अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड २ से ७ तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ से ७ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**सभापति महोदय** : दो औपचारिक संशोधन हैं; एक खंड १ के बारे में और दूसरा अधिनियमन सूत्र के बारे में

(संशोधन किये गये)

(i) पृष्ठ १, पंक्ति १—

"Twelfth year" (बारहवां साल) के स्थान पर "thirteenth year" (तेरहवां साल) रख दिये जायें (१)

---

†मूल अंग्रेजी में

(ii) पृष्ठ १, पंक्ति ४—

"१९६१" के स्थान पर "१९६२" रख दिया जाये (२)

(श्री आबिद अली)

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**सभापति महोदयः** : प्रश्न यह है :

"कि नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री आबिद अलीः** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

†**सभापति महोदयः** प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय रेलवे अधिनियम, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये । "

यह विधेयक भारतीय रेलवे अधिनियम के पांच धाराओं ८२(क), ८२(ज), १२६, १२७ और १२८ के बारे में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० व० रामास्वामी]

[**श्री हेडा** पीठासीन हुए]

वर्तमान धारा ८२ (क) में उपबन्ध है कि रेल दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने वाले किसी व्यक्ति को १०,००० रुपये से अधिक रुपया नहीं दिया जायेगा। यह उपबन्ध १९४३ में किया गया था। १०,००० रुपये की यह सीमा श्रमिक प्रतिकर अधिनियम की अधिकतम सीमा पर, जो कि उस समय ५६०० रुपये थी, आधारित थी। सामान के नुकसान को सम्मिलित करते हुए, इस राशि को २५ प्रतिशत बढ़ा दिया गया था, जिस से यह ७,००० रुपये हो गई थी। प्रवर समिति ने इसे बढ़ा कर १०,००० रुपये कर दिया था। अब प्रस्ताव यह है कि धारा ८२ (क) में संशोधन कर के अधिकतम सीमा को १०,००० रुपये से बढ़ा कर २०,००० रुपये कर दिया जाये। १९४३ के बाद अब तक जीवनयापन व्यय और प्रति व्यक्ति आय में बहुत वृद्धि हुई है। जीवन व्यय में, मूल्यों के सामान्य देशनांक के आंकड़ों को देखते हुए १९४३ के मुकाबले में १०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देश के आर्थिक विकास और आय में वृद्धि को देखते हुए, १०,००० रुपये की वर्तमान सीमा बहुत कम है। इसे २०,००० रुपये तक बढ़ाने से १,००० रुपये से अधिक आय वाले वर्ग को राहत मिल सकेगी।

क्षतिपूर्ति की अनुसूची में इस प्रकार परिवर्तन का विचार है जिस से विभिन्न आय वाले वर्गों की संख्या को कम किया जा सके, ताकि निम्न आय वर्गों को लाभ पहुंच सके। नये आय वर्गों के लिए अनुसूचित दरें निश्चत करने में श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान सूची के प्रस्तावित संशोधन को ध्यान में रखा गया है। इस सम्बन्ध में, विधेयक के पारित होने के बाद, उपयुक्त अधिसूचना जारी की जायेगी और पटल पर रख दी जायेगी। क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा को बढ़ाने से लगभग ८ लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होगी अर्थात् ५.५ लाख रुपये की बजाये १५.३ लाख रुपये खर्च होंगे। दी जाने वाली कुल रकम दुगनी से अधिक होगी, क्योंकि कम आय वाले वर्गों को दिया जाने वाला प्रतिकर दुगने से अधिक होगा। इस समय भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा ८२(ज) के अन्तर्गत, धारा ८२(क) के अतिरिक्त अन्य विधियों के अन्तर्गत भी क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। अब यह ठीक प्रतीत नहीं होता कि सरकार एक ही दुर्घटना के सम्बन्ध में ऐसा करने दे, विशेषकर जब कि सरकार ने रेलवे की ओर से लापरवाही न होते हुए भी दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ले लिया है और उसकी सीमा २०,००० रुपये तक बढ़ा दी गई है। इस लिए क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार एक ही विधि के अन्तर्गत सीमित कर दिया जायेगा।

धारा १२६,१२७ और १२८ का सम्बन्ध गाड़ियों में सफ़र करने वाले व्यक्तियों द्वारा खतरनाक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। हाल के वर्षों में गाड़ियों में तोड़ फोड़ की बहुत सी घटनायें हुई हैं। ऐसे अपराधों के लिए कड़ा दंड दिया जाना आवश्यक है। धारा १२६ के अन्तर्गत पहले अपराध के लिए कम से कम तीन वर्ष कैद के दंड और इस से बाद के अपराधों के लिए सात साल तक के दंड की व्यवस्था की गई है।

धारा १२८ को संशोधित करके पहले अपराध के लिए कम से कम ६ मास का दंड रखा गया है। बाद के अपराधों के लिए २ वर्ष तक का दंड होगा और सब मामलों में अधिकतम दंड ५ साल होगा।

न्यायपालिका के विवेक पर कोई रोक लगाने का इरादा नहीं है। न्यायालय लिखित कारण देकर कम दंड भी दे सकते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस विधेयक के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं । मुझे इस बात की खुशी है कि मुआवजे की राशि १०,००० से बढ़ा कर २०,००० कर दी गयी है । यह बड़े ही सन्तोष की बात है । अक्तूबर १९६१ के ३१ दिनों में छोटी बड़ी १७१ दुर्घटनायें हुईं । ८२ लोग घायल हुये और लगभग ३२५ लोग मारे गये । परन्तु इसके लिए कुल मुआवजा ३५,००० रुपये दिया गया । मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह वर्तमान उपबन्ध उन दुर्घटनाओं पर भी लागू होगी जो १९६१ में हुई है । साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मुआवजा के रूप में दी जाने वाली राशि किन आधारों पर निर्धारित की जायेगी । मैंने यह इस लिए पूछा है क्योंकि हम यह तो स्पष्ट देख रहे हैं कि १९६१ के मुकाबले में १९६२ में जीवन की आवश्यक चीजों का मूल्य काफी बढ़ गया है । कई महीनों में तो मंहगाई बहुत अधिक बढ़ गयी ।

मुझे इस बात का पता नहीं कि सब दुर्घटनाओं की समुचित जांच कर ली गयी है अथवा नहीं परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेल दुर्घटनाओं के प्रश्न की जांच पड़ताल के लिए एक समिति की स्थापना के प्रश्न पर भी विचार किया जाय । साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि सरकार यह बताये कि इस विधेयक के पारित होने के फलस्वरूप जिस आठ लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय का अनुमान लगाया गया है, वह आंकड़ा किस प्रकार और किस आधार पर निश्चित किया गया है । इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और भी है दुर्घटनाओं के अतिरिक्त लोग डकैतियों तथा अन्य अपराधों के शिकार भी बनते हैं । क्या इस प्रकार से जिन लोगों को शारीरिक अथवा आर्थिक हानि पहुंचती है, उन्हें भी कुछ प्रतिकर देने का विचार है ।

एक अन्य बात मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या स्वर्गीय श्री के० रामाराव के आश्रितों को कोई प्रतिकर भुगतान किया गया है । गत सत्र में यह कहा गया था कि उन्हें कुछ मुआवज़ा दिया जा रहा है । और उस समय अध्यक्ष महोदय ने जो यह कहा था कि खतरे की जंजीरों को चालू रखना चाहिए, क्या समस्त रेल गाड़ियों मे खतरे की जंजीरों को पुनः चालू कर दिया गया है जो कि इस से पूर्व काट दी गयी थीं ?

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि रेलों में गड़बड़ और तोड़फोड़ करने वालों को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए उन्हें कड़ी सजायें दी जानी चाहिये । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि १९६१ में हुई सभी दुर्घटनायें इस विधेयक के अन्तर्गत आ जाये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मुझे आशा है कि उपमंत्री महोदय मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान देंगे । और इन शब्दों से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री ओझा** (झालावाड़) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने प्रतिकर की ऊपरि सीमा को बढ़ा कर ३०,००० रुपये कर दिया है । देखने में आया है कि कई बार जो राशि क्षति पूर्ती के रूप में दी जाती है कि वह इतनी अल्प होती है कि उससे कुछ भी लाभ नहीं होता । अतः इस दिशा में सरकार ने बहुत ही अच्छा पग उठाया है । मंहगाई जिस तरह बढ़ी हुई है उसका तो हम सब को पता ही है ।

यह बात भी ठीक ही है कि दुर्घटनायें रेलवे के दोषों के कारण बहुत कम होती हैं । वास्तव में तोड़फोड़, उपेक्षा, डकैती इत्यादि से अधिक हानि होती है । अतः मेरा निवेदन है कि इन सब

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ओझा]

मामलों में बड़ी कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए । जो लोग राष्ट्र के हित को हानि पहुंचाते और मानव जीवन से खेलते हैं उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए । सामूहिक रूप से में विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सैं० वे० रामस्वामी)** : श्री स० मो० बनर्जी ने पूछा है कि १९६१ की दुर्घटनाओं से ग्रस्त लोगों को दिये जाने वाले मुआवजे की दर क्या होगी । सामान्य नियम यही है कि विधेयक के पारित होने की तिथि के बाद ही वह कार्यान्वित होता है । मेरा निवेदन है कि विधेयक तब से लागू होगा जब वह अधिनियम बन जायेगा, भूतलक्षी प्रभाव से नहीं जैसे कि श्री बनर्जी ने सुझाव दिया है । वैसे संसद् को अधिकार है कि यदि वह चाहे तो इससे उलट निर्णय भी कर सकती है ।

इस दिशा में मेरा यह भी निवेदन है कि मुआवजे की दर में जो परिवर्तन किया गया जो वर्तमान स्थिति का विचार करके ही किया गया है । और भुगतान का कार्यक्रम श्रमिक प्रतिकर अधिनियम की अनुसूचि का विचार करके तैयार किया गया है । मेरा विचार तो यह है कि यह उससे भी अधिक उदार है । श्रम मंत्रालय तो यह दर केवल उन पर लागू करना चाहता है जिनका वेतन ५०० रुपये मासिक नहीं ४०० रुपये मासिक है । साथ ही ८ लाख रुपये की राशि के बारे में निवेदन है कि यह राशि उस अतिरिक्त व्यय का मोटा अनुमान है जो ऊपरि सीमा बढ़ाये जाने के फलस्वरूप होगा ।

श्री बनर्जी ने रेलों में हुई दुर्घटनाओं का उल्लेख किया है और पूछा है कि क्या उन्हें क्षतिपूर्ति दी जायेगी । में यह बताना चाहता हूं कि यह अधिनियम रेलों की आपस में होने वाली टक्कर या इसी प्रकार की दुर्घटनाओं के बारे में है न कि उन व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में है जिनकी हत्या कि चलती गाड़ी में कर दी जाती है । इस प्रकार की मृत्यु का रेल दुर्घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः इस प्रकार के अपराध इस अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत नहीं आते । क्योंकि विधि और सुरक्षा का मामला राज्य सरकारों के अधीन है अतः प्रभावित अथवा घायल होने वाले व्यक्तियों को अन्य उपायों का सहारा लेना चाहिये न कि उन उपायों का जिनका कि उल्लेख इस अधिनियम में किया गया है ।

डा० रामाराव की पत्नी को २,००० रुपये नकद दे दिये गये थे । इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम में उनके नाम में १०,००० रुपये जमा कर दिये गये हैं ताकि अगामी १५ वर्षों तक उन्हें प्रति मास ५० रुपये मिलते रहें ।

जहां तक जंजीर लगाने की बात है । हम इससे सहमत हैं और कुछ रेल गाड़ियों में हमने लगा भी दी हैं । लेकिन खेद की बात है जंजीर लगाने की मांग करते समय सदन में माननीय सदस्यों ने जो यह आशा प्रकट की थी ऐसा करने से रेलों की स्थिति में सुधार हो जायेगा वह नहीं हुआ । अब भी काफी मात्रा में बिना कारण जंजीर खींची जाती हैं । मैं आशा करता हूं कि ऐसे क्षेत्रों में जहां कि काफ़ी अव्यवस्था है जंजीर खींचने में काफी सावधानी से काम लिया जायेगा ।

जहां तक कि अन्तर्ध्वंस की बात है । प्रायः ये लोग काफी रात बीत जाने पर या घोर जंगलों में इस प्रकार के कार्य करते हैं जहां और जबकि उनको पकड़ पाना प्रायः कठिन हो जाता है । पठानकोट में आततायियों का अभी तक पता नहीं चल सका है । इस बात का मुझे खेद है । आशा है कि जिस भारी दंड की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है उससे समाज विरोधी कार्य करने वाले व्यक्तियों पर काफी प्रभाव पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ओझा ने जिस ३०,००० रुपये क्षतिपूर्ति वसूल करने का प्रश्न उठाया है। यह प्रश्न तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत आता है हमारी दर तो उस अधिनियम में उल्लिखित दरों की अपेक्षा काफ़ी अनुदार हैं। अतः इस समय हमें उनसे ही संतोष करना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। खंडों के बारे में कोई संशोधन नहीं है। मैं उन खंडों को एक साथ प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ से ६ विधेयक में जोड़ दिये गये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : विधेयक के खंड १ के बारे में एक सरकारी संशोधन है ।

संशोधन किया गया–

पृष्ठ १ पंक्ति ३ और ४––

(I) "Second amendment" ('द्वितीय संशोधन') के स्थान पर " Amendment" ('संशोधन') रख दिया जाये (२)

(II) पृष्ठ १ पंक्ति ४ ––

"१९६१" के स्थान पर "१९६२" रख दिया जाये । (३)

(श्री सें० वें० रामस्वामी)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अधिनियमन सूत्र के बारे में एक संशोधन है ।

संशोधन किया गया ––

पृष्ठ १, पंक्ति १—

" Twelfth Year " ("बारहवां वर्ष") के स्थान पर, " Thirteenth Year" ('तेरहवां वर्ष' रख दिया जाय । (१)

(श्री सें० वें० रामस्वामी)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप, में पारित किया जाये "

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कार्य मंत्रणा समिति

अड़सठवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का अड़सठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आज का काम समाप्त हुआ । अब सभा कल के ११ बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार १४ मार्च, १९६२/२३ फाल्गुन, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[मंगलवार, १३ मार्च, १९६२
२२ फाल्गुन, १८८३ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. .	२३—४९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१	हैवी स्ट्रक्चरल एंड वैसल वर्क्स . . .	२३–२४
२	चीनियों द्वारा धावे	२४—२७
३	पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्रों की सहायता	२७—२९
४	गोआ के वाणिज्य मंडल का प्रतिनिधिमंडल	२९–३०
५	नेपाल में दूतावास के सामने प्रदर्शन	३०—३३
६	टैक्सियों के मीटरों का आयात .	३३
७	गोआ में प्रशासनिक व्यवस्था .	३४—३६
८	पंजाब में रेशम कीट पालन उद्योग	३६–३७
९	फैनी नदी . .	३७–३८
१०	कलकत्ता में रेडियो-सक्रियता	३८–३९
११	बोनस आयोग .	३९–४०
१२	मैसूर में घड़ियों की फैक्ट्री	४०—४२
१३	भारत की उपभोक्ता संस्था .	४२–४३
१४	चाय उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	४३–४४
१५	महात्मा गांधी के जीवन पर फिल्म	४४—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६	तिब्बती शरणार्थी . .	४९–५०
१७	पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि .	५०
१८	भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानियों का घुस जाना	५०–५१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१ भारतीय उद्योग मेला	५१—५३
२ उदयपुर में जस्ता गलाने का कारखाना	५३
३ एन्ड्रयूज गंज, नई दिल्ली में "एच" टाइप क्वार्टर	५३
४ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर .	५३–५४
५ "गोआ में कार्यवाही"	५४
६ चीन और पाकिस्तान में सीमा सम्बन्धी बातचीत	५४
७ रूस द्वारा बनाये गये मानचित्रों में सिक्किम और भूटान का स्वतन्त्र राज्य दिखाया जाना . . .	५४
८ जिला रायचूर (मैसूर) राज्य में सूत कातने की मिलें	५५
९ ग्यान्त्से (तिब्बत) में भारतीय व्यापार अभिकरण की इमारत	५५–५६
१० सरकारी कर्मचारियों के लिये बिना किराये के मकान .	५६
११ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये बिना किराये के मकान	५६–५७
१२ चाय उद्योग . .	५७
१३ पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबन्ध	५७–५८
१४ पंजाब की पहाड़ियों के लिये विशेष योजनायें	५८
१५ हतिया में भारी इंजीनियरिंग परियोजना .	५८
१६ काश्मीर का भारत संघ में प्रवेश	५९
प्रधान मंत्री द्वारा एक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . .	५९–६०

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने १३ मार्च, १९६२ को पूछे गये गोआ कार्यवाही में हताहत व्यक्तियों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि के बारे में वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र	६०—६२

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४०८ में प्रकाशित कम्पनीज (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र (चौथा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः) पृष्ठ

संख्या एस० ओ० २८२० में प्रकाशित वस्त्र (हथकरघे द्वारा उत्पादन) नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६१ की एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पण सहित ।

(३) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०६ में प्रकाशित रबड़ (पहला संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(४) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १३ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५८ में प्रकाशित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(५) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा (३) की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(क) दिनांक १७ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या सी० एच० (आई)—१८ (१)/६२ में प्रकाशित अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, १९६२ ।

(ख) दिनांक २० जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या सी० एच० (१)—१८ (१)/६२

(६) केन्द्रीय रेशम/बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०५ में प्रकाशित केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(७) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) कास्टिक सोडा, क्लारीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर के उचित बिक्री मूल्यों के पुनरीक्षण के बारे में प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट (१९६१) ।

(ख) दिनांक ३१ जनवरी, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या सी० एच० (आई)—१५ (४१)/६१ ।

(८) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ३०-क के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) नियम, १९५० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५१२ ।

(ख) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २१३ ।

विषय

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः) पृष्ठ

(९) लोहा और इस्पात उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड स्थापित करने वाले दिनांक ५ जनवरी, १९६२ के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी०—११ (आई)/६१ की एक प्रति ।

(१०) रबड़ बागान उद्योग के बारे में मजूरी में अन्तर्कालीन वृद्धि करने के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की एक प्रति ।

वर्ष १९६१–६२ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—सामान्य ६२

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने वर्ष १९६१–६२ के आय-व्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विवरण उपस्थापित किया ।

वर्ष १९६१–६२ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—(रेलवे) ६२

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने वर्ष १९६१–६२ के आय-व्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विवरण उपस्थापित किया ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ६२

एक सौ उन्चासवां प्रतिवेदन उपस्थापित—

रेलवे आय-व्ययक, १९६२–६३—उपस्थापित . . . ६३—६६

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने वर्ष १९६२–६३ के लिये रेलवे के संबंध में भारत सरकार की अनुमित आय और व्यय का विवरण उपस्थापित किया ।

विधेयक पारित . . . . . ६७—९२

(१) वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

(२) श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने यह प्रस्ताव किया कि गोदी कर्मचारी रोजगार का विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

(३) रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ९२

अड़सठवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ।

बुधवार, १४ मार्च, १९६२/२३ फाल्गुन, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

(१) आय व्ययक (सामान्य) १९६२–६३ का उपस्थापन

(२) संविधान (बारहवां संशोधन) १९६२ और गोआ दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक पर विचार और पारित किया जाना ।

GMGIPND—LS III—1900 (Ai) LSD—30-3-62—125.